लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 13 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 23, गुरुवार 13 अप्रैल, 1972/24 चैत्र, 1894 (शक)

No. 23, Thursday, April 13, 1972/Chaitra 24, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
381. कोलार गोल्ड माइनिंग अण्डरटेकिंग को सरकारी कम्पनी बनाना	Conversion of Kolar Gold Mining Undertaking into Public Sector Company	1-3
382. भारत अमरीका वार्ता	Indo US Talks	3-4
383. अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भारतीय सदस्यों के बीसा का नवीकरण करने के बारे में दक्षिण वियतनाम सरकार द्वारा इन्कार किया जाना।	Refusal of South Vietnamese Government to renew Visas for Indian Members of International Control Commission	4-5
384. अमरीका और ब्रिटेन को विरोध प्रकट करना	Protest to USA and U. K.	5-8
385. अमरीकी राजदूत को उनका अपना हवाई जहाज प्रयोग करने की अनुमति न दिया जाना	Permission not granted to US Ambassador to use his Plane	8
396. राजदूतों द्वारा निजी विमानों के प्रयोग पर रोक	Ban on use of Personal aircraft by Ambassadors	8
397. विदेशी दूतावासों द्वारा दिल्ली में रखे गये निजी विमान	Personal Aircraft maintained by Foreign Embassies in Delhi	9-11

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

387.	भारत और बंगला देश के बीच यात्रा प्रतिबन्धों का हटाया जाना	Removal of Restrictions on Travel between India and Bangla Desh	11-13
388.	रूरकेला इस्पात संयत्र द्वारा ऊष्मसह ईटों (रेफ्रेक्टरीज) की खरीद	Purchase of refractories by Rourkela Steel Plant	13-15
392.	बोकारो स्टील लिमिटेड को दिये जाने वाले ऋणों पर व्याज देने की अवधि में छूट	Grant of Interest Holiday on Loans to Bokaro Steel Limited	15-17
393.	काच्छतीव द्वीप के स्वामित्व के बारे में भारत श्रीलंका समझौता	Indo-Ceylon Agreement on Ownership of Kacachativa Island	17-18
395.	हिन्द महासागर को बड़ी शक्तियों की आपसी होड़ से मुक्त रखने का उद्देश्य	Objective of keeping Indian Ocean Free from Big Power Rivalry	18-22

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

386.	बिजली की कम सप्लाई के कारण रूरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन कम होना	Decline in Production in Rourkela Steel Plant due to Low Power Supply	23
389.	राजस्थान में लौह अयस्क का उत्पादन	Production of Iron Ore in Rajasthan	24
390.	भारतीय श्रम सम्मेलन, 1971	Indian Labour Conference, 1971	24
391.	रूस का बोकारो इस्पात कारखाने से ढलवा लोहा खरीदने का प्रस्ताव	Russian Offer for purchase of Pig Iron from Bokaro Steel Project	24-25
394.	रिपेट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक मद्रास में धनराशि की कमी	Paucity of Funds with Repatriates Co-operative Finance and Development Bank, Madras	25

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
398. भारत में विदेशी सांस्कृतिक केन्द्रों को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसीत करना	Expansion of Foreign Cultural Centres in India on the Basis of National Requirements	25
399. बंगला देश के लिये इस्पात संयत्र का निर्माण	Construction of Steel Plant for Bangla Desh	25-26
400. एम्लाईज प्राविडेंट फन्ड स्टाफ फेडरेशन का मांग-पत्र	Charter of Demands by Employees' Provident Fund Staff Federation	26
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2694. पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों का स्वदेश वापस भेजना	Repatriation of Pak P. O.. Ws.	26
2695. राजस्थान से पाकिस्तान को देशांतरगमन	Migration from Rajasthan to Pakistan	27
2696. बंगला देश को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of Food to Bangla Desh	27
2697. उत्तर प्रदेश में खनिजों के निक्षेपों के बारे में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण	Geological Survey regarding Deposits of Minerals in Uttar Pradesh	27-28
2698. भिलाई इस्पात संयंत्र के कंस्ट्रक्शन इंजीनियरों द्वारा अभ्यावेदन	Representation from Construction Engineers of Bhilai Steel Plant	28-29
2699. बंगला देश में 1970 के चुनाव से पूर्व भारत में बंगला देश के शरणार्थियों की वापसी	Return of Bangla Desh Refugees in India prior to 1970 Election in Bangla Desh	29
2700. गैर सरकारी क्षेत्र की कोयला खनन कम्पनियों को लाभ	Profits of Coal Mining Companies in Private Sector	30-31
2701. विदेशों में बसे भारतीय विशेषज्ञ	Indian Experts Settled Abroad	31
2702. भारतीय नागरिकों द्वारा पाकिस्तान की यात्रा	Visit by Indian Citizens to Pakistan	32

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. No.

2703.	केरल में प्राकृतिक संसाधनों के लिये विमान से सर्वेक्षण	Aerial Survey for National Resources in Kerala	32
2704.	1971-72 में सरकारी उपक्रमों में हड़तालें	Strikes in Public Sector Undertakings in 1971-72	32
2705.	अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के मुख्यालय को अन्य स्थार पर ले जाया जाना	Shifting of I. C. C. Headquarters	33
2706.	एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड	Asian Refractories Ltd.	33
2707	पूर्वी यूरोप के देशों से लोहा तथा इस्पात का आयात	Import of Iron and Steel from East European Countries	33-34
2708.	लौह अयस्क तथा केनाइट खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Iron Ore or Kaynite Mines	34
2709.	पंजाब में गोविन्दगढ़ की पुनर्वेलन (री रोलिंग) मिलों से एम. एस. राड तथा एंगलों का बड़ी मात्रा में जमा हो जाना	Overstocking of M. S. Rods and Angles Iron at Gobindgarh Re-Rolling Mills in Punjab	34
2710.	इस्पात कारखाने में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिये बनाए गए मकान	Houses built for Labourers working in Steel Plants	35
2711.	पंजीकृत कार्मिक संघों को सुविधाएं	Facilities to Registered Trade Unions	35-36
2712.	रेलवे प्रशासन के तथा कार्मिक सघों के बीच विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया	Procedure to Finalise Disputes between Trade Unions and Railway Administration	37
2713	खनिज रियायतों सम्बन्धी नियम, 1970 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं के पास सम्पत्ति को बंधक रखना	Mortgaging of Assets to Financial Institutions under Mineral Concessions Rules, 1960	37
2714.	युद्ध बन्दियों कि रिहाई के लिये अमरीका का दबाव	Pressure of USA for release of P. O. W's	38

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2715.	हिन्दाल्को का विस्तार	Expansion of Hindailco	38
2716.	श्रमिक समस्या के कारण राज्यों में उद्योगों का बन्द होना	Closure of Industries in States due to Labour trouble	38-39
2717.	बचे खुचे नागा तथा मिजो विद्रोहियों के चीन जाते हुए बर्मा चले जाने के समाचार	Alleged crossing over to Burma by Remnants of Naga and Mizo Hostiles on their way to China	40
2718.	बंगला देश सहायता निधि में कानपुर महापालिका का अंशदान	Kanpur Mahapalika Contribution to Bangla Desh Relief Fund	40
2719.	दण्डकारण्य में कटक के तूफान पीड़ितों का बसाया जाना	Rehabilitation of Cyclone Victims of Cuttack in Dandakaranya	41
2720.	दण्डकारण्य में भेजे गये भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की बंगला देश जाने की इच्छा	Desire of Erstwhile East Pakistan Refugees in Dandakaranya to Leave for Bangla Desh	41-42
2721.	हिन्दुस्तान रबड़ वर्क्स, कलकत्ता का बन्द होना	Closure of Hindusthan Rubber Works Calcutta	42
2722.	बंगला देश में रजिस्टर्ड तथा पश्चिम बंगाल से लाई गई प्राइवेट मोटरगाड़ियां	Private Automobiles Registered in Bangla Desh brought to West Bengal	42-43
2723.	भारत में बंगला देश शरणार्थी शिविरों में भ्रष्टाचार	Corruption in Bangla Desh Refugee Camps in India	43
2724.	दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों की अवहेलना	Flouting of U. N. Resolution by South Africa	43-44
2725.	भूतपूर्व भारतीय उच्चायुक्त द्वारा कनाडा में विवाह करना तथा वहां पर बस जाना	Former Indian High Commissioner in Can ada	44
2726.	हिन्द महासागर में सोवियत फ्लीट	Soviet Fleet in Indian Ocean	44-45

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2727.	कर्मचारियों की भविष्य निधि का औद्योगिक संस्थानों में निवेश	Investment of Employees Provident Fund in Industrial Establishments	45
2728.	हिन्द महासागर में विदेशी शक्तियां	Foreign Powers in Indian Ocean	45-46
2729.	बंगला देश को अन्न की शीघ्रता से सप्लाई	Accelerating Food Supply to Bangla Desh	46
2730.	मुकदमे के लिये कुछ युद्धबन्दियों को बंगला देश भेजना	Sending of some POW's to Bangla Desh for trial	47
2731.	उड़ीसा के तूफान ग्रस्त क्षेत्र में भुखमरी तथा कुपोषण से मृत्युएं	Starvation and Malnutrition Deaths in Cyclone affected area of Orissa	47
2732.	भारत गोल्ड माइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा कोलार सोना खानों का संचालन	Operation of Kolar Gold Mines by Bharat Gold Mines (Private) Limited	47-48
2733.	बंगला देश से आये शरणार्थियों का वापस जाना	Return of Bangla Desh Refugees	48
2734.	रूरकेला इस्पात संयंत्र में इस्पात पिंड़ो का उत्पादन	Output of Steel ingots in Rourkela Steel Plant	48
2735.	उड़ीसा में सीसा प्रद्रावक और निकल संयंत्र की स्थापना	Setting up of Lead Smelter and Nickel Plants in Orissa	48-49
2736.	लोहा और इस्पात उद्योग के लिये अनुसंधान और विकास बोर्ड की स्थापना	Setting up of Research and Development Board for Iron and Steel Industry	49
2737.	कोयला कार्टिल के कदाचार	Malpractices of Coal Cartel	49-50
2738.	श्रमजीवी पत्रकारों के लिये वेतन अयोग प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लेना	Pay Commission for Working Journalists and workers participation in Management	50
2740.	पड़ोसी देशों के साथ शान्ति संधियां	Peace Treaties with Neighbouring Countries	50-51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2741	तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये भावी योजनायें	Future plans for Rehabilitation of Tibetan Refugees	51
2742	श्रीलंका से आये शरणार्थियों पर व्यय	Expenditure on Refugees from Ceylon	51-52
2743.	रेलवे के मजदूर संघों के पंजीकृत कार्यकर्ताओं की "प्रोटेक्टेड वर्कमेन" के रूप में घोषणा	Declaration of office-bearers of registered trade unions in Railways as "Protected Workmen"	52
2745.	बर्मा तथा श्रीलंका से आये शरणार्थियों को रोजगार देने के लिये तमिलनाडु में पुनर्वास उद्योग निगम की स्थापना	Rehabilitation Industries Corporation in Tamil Nadu for giving Eemployment to Refugees from Burma and Ceylon	52-53
2746.	मध्य प्रदेश में नियोजकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में धनराशि जमा कराना	E. P. F. Deposits by Employers in Madhya Pradesh	53
2747.	भारत के राजनयिक संबंध	India's Diplomatic Relations	53-54
2748.	साहूजैन ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में खनन पट्टों के लिये अभ्यावेदन	Representation from Sahu Jain Group for lease of Mines in Madhya Pradesh	54
2749.	वर्ष 1971 से पूर्व भारत में आए बंगला देश के शरणार्थियों की वापसी	Return of Bangla Desh Refugees came to India prior to 1971	54-55
2750.	युद्धबन्दियों को छोड़ने के बारे में पाकिस्तान का अनुरोध	Request from Pakistan for release of P. O. Ws.	55
2751.	पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवारों को सुविधाएं	Facilities to Families of Officers of the Indian Embassy in Peking	55
2752.	पत्रकारों को पेन्शन	Pension to Journalists	55-56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2753.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार	Employment to Trained Persons of Central Training Institute of H. E. C. Ranchi	56
2754.	छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Mini Steel Plants	56-57
2755.	स्वैच्छिक मध्यस्थता विषयक पुस्तिका	Brochure on Voluntary Arbitration	57
2756.	आर्थिक सहयोग के बारे में दक्षिण एशिया के देशों का महासंघ	South Asia Confederation on Economic Co-operation	57
2757.	प्राइवेट फर्मों, दुकानों और होटलों के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Employees of Private Firms, Shops and Hotels	57
2758.	छोटे छोटे बालकों द्वारा होटलों में काम के घंटों से अधिक समय तक कार्य करना	Minors working in Hotels beyond limit of Working Hours	57-58
2759.	सांस्कृतिक संबंध	Cultural Relations	58
2760.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में भारत ब्रिटेन समझौता	Indo-British Agreement on Durgapur Steel Plant	58-59
2761.	बिहार में पाकूड़ में पत्थर तोड़ने का कार्य करने वाले श्रमिकों के के लिये सुविधायें	Facilities for Labourers engaged in stone breaking at Pakur in Bihar	59
2762.	पश्चिम बंगाल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत अस्पतालों का दुरुपयोग	Misus of Hospitals under E. S. I. S. in West Bengal	59-60
2763.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विलय	Merger of E. P. F. O. with E.S.C.I.	60
2764.	पाकिस्तानी युद्ध अपराधियों पर मुकदमे	Trial of Pak War Criminals	60

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

2765.	बर्मा और श्रीलंका से आने वाले विस्थापितों के लिये उद्योगों की नई योजना	New Schemes of Industries for Refugees from Burma and Ceylon	61
2766.	पुनर्वास उद्योग निगम, कलकत्ता के अलाभप्रद एकक	Uneconomic Units of Rehabilitation Industries Corporation, Calcutta	61-62
2767.	मध्य प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा बोनस का दिया जाना	Bonus by Sugar Mills in Madhya Pradesh	62
2768.	मध्य प्रदेश तथा बिहार में कोयला खाने	Coal Mines in Madhya Pradesh and Bihar	63
2769.	मध्य प्रदेश में उद्योगों को इस्पात का वितरण	Distribution of Steel to Industries in Madhya Pradesh	63
2770.	कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली	Collection of Arrears of Employees Provident Fund	63-64
2771.	भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिये चलती फिरती रासायनिक प्रयोग शालाएं	Mobile Chemical Laboratories for conducting Geological Surveys	64
2772.	भिलाई इस्पात कारखाने में ऊष्मसह ईंटों (रिफ्रेक्टरीज) की वार्षिक खपत	Consumption of Refractories in Bhilai Steel Plant	64
2773.	मध्य प्रदेश को इस्पात का आवंटन	Allotment of Steel to Madhya Pradesh	65
2774.	सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना में विलम्ब	Delay in setting up of Salem Steel Plant	65-66
2775.	उड़ीसा में कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त के विचाराधीन एन० सी० डी० सी० कोयला खानों के कर्मचारियों के मामले	Pending cases with Coal Mines Provident Fund Commissioners of Employees of NCDC Collieries in Orissa	66
2776.	त्रिपुरा के चाय बागान मजदूरों को मजूरी का भुगतान	Payment of Wages to Tea Garden Workers in Tripura	66

विषय अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2777. पाकिस्तान को युद्ध न करने के समझौते के प्रस्ताव का पुन: नवीकरण	Renewal of offer to Pakistan of no war pact	67
2778. आँध्र प्रदेश द्वारा श्रीलंका से लौटे भारतीयों का पुनर्वास	Scheme for rehabilitation of Ceylon repatriates by Andhra Pradesh	67
2779. केरल में मैंगनीज के निक्षेप	Deposits of Manganese in Kerala	67-68
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
कोल्हापुर में कारखानों के बद का समाचार	Reported closure of factories in Kolhapur	68-73
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar	68, 69-70
श्री मोइनुलहक चौधरी	Shri Moinul Haque Chowdhery	68-69 & 70-73
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	74-75
अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध—विधेयक–पुर:स्थापित	Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provision Bill—Introduced	75
नियम 377 के अधीन विषय	Matters under Rule 377	75-76
(एक) चुनावों के दौरान अमरीकी वाणिज्य दूतावास से जनसंघ द्वारा धन प्राप्त करने के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्य मुख्य मंत्री के वक्तव्य का समाचार	M. P. Chief Minister's reported statement about Jan Sangh having received money from US consulate during elections;	75-76
(दो) पंजाब के एक गांव में हरिजनों पर कथित अत्याचार	Alleged atrocities on Harijans in a village in Punjab	76
अनुदानों की मांगें 1972–73	Demands for Grants, 1972-73	76-101
शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय	Ministry of Education, Social Welfare and Culture	76-89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री पन्नालाल बारूपाल	Shri Pannalal Barupal	76-77
डा. गोविन्द दास	Dr. Govind Das	77-78
श्रीमती एम. गौडफ्रे	Shrimati N. Godfrey	78-79
श्री के. एस. रामस्वामी	Shri K. S. Ramaswamy	79-81
डा. कैलास	Dr. Kailas	81-82
प्रो. मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate	82-83
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	83
श्री राम सूरत प्रसाद	Shri Ram Surat Prasad	83
श्री आर. डी. भंडारे	Shri R. D. Bhandare	84
श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी	Shri Swami Brahmanandji	84
प्रो. एस. नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	84-88
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	Department of Science and Technology	89-101
श्री एस. पी. भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya	91-92
डा. वी. के. आर. वर्दराज राव	Dr. V. K. R. Varadaraja Rao	92-94
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	94-95
श्री डी. डी. देसाई	Shri D. D. Desai	95-96
श्री जे. एम. गौडर	Shri J. M. Gowder	96-97
श्री पी. एन्थनी रेड्डी	Shri P. Anthony Reddy	97-98
श्री आर. बी. बड़े	Shri R. V. Bade	98-99
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	99
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	99-100
श्री बि. आर. शुक्ल	Shri B. R. Shukla	100
श्री एस. एम. बनर्जी	Shri S. M. Banerjeg	100-101

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 13 अप्रैल, 1972/24 चैत्र, 1894 (शक)

Thursday, April 13, 1972/Chitra 24, 1894 (Saka)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कोलार गोल्ड माइनिंग अण्डरटेकिंग को सरकारी कम्पनी बनाना

*381. **श्री निहार लास्कर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोलार गोल्ड माइनिंग अण्डरटेकिंग को एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी बनाने का निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और **(ख)** जी, हां। पब्लिक सेक्टर में की कम्पनी भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लि० को कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम की आस्थियों और दायित्वों को 1-4-1972 से ग्रहण करने के लिए स्थापित किया गया है । इस उपक्रम को विभागीय एकक से लिमिटेड कम्पनी में सपरिवर्तित करके ऐसी आशा है कि स्वर्ण के उत्पादन लागत को कम करके और कार्मिक और उपकरण की उत्पादकता में सुधार करके उच्चतर दक्षता को अभिप्राप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाकर वाणिज्यिक दृष्टि से कार्य करने के लिए स्वायत्तता और सक्रियात्मक शक्तियों के आवश्यक उपाय को सुनिश्चित करना सम्भव होगा ।

कम्पनी को, सक्षम तकनीकी कार्मिकों को लेकर स्टोर्स और उपकरण इत्यादि के अर्जन में भी इसके विभागीय एकक के रूप में कार्य करते रहने की अपेक्षा, अधिक स्वतंत्रता होगी। ऐसी भी सम्भावना है कि कम्पनी, अपने वर्तमान पट्टे में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी, जहां स्वर्ण अयस्क अवस्थापित किया गया है, और अधिक विकासशील कार्य को भी शीघ्रता से करने में समर्थ होगी।

श्री निहार लास्कर : क्या यह सच नहीं हैं कि अब कोलार स्वर्ण खानें लाभकर नही रहीं ? ब्रिटिश लोगों द्वारा खुदाई कार्य के बाद जो कुछ शेष रहा है, वह नगण्य है ? अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार कम्पनी को अपने अधिकार में लेकर स्थिति में किस प्रकार सुधार करेगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह कहना ठीक नहीं है कि स्वर्ण भंडार प्रायः समाप्त हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि स्वर्ण अयस्क की मात्रा पहले को अपेक्षा कम हो गई है। किन्तु हमें इन्हीं खानों में कुछ ऐसे निक्षेपों का पता चला है जहां काफी सोना है और हम उन पर काम शुरू करने वाले हैं।

श्री निहार लास्कर : सारे विश्व में सोने की खाने लाभदायी हैं, परन्तु हमारे यहां इनमें घाटा हो रहा है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने के साथ-साथ सरकार नए स्थानों को भी अपने नियंत्रण में लेगी जहां कि स्वर्ण-खनन हो सकता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इसी उद्देश्य से यह नई कम्पनी बनाई गई है। कम्पनी हानि को घटाने का यत्न करेगी और हम आशा करते हैं कि वह उत्पादन बढ़ाने और खनन-कार्य में किफायत लाने में समर्थ होगी।

श्री निहार लास्कर : मैंने नए स्थानों के बारे में पूछा था।

श्री शाहनवाज़ खां : वह स्थल और क्षेत्र जहां अब हम कार्य कर रहे हैं। जाने पहचाने हैं। आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में रामगिरि नामक स्थान पर काम चल रहा है। हम कुछ अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं, किन्तु परिणाम उत्साहवर्धक नहीं निकले हैं। रामगिरि और इन खानों में किए गए खनन-कार्य का परिणाम काफी संतोषजनक रहा है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय का कहना है कि ये स्वर्ण खानें घाटे में जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ण को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अथवा देश में बेचने से कितनी हानि होती है ? इस बारे में सही स्थिति क्या है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह सच है कि हम कोलार स्वर्ण क्षेत्र से निकले सोने को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 84 रुपये 40 पैसे प्रति दस ग्राम के हिसाब से बेच रहे हैं। स्वर्ण की बाजार कीमत लगभग दुगनी या इससे भी अधिक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बाजार कीमत तिगुनी से भी ज्यादा है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यदि इसे बाजार में बेचा जाए तो इसमें कितने धन की प्राप्ति होगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : सोने की वर्तमान कीमत के अनुसार इसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बैठती है और यदि इसे बाजार की कीमत पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य 4 करोड़ के करीब बैठता है, जबकि सोने के खनन-कार्य पर 6 करोड़ रुपये व्यय आता है।

Shri Shashi Bhushan : I want to congratulate the hon. Minister for taking over gold mines and copper mines. I want to know whether Government proposes to nationalise the aluminium production and mining also which is in the hands of monopolists ?

Shri Shahnawaz Khan : This does not arise out of the main question.

भारत अमरीका वार्ता

*382. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध में अमरीका की नीति के संबंध में हुई गलतफहमियों को दूर करने के प्रयास में अमरीका की सरकार ने भारत सरकार से वार्ता आरम्भ कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह वार्ता किस स्तर पर आरम्भ की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार और संयुक्त राज्य सरकार के बीच राजनयिक संबंध कभी नहीं टूटे । जैसा कि ऐसे सम्बंधों में सामान्य बात है, भारत-संयुक्त राज्य संबंधों पर विचार विमर्श निरन्तर होते रहे हैं ।

(ख) नई दिल्ली और वाशिंगटन में, राजदूत के स्तर पर, सामान्य राजनयिक माध्यमों से बात चीत चल रही है। जहां तक इसके परिणाम का संबंध है, पहले ही ऐसे मामलों को बताने की प्रथा नहीं है।

श्री अर्जुन सेठी : मैंने पूछा था कि भारत-पाक युद्ध के दौरान अमरीका की भारत के प्रति नीति क्या रही। क्या भारत के प्रति अमरीका की नीति के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कुछ गलतफहमी है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने स्वयं अपने प्रश्न में कहा है कि अमरीका की नीति के संबंध में कुछ गलतफहमी थी और इस गलतफहमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमरीकी सरकार का रवैया वास्तविक तथ्यों के गलत निरूपण पर आधारित था । अतः वह पक्षपातपूर्ण था ।

श्री अर्जुन सेठी : राजदूतीय स्तर पर किस प्रकार की राजनयिक वार्ता चल रही है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसे मामले बताए नहीं जाते।

श्री स्वर्ण सिंह : सम्बन्धों को सुधारने की संभावना को दृष्टि में रखते हुए....

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अमरीका सरकार का भारत के प्रति रवैया मैत्रीपूर्ण है अथवा अमैत्रीपूर्ण–इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : कुछ विशिष्ट मामलों के बारे में सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं हैं, अन्यथा हमारे सम्बन्ध सामान्य है ।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय का कहना है कि अमरीका का भारत के प्रति रवैया गलत जानकारी पर आधारित था । मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्हें वास्तविक तथ्यों से अवगत कराने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और क्या इस ओर प्रयत्न अभी जारी हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : बंगला देश की समस्या जब से हमारे सामने आई है, हम अमरीका को जैसी जैसी स्थिति रही, उसका पूरा पूरा पता देते रहे । भारत-पाक युद्ध के दौरान तथा उसके पहले लाखों शरणार्थी यहाँ आए और हमने हर बात से उन्हें परिचित रखा लेकिन हम उन्हे आश्वस्त करने में समर्थ नहीं हो सके क्योंकि समझा को उन्होंने अपने ढंग से देखा तथा समस्या और मैं यह कहूंगा कि उनका रवैया पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था ।

भविष्य के सम्बन्ध में हमारी यह इच्छा है कि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सामान्य रहे । मेरे विचार में भारत-पाक युद्ध के दौरान और इससे पूर्व की स्थिति के बारे में दोनों देशों का मतैक्य नहीं हो सकता और गत घटनाओं के सम्बन्ध में हमें यह मानना पड़ेगा कि दोनों देशों में मतभेद रहा । यदि भविष्य में सम्बन्ध सामान्य बने रह सकते हैं, तो हमें इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये और यही हमारी नीति है ।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भारतीय सदस्यों के वीसा के नवीकरण करने के बारे में दक्षिण वियतनाम सरकार द्वारा इन्कार किया जाना

+

*383. **डा० रानेन सेन** :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम की सरकार ने 20 मार्च, 1972 को यह घोषणा की थी कि वह अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के भारतीय सदस्यों को प्रवेश के लिए अब वीसा जारी नहीं करेगा अथवा उनका नवीकरण नहीं करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वियतनाम गणतंत्र सरकार ने 8 जनवरी, 1972 को ऐसी घोषणा की है ।

(ख) भारत सरकार का यह मत है कि यह तरीका अनावश्यक, भेदभावमूलक और 1954 में किये गए जेनेवा समझौते की शर्तों का उल्लंघन होगा तथा कुल मिलाकार आयोग के विरूद्ध होगा । दक्षिण वियतनाम की सरकार ने अधीक्षण एवं नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग के सभी भारतीय सदस्यों के वीसाओं को पुनर्वेध कर दिया है ये 1 अप्रैल से लागू होंगे और इनकी वैधता की अवधि लगभग छह माह होगी ।

डा० रानेन सेन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह आयोग वियतनाम के बारे में हुए जेनेवा सम्मेलन की देन है और भारत इस आयोग का सभापति है क्या दक्षिण वियतनाम सरकार को वीसा पर 6 महीने अथवा एक वर्ष के लिए प्रतिबन्ध लगाने का कोई अधिकार प्राप्त है ;

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जी नहीं, स्पष्टत: उन्हें ऐसे प्रतिबन्ध लगाने का कोई अधिकार नहीं है और यही बात हमने उनको बता दी है । हमने इस सम्बन्ध में उनसे बातचीत की है और उन्हे वीसा को अगले 6 महीनों के लिए पुनर्वेधित कर दिया है ।

डा० रानेन सेन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैंने पूछा था कि क्या जेनेवा सम्मेलन की शर्तों के अनुसार दक्षिण वियतनाम सरकार अन्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सदस्यों पर प्रतिबन्ध लगा सकती है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस विशेष मामले में प्रथा यह रही है कि अनिश्चित काल के लिए वीसा नहीं दिए जाते और न ही पहले दिए गए हैं । उन्हें एक निश्चित अवधि तक के लिए वीसा जारी किए गए थे । दक्षिण वियतनाम सरकार का पोलैंड और कनाडा के शिष्टमंडलों, जो इस आयोग के सहसदस्य भी हैं, के प्रति यह रवैया रहा है ।

डा० रानेन सेन : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सैगोन सरकार पूर्णतया कठपुतली सरकार है और अपने अस्तित्व के लिए अमरीकी सरकार पर आश्रित है, क्या सरकार इस सरकार की मान्यता समाप्त करने और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर एक नहीं अपितु अनेक बार सदन में दिया जा चुका है ।

अमरीका और ब्रिटेन को विरोध प्रकट करना

*384. **श्री पी० गंगा देव** :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका और ब्रिटेन को हिंद महासागर में 'डयेगो गार्सियों' द्वीप को सैनिक अड्डा बनाने के उनके प्रयासों के बारे में विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो उसपर उनकी प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने भी इस बारे में चिंता प्रगट की है; और

(घ) यदि हां, तो कौन से देश हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1965 से लेकर अब तक, भारत सरकार ने अमरीका तथा यूनाइटेड किंगडम की सरकारों से कई बार इस बात की भर्त्सना की है कि उन्होंने हमारी इस

आपत्ति के बावजूद डीगो गास्त्रियों में एक अड्डा स्थापित करने का निर्णय किया कि उससे हिंद महासागर में बड़े-बड़े देशों की सैन्य स्पर्धा आरंभ हो जाएगी। हमने अमरीका तथा यूनाइटेड किंगडम की सरकारों का ध्यान 11 दिसम्बर 1970 को प्रस्तुत एक ज्ञापन में इस विषय पर लुसाका घोषणा की ओर भी दिलाया है।

(ख) दोनों में से किसी भी सरकार से हमारे ज्ञापन का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

(ग) हिन्द महासागर में सैनिक अड्डों के प्रश्न पर महासभा में इस क्षेत्र के सामान्य उपनिवेश समाप्ति के संदर्भ में प्रति वर्ष विचार किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, और 1971 के प्रस्तावों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(घ) 24 देशों की विशेष समिति अथवा उपनिवेश समाप्ति से संबद्ध विशेष समिति ने उपनिवेश समाप्ति के विषय पर प्रति वर्ष विचार विमर्श किया है।

श्री पी० गंगादेव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फ्रांस भी हिन्द महासागर में अपनी नौसैनिक गतिविधियां बढ़ा रहा है और जैसा कि गत माह मार्च, 1972 में मैडगास्कर का दौरा करते समय फ्रांस के उपमंत्री ने कहा था कि मैडगास्कर में शीघ्र ही स्थाई समुद्री बेड़े स्थापित किए जाएंगे, मैं यह जानना चाहता हूं (I) हिन्द महासागर में संभावित तनाव उत्पन्न न होने देने के लिए सरकार क्या तत्काल कार्यवाही कर रही है (II) क्या रूस को इस स्थिति से अवगत कराया गया है; और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और (III) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले सत्र की प्रतीक्षा किए बिना एक आपत्तकालीन सत्र बुलाने हेतु बातचीत करेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कुछ उपायों का उल्लेख किया था जो इस संबंध में अपनाए गए हैं। इनके अन्तर्गत लुसाका सम्मेलन घोषणा संयुक्त राष्ट्र में की गई हाल की घोषणाएं तथा सम्बद्ध राष्ट्रों से द्विपक्षीय वार्ताएं सम्मिलित हैं। हमने रूस को स्थिति से अवगत नहीं कराया है। उनके पास स्वयं यह जानने के साधन उपलब्ध है कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। क्षेत्र की स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराना हमारा काम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र बुलाने की हमारी कोई इच्छा नहीं है ?

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरीका गत दो वर्षों से हिन्द महासागर में नौसैनिक अभ्यास कर रहा है और इसी अवधि के दौरान/12 से अधिक सोवियत जहाज 15 विभिन्न देशों के दौरे पर गए और लंगरगाह और उपलब्ध तेल सुविधाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए, यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? हिन्द महासागर में अमेरिका की नौसैनिक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : महासमुद्र में किसी देश की नौसैनिक गतिविधियों को रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा रवैया तो यह है कि हिन्द महासागर का यह क्षेत्र बड़ी ताकतों से मुक्त रहे।

उन्हें इस क्षेत्र में सैनिक वैमनस्य पैदा नहीं करना चाहिए। इसी विचार से हम बड़ी शक्तियों से, जो इस क्षेत्र में नौसैनिक टुकड़ियां लाने की क्षमता रखती हैं, कह रहे हैं कि वे इस क्षेत्र में अड्डे स्थापित न करें तथा अपनी नौसेना को इधर एकत्र न करें। इस समस्या के प्रति यही हमारा दृष्टिकोण है।

श्री समर गुह : सिंगापुर में हुए राष्ट्रमंडल सम्मेलन में तथा एशियाई देशों के सम्मेलन में श्रीलंका ने हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने का समर्थन किया और अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्रसंघ में इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ ऐसा ही मत व्यक्त किया। हाल ही में न्यूयार्क टाइम्स के कोलम्बो स्थित संवाददाता ने समाचार दिया है जिसमें कहा गया है कि श्रीलंका सरकार इस क्षेत्र को शान्ति क्षेत्र घोषित करने के मामले में चुप हो गई है। भारत-रूस सन्धि को ध्यान में रखते हुये तथा पाकिस्तान द्वारा राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ देने की बात को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका शक्ति सतुलन बनाये रखने के विचार से अमेरीका से विचार विमर्श करने पर विचार कर रहा है। यदि ऐसा है तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है तथा इस क्षेत्र से सम्बन्धित किसी भय के प्रति श्रीलंका सरकाग के मस्तिष्क को दूषित होने से बचाने का प्रयत्न किया है।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से श्रीलंका को भारत से कोई भय नहीं है और मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस क्षेत्र में श्रीलंका की नीति के बारे में श्रीलंका की ओर से ऐसे विचार न रखें। हमारा अभी भी यही विचार है कि श्रीलंका सरकार हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाये रखने का समर्थन करती है। वे इस बात का समर्थन करते हैं कि यह क्षेत्र बड़ी शक्तियों के वैमनस्य से मुक्त रहे। माननीय सदस्य ने जो व्याख्या की है....

श्री समर गुह : मैंने सम्वाददाता के विचार बताये हैं, अपने नहीं।

श्री स्वर्ण सिंह : हिन्द महासागर के तटीय देशों में गलत धारणा तथा भ्रान्ति पैदा करने के लिए ऐसी विचारधारा का प्रसार असाधारण नहीं है। हमें ऐसे षड़यंत्रों का शिकार बनने के प्रति सावधान रहना चाहिये। (**व्यवधान**)

श्री राम सहाय पांडे : हिन्द महासागर के सम्बन्ध में अमेरिका के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, लुसाका में हुए 24 देशों के सम्मेलन में अभिव्यक्त किये गये विचारों की हिन्द महासागर में अड्डे बनाने की किसी देश को भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, के प्रति अमेरिका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : डीगोगेशिया में वह निर्माण कार्य चल रहा है जिसे वह संचार केन्द्र बताते हैं। यही प्रतिक्रिया है।

श्री योगेन्द्र झा : अमरीका तथा ब्रिटेन के विचारों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वे हमारे विरोधमर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि बड़ी शक्तियों में कोई वैमनस्य नहीं होना चहिये। क्या भारत सरकार का तात्पर्य यह है कि रूस को हिन्द महासागर में अपने पोत नहीं भेजने चहियें और सम्पूर्ण समुद्र को केवल अमरीका तथा ब्रिटेन के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये। क्या रूस सरकर भारत सरकार के परामर्श पर ध्यान देने के लिए तैयार है ? क्या हमें रूस से ऐसा एकपक्षीय अनुरोध करना चाहिये ?

श्री स्वर्ण सिंह : इसका शान्ति क्षेत्र बनाये रखने से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक गहरे समुद्र का सम्बन्ध है वहाँ रूस, अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस की नौसेनायें विद्यमान हो सकती हैं।

श्री पीलू मोदी : और भारतीय नौसेना।

श्री स्वर्ण सिंह : भारतीय नौसेना सदैव गहरे समुद्र में नहीं रह सकती, उसे तट के समीप भी रहना पड़ेगा । हम केवल नौसैनिक पोतों के विद्यमान होने का ही विरोध नहीं कर रहे हैं अपितु हम इस क्षेत्र को वैमनस्य-क्षेत्र बनाने के प्रयत्नों का भी विरोध कर रहे हैं जिनके फलस्वरूप बड़ी शक्तियां अड्डे बनाने तथा अन्य सुविधायें जुटाने का प्रयत्न करती हैं । हम यथार्थवादी दृष्टि कोण को लेकर चलते हैं । अतः विभिन्न देशों की नौसेना यदि कभी इस क्षेत्र से गुजरती हैं, तो हम उसका विरोध नहीं करते ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 385.

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्न संख्या 396 तथा 397 भी इस प्रश्न के साथही लिये जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम इन तीनों प्रश्नों को एक साथ ही लेते हैं ।

अमरीकी राजदुत को उनका अपना हवाई जहाज प्रयोग करने की अनुमति न दिया जाना

*385. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अमरीकी राजदूत को रांची जाने के लिए उन्हें अपने हवाई जहाज का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी थी;

(ख) क्या अमरीकी सरकार ने इसके प्रति तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो वह प्रतिक्रिया किस प्रकार की है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां । रांची से दिल्ली के लिए इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की नित्य विमान सेवा है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Ban on use of personal aircraft by Ambassadors

+

*396. **Shri Bibhuti Mishra** :
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have refused permission to the foreign missions to maintain their private aircraft for travel within the country; and

(b) if so, the reaction of foreign missions thereto ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार इस पर विचार कर रही है । किसी भी हालत में, प्रत्येक उड़ान के लिए सरकार की विशेष स्वीकृति लेना आवश्यक है।

(ख) केवल दो विदेशी मिशनों का संबंध है । एक ने सहमति दे दी है और इस मामले में सरकार के निर्णय को मानने के लिए दूसरे को भी सहमति देनी होगी ।

विदेशी दूतावासों द्वारा दिल्ली में रखे गये निजी विमान

*397. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ दूतावासों ने देश में प्रयोग करने के लिए निजी विमान रखे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन दूतावासों के अपने-अपने विमान हैं; और

(ग) दूतावासों द्वारा इन विमानों का उपयोग किए जाने के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) फ्रांस और संयुक्त राज्य के दूतावास।

(ग) प्रत्येक उड़ान के लिए सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रत्येक विशेष उड़ान से सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने या तो इस प्रकार की अनुमति दी है या देने से इन्कार किया है ।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय के उत्तर को ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन देशों ने भारत सरकार की इस शर्त से सहमति व्यक्त नहीं की है कि उन्हें भारत में अपने विमानों से उड़ान नहीं करनी चाहिये और सहमत न होने के क्या कारण हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इन उड़ानों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में सरकार ने अभी निर्णय नहीं किया है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ यह मामला विचाराधीन है और इसका पुनर्विलोकन किया जा रहा है। हमने साधारण रूप से फ्रांस के दूतावास से विचारविमर्श किया और वहां के राजदूत ने हमें विश्वास दिलाया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु अमरीकी दूतावास ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। वे इस मामले में चुप हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : क्यों कि अमरीकी दूतावास ने कोई उत्तर नहीं दिया है, इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या भारत सरकार उनके उत्तर की चिन्ता किये बिना निर्णय करने को तैयार है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : इस सम्बन्ध में हमारा सामान्य मत यह है कि हम विदेशी दूतावासों को विमान नहीं रखने देना चाहते और हम इस मत को कार्यरूप देने का विचार कर रहे हैं। जिन दो देशों के दूतावासों के पास अपने विमान हैं हम उनके प्रतिनिधियों से सम्पर्क बनाये हुये हैं। हम उनके साथ मिलकर यह विचार कर रहे हैं कि सरकार के इस निर्णय को अच्छे ढंग से किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है ?

Shri Ishwar Chaudhry : May I know as to how many times in last five years various ambassadors had utilized there own aircrafts ? I would also like to know whether these places did not exist on the routes operated by Indian Airlines ?

श्री स्वर्ण सिंह : ये मिशन स्वतंत्रता से अपने विमानों का उपयोग करते रहे हैं, परन्तु अब सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है क्यों कि हमें राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करनी है ।

Shri Ishwar Chaudhry : My question was, how many times they did utilize their aircrafts during last five years ?

Mr. Speaker : You should not be specific in a general question. May I ask you how many times you came to Delhi during last month ?

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, sir, may I know by what time U.S.A. and France are having their aircrafts here and whether they had sought the permission of the Government of India for the maintenance ? How many times they have been denied permission regarding utilization of the aircrafts ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे पता नहीं कि उन्हें अनुमति दी गयी थी। उन्होंने अपने विमान रखे हुये हैं और उनका उपयोग कर रहे हैं। जब वे किसी विशेष उड़ान के लिये अनुमति मांगते हैं तो अनुमती दे दी जाति है। पहले कई बार अनुमति दी जा चुकी है। अब हम पुरानी पद्धती को बन्द करना चाहते हैं। यही समस्या का मूल है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : अमरीकी राजदूत के विमान ने अब तक 35 उड़ानें की हैं। क्या यह सच है कि इस विमान में कैमरा तथा ऐसे अन्य उपकरण लगे हैं जो उड़ाने करते समय बहुत सी चीजों को नोट कर लेते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : अमरीका सरकार ने जो विमान रखा हुआ है उसने कितनी उड़ाने की हैं, उनकी निश्चित संख्या मैं नहीं बता सकता। यह बात ठीक नहीं है कि इसमें कैमरा लगा हुआ है और विमान जासूसी का कार्य करता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह आप कैसे जानते हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं जानता हूँ इसीलिये कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जब आपको पता है तो मंत्री महोदय को भी पता होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय ने विमान का परिक्षण किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन सभी विमानों का परिक्षण किया जा सकता है, और समय समय पर ऐसा किया भी जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हाल ही के निर्वाचनों के दौरान हमें यह बात पता चली कि बम्बई स्थित अमरीकी वाणिज्य दूतावास कार्यालय का कोई अधिकारी अपने विमान में मध्यप्रदेश गया तथा एक राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों से मिला।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के शब्दों का उद्धरण दे रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपको अलग से प्रश्न करना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि निर्वाचनों के दौरान बम्बई स्थित अमरीकी वाणिज्य दूतावास कार्यालय का एक अधिकारी मध्यप्रदेश गया था ?

अध्यक्ष महोदय : यहां यह प्रश्न किस प्रकार उठता है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि गया था तो क्या मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच कराने की मांग की थी ?

अध्यक्ष महोदय : आप अलग से प्रश्न करिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने बताया है कि पहले अमरीका दूतावास के प्रतिनिधियों ने विमान का उपयोग किया है तो क्या इस विमान का उपयोग निर्वाचन के दौरान जैसा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया था, इन्दौर तथा अन्य स्थानों के लिये किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे पता नहीं कि अमरीकी दूतावास के अधिकारी ने मध्यप्रदेश जाने के लिये इस विमान का उपयोग किया अथवा किसी अन्य विमान का। परन्तु इस प्रकार का सम्पर्क करना विरोध का विषय है, यात्रा करने का ढंग विरोध का विषय नहीं है। हम विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से ऐसे सम्पर्कों का पूर्णतया विरोध करते हैं ।

श्री के० मनोहरन : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया था ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने वह वक्तव्य देखा है। इसी कारण मैं समस्या के मूल के विषय में कह रहा हूं । यदि जो कुछ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, ठीक है तो यह विरोध का विषय है । जब मुख्यमंत्रियों से ऐसी बात पता चलती है तो हम उसकी जांच करते हैं ।

भारत और बंगला देश के बीच यात्रा प्रतिबन्धों का हटाया जाना

*387. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत और बंगला देश के बीच आने जाने सम्बन्धी प्रतिबन्धों में ढील देने के बारे में कोई कदम उठाया है ;

(ख) क्या दोनों देशों के पारस्परिक हित में भारत और बंगला देश के बीच यात्रा करने के लिए पार-पत्र प्रणाली समाप्त करने पर बंगला देश सरकार से बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) भारत से बांगलादेश और बाँगलादेश से भारत की यात्रा "भारत और बांगलादेश की यात्रा के प्रमाणपत्रों" से नियंत्रित है । ये दस्तावेज पासपोर्टों से आसान हैं तथा इन्हें 30 जून, 1972 तक–जब तक की और भी स्थायी ढंग की प्रणाली की स्थापना न हो जाए–वैध रखा गया है। इस सम्बन्ध में बांगलादेश सरकार से बातचीत हो रही है ।

जिनके पासपोर्ट बांगलादेश के लिए पृष्ठांकित हैं वे बांगलादेश की यात्रा के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि विभाजन करार के अनुरूप उस समय के पूर्वी बंगाल तथा पश्चिम बंगाल और शेष पूर्वी भारत के बीच यात्रा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था ? क्या

वर्ष 1950 में नेहरू लियाकत समझौते से भी भारत तथा पूर्वी बंगाल के बीच प्रतिबंध मूल यात्रा के सिद्धांतकी पुष्टि हुयी थी । और क्या यह भी सच है कि भारत और उस समय के पूर्वी बंगाल के मध्य 1953 तक यात्रा सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं था । परन्तु सितम्बर के महीने में पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल को पश्चिमी पाकिस्तान की एक कालोनी बनाने के लिये अपनी ओर से ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया था; यदि ऐसा है, तो क्या भारत सरकार ने बंगलादेश सरकार के सम्मुख इस बात को रखा है कि भारत और बंगलादेश के बीच यात्रा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी नहीं, हमने यह बात नहीं उठायी है और न ही उठाने का विचार है। क्योंकि भारत तथा बंगलादेश के बीच यात्रा सम्बन्धी व्यवस्था पर निर्णय दोनों देशों के हितों को दृष्टि में रखते हुए पारस्परिक समझौते के अनुसार किया जाना चाहिये ।

श्री पीलू मोदी : यदि आप बात उठायेंगे ही नहीं तो समझौता किस प्रकार होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया अपने स्थान से उठें, इस प्रकार व्यवधान न करें ।

श्री पीलू मोदी : मेरे आकार के लिये आपकी आखें छोटी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठे हुये मेरी तरफ देख रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : कठिनाई यह है कि वह अपना वजन नहीं उठा सकते।

श्री समर गुह : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि कुछ गोपनीय उपाय करके कुछ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तियां भारत तथा बंगलादेश को अलग-अलग करने के प्रयासों में जुटी है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भारत तथा बंगला देश की मैत्री सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा जातीय आन्तरिक सम्बन्धों पर आधारित हो, 30 जून के पश्चात विचार विमर्श कब आरम्भ किया जायगा और क्या भारत और बंगलादेश के बीच, जहाँ तक भी संभव हो सके, प्रतिबन्ध मुक्त यातायात की व्यवस्था करने पर बल दिया जायेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ ।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : हाल ही में बंगलादेश के स्टेट बैंक ने पी फार्म जारी किया है जिसमें बहुत सी असुविधायें तथा कठिनाईयां पैदा हो गयी हैं । क्या इस मामले पर बंगलादेश सरकार के साथ बात चीत की गई है ।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से यह हमारा आन्तरिक मामला है, क्योंकि बंगलादेश जाने से पूर्व पी फार्म मांगने पर जोर देना एक ऐसा मामला है जिस पर बंगालदेश से विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : यह बंगलादेश सरकार ने आरम्भ किया है ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह उनके सोचने की बात है कि उनके लिए क्या ठीक है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : भारत से बंगलादेश की यात्रा करने की अनुमति लेने सम्बन्धी मुख्य मागदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : प्रक्रिया बहुत सरल है । यदि माननीयस दस्य जानना चाहते हैं तो एक प्रमाण के लिये आवेदन करें ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या एक विधान सभा के सदस्य तथा संसद सदस्य के लिये निवास स्थान सम्बन्धी प्रमाण पत्र आवश्यक है । कुछ लोगों को प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, कुछ को नहीं अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की अनुमति प्राप्त करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ।

श्री स्वर्ण सिंह : यदि कोई विशिष्ट मामला मेरे सामने लाया जाये, तो मैं इस बात की जांच करूगा कि उस मामले में अनुमति क्यों नहीं दी गयी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं मार्गदर्शी सिद्धान्त जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि कोई मागदर्शी सिद्धान्त नहीं हैं और यह अधिकारियों के विचारों पर निर्भर है । (**व्यवधान**)

रूरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा ऊष्मसह ईंटों (रिफ्रेक्टरीज) की खरीद

*388. **श्री वेकारिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र ने पिछले तीन वर्षों में स्वदेशी स्त्रोतों से कितनी ऊष्मसह ईंटें (रिफ्रेक्टरीज) खरीदीं; और

(ख) उक्त अवधि में कितनी ईंटों का आयात किया गया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात कारखाने द्वारा 1969-70 से 1971-72 की अवधि में देशीय स्त्रोतों से खरीदी गई तथा आयात की गई तापसह ईंटों की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	देशीय	(टन) आयातित
1969-70	20,628	1,035
1970-71	24,814	1,068
1971-72	47,853	4,483

श्री वेकारिया : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि भारत में ऊष्मसह ईंटों का निर्माण करने वाले कारखानों के नाम क्या हैं, जिनसे सरकार इन ऊष्मसह ईंटों की खरीद कर रही है ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : यदि माननीय सदस्य उन कारखानों की सूचि जानना चाहते हैं तो वे इसके लिए अलग से प्रश्न पूछें । मेरे पास इस समय उन कारखानों की विस्तृत सूची नहीं है ।

श्री वेकारिया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार बड़ी मात्रा में ऊष्मसह ईंटों का आयात कर रही है और भारतीय कारखानों से ऊष्मसह ईंटों की खरीद कर रही है तथा इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से, क्या सरकार का विचार उष्मसह ईंटों का निर्माण करने हेतु इसके कारखाने की स्थापना करने का है अथवा नहीं है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : सरकार ने भिलाई में ऊष्मसह ईंटों के एक संयंत्र की स्थापना करने का निर्णय किया है जिसमें 1,10,000 टन के निम्न उत्पादों की क्षमता होगी : फायरक्ले रिफ्रेक्टरीज, बेसीक रिफ्रेक्टरीज और सिलिका रिफ्रेक्टरीज । इस विषय पर केन्द्रीय इंजीनियरिंग डिजाइन ब्यूरो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है ।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : मैं जानना चाहता हूँ कि इस संयंत्र में कब से उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मैं निश्चित तिथि को बताने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि हम इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट की प्रतिक्षा कर रहे हैं जिससे हमें इस संयंत्र के निर्माण कार्य और इसके उत्पादन सम्बन्धी नियत समय का पता चलेगा ?

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मंत्रालय यह स्पष्ट अनुभव करता है कि इस गलत योजना के कारण ही इस्पात कारखानों के बड़े समूह के होते हुए भी, ऊष्मसह ईंटों का स्वयं का कोई कारखाना नहीं है ? क्या यह सच नहीं है कि विभिन्न देशों में जहां पर उनके इस्पात संयंत्र होते हैं, वहां पर इस्पात कारखाने के एक हिस्से में ऊष्मसह ईंटों का निर्माण होता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो प्रश्न नहीं है अपितु यह राय का मामला है ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : यह राय का मामला है ।

श्री कार्तिक उरांव : मैं माननीय मंत्री महोदय से ऊष्मसह ईंटों की कुल वार्षिक देशीय उत्पादन तथा रूरकेला इस्पात संयंत्र से ऊष्मसह ईंटों की कुल मांग के बारे में जानना चाहता हूँ और यदि ऊष्मसह ईंटों का देशीय उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं हो रहा है तो मैं ऊष्मसह ईंटो को आयात करने के कारणों के बारे में जानना चाहता हूँ । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या देशीय ईंटों को उपलब्ध कराने के लिये अनुमति दे दी गई है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : हमसे जो प्रश्न पूछा गया था, वह रूरकेला इस्पात संयंत्र के सम्बन्ध में था । यदि माननीय सदस्य केवल रूरकेला इस्पात संयंत्र के आंकड़ों को नहीं अपितु समेकित

और गैर-समेकित इस्पात संयंत्रों सहित विभिन्न इस्पात संयंत्रों के आंकड़े जानना चाहते हैं, तो हमें इनको उपलब्ध कराने में कुछ समय लगेगा ।

बोकारो स्टील लिमिटेड को दिये गये ऋणों पर ब्याज देने की अवधि में छूट

*392. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोकारो स्टील लिमिटेड को दिये गये सभी ऋणों पर मार्च 1978 तक ब्याज न लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

बोकारो इस्पात कारखाने में बड़ी मात्रा में पूंजी लगेगी । इस कारखाने को पूर्ण उत्पादन स्तर तक पहुंचने में काफी समय लगेगा । इसको इस प्रकार बनाया जा रहा है कि प्रथम चरण में 17 लाख टन इस्पात पिण्ड की क्षमता होगी जिसे द्वितीय चरण में 40 लाख टन कर दिया जायेगा । प्रथम चरण में जो पूंजी लगाई जा रही है उससे 40 लाख टन वाले स्तर के लिए आवश्यक अंतर्निहित सुविधाएं भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जायेंगी । चूंकी इस कारखाने की योजना 40 लाख टन की क्षमता के लिए बनाई गई है अतः आर्थिक दृष्टि से इस कारखाने में तभी लाभ होगा जब यह दूसरे चरण में परिकल्पित उत्पादन स्तर प्राप्त कर लेगा । चूंकि इस्पात के मूल्य सभी कारखानों के लिए समान आधार पर निश्चित किये जाते हैं तथा कारखाने विशेष की उत्पादन लागत पर निश्चित नहीं किये जाते हैं अतः कारखाने की प्रारंभिक अवस्था के लिए दी गई भारी कर्ज की राशि पर ब्याज की बड़ी मात्रा के परिणामस्वरूप कारखाने को काफी घाटा उठाना पड़ता । चूंकि कारखाने के 40 लाख टन के स्तर को 1975–76 में चालू करने के पश्चात् वांछित उत्पादन दर प्राप्त करने में लगभग 3–4 वर्ष का समय लगेगा अतः सरकार ने निश्चय किया है कि बोकारो इस्पात कारखाने को दिये गये सभी प्रकार के ऋणों पर 1978 तक ब्याज देने से छूट दी जाय ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण के अनुसार सरकार ने बोकारो स्टील लिमिटेड को दिये गये ऋणों पर मार्च, 1978 तक ब्याज न लेने का निर्णय किया है । मैं जानना चाहता हूं कि मार्च, 1978 की अवधि तक दिये गये ऋणों पर अनुमानतः कुल कितना संचयी ब्याज एकत्र हो जायेगा ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : हमने जो प्राक्कलन तैयार किये हैं, उनके अनुसार यदि ऋण साम्य का अनुपात एक के मुकाबले एक है तो 1972–73 से 1981–82 की अवधि अर्थात् कह सकते हैं कि इन आठ वर्षों के लिये 378.90 करोड़ रुपये की राशि का कुल ब्याज परिव्यय होगा । यदि ऋण साम्य का अनुपात एक के मुकाबले तीन कर दिया जाये, तो स्वभावतः स्थिति में परिवर्तन

हो जाता है, तब 166.80 करोड़ रुपये के लगभग ब्याज परिव्यय निकलेगा और कुल वास्तविक मूल्य के आधार पर कह सकते हैं कि कम्पनी को 24.34 करोड़ रुपये का लाभ होगा । तथापि, यदि यह ब्याज कुल वास्तविक मूल्य के आधार पर नहीं लिया जाता है अपितु, मूल्य ह्रास को भी शामिल कर लिया जाता है, तो उस स्थिति में हानि अधिक होगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण के अनुसार इस संयंत्र को आर्थिक दृष्टि से लाभ तभी होगा जब यह 40 लाख टन वाले उत्पादन स्तर को प्राप्त करेगा । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह अनुमान है कि अन्य स्थितियों के अतिरिक्त, वर्ष 1975–76 तक 40 लाख टन के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जायेगा और यदि हां, तो क्या उसके बाद संयंत्र को लाभ होने की आशा है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मेरे विचार से वर्ष 1975–76 तक हम 40 लाख टन के कुल उत्पादन को प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे । इन विशिष्ट आंकडों को प्राप्त करने में हम कब समर्थ होंगें, इस समय इसका निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है क्योंकि इसका यह आशय है कि हम शत प्रतिशत उपयोग के बारे में लक्ष्य बना रहे हैं । इस्पात संयंत्र में निर्माण-कार्य की अवधि सदैव थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि सभी उपकरणों को स्थापित करने के बाद भी, जिससे हम 40 लाख टन का उत्पादन करने में समर्थ होंगे, किसी देश में यह संयंत्र प्रायः दो अथवा तीन वर्ष का अधिक समय और ले लेता है ।

श्री पीलू मोदी : मैं जानना चाहता हूँ कि इस इस्पात संयंत्र पर पूंजी लगाने का यह अनूठा तरीका क्यों प्रयोग किया गया है । यदि बोकारो इस्पात संयंत्र लिये गये ऋणों पर ब्याज नहीं दे सकता है तो बोकारो इस्पात संयंत्र से बकाया ब्याज के लेने के उद्देश्य से सरकार द्वारा इस संयंत्र को और अधिक ऋणों को क्यों नहीं दिया गया है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : मेरे विचार से सरकार सभी पहलूओं पर विचार करके ही इस बारे में निर्णय करती है ।

श्री पीलू मोदी : जिससे बोकारो कल्पित लाभ दिखा सके ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अकेले बोकारो स्टील लिमिटेड को ही विशेष रियायत दी गई है अथवा किसी अन्य सरकारी उपक्रम को भी इस तरह की रियायत दी गई है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : सरकार के अधीन अन्य समस्त सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं और इस लिये इस प्रश्न का मैं सीधा उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री त्रिदिब चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय हमें इस बात की कोई जानकारी दे सकते हैं कि बोकारो संयंत्र पर लिये गये विदेशी ऋणों पर हमें कितनी राशि ब्याज के रूप में देनी पड़ेगी ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : माननीय सदस्य इसके लिये अलग से प्रश्न पूछें, तभी मैं उन्हें इसका उत्तर दे सकता हूं ।

कच्छतीव द्वीप के स्वामित्व के बारे में भारत श्रीलंका समझौता

*393. **श्री एम० सी० सामन्त** :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छतीव द्वीप के स्वामित्व के बारे में सरकार का श्रीलंका की सरकार के साथ कोई समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) कच्छतीव द्वीप की प्रभुसत्ता के प्रश्न पर भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच अब भी विचार विमर्श हो रहा है । जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा भारत और श्रीलंका दोनों ने मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना से इसे तय करने की इच्छा व्यक्त की है ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस मामले पर भारत और श्रीलंका के मध्य किस स्तर पर विचार-विमर्श हुआ है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह मामला दो या तीन स्तरों पर विचार विमर्श का विषय रहा है ।

श्री के० मनोहरन : उनका आशय 'तीन स्तरों पर' से क्या है ?

श्री पीलू मोदी : पानी के नीचे क्या चीज हमारी है और पानी के ऊपर क्या चीज हमारी है ?

श्री एस० सी० सामन्त : इस मामले पर किसने भारत सरकार का ध्यान दिलाया ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय पूर्व इस सदन द्वारा सरकार का ध्यान दिलाया गया था ।

श्री स्वर्ण सिंह : कुछ समय पूर्व ही यह मामला इस सभा में उठाया गया था ।

श्री पीलू मोदी : वह वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं ।

Shri Shankar Dayal Singh : Whether government is aware that Shri Ramchandra had established Kachchativu as has been mentioned in the Balmiki Ramayana ? Whether the Government has quoted the reference of that portion of Balmiki Ramayana while making its claim ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें रामायण पढ़ने का नोटिस दिया जाये ।

Shri Shankar Dayal Singh : I would like to say that he should give this reference.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्हें इस को फिर से देखना चाहिये लेकिन हमने सब कुछ पढ़ लिया है।

हिन्द महासागर को बड़ी शक्तियों की आपसी होड़ से मुक्त रखने का उद्देश्य

*395. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर की बड़ी शक्तियों की आपसी होड़ से मुक्त रखने के उद्देश्य में हमें कितनी सफलता मिली है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ सम्बन्धित देशों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा है ; और

(ग) इस महासागर में भारत की प्रभुत्वपूर्ण स्थिति बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने लुसाका घोषणा का समर्थन किया है और वह 1 दिसम्बर, 1971 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव सं० 2832 (छब्बीस) के सह प्रस्तावकों में भी एक थी, जिसमें सभी बड़े राष्ट्रों से यह कहा गया था कि वे हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाए रखें।

(ख) हमने यू० के०, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ का ध्यान लुसाका घोषणा की ओर दिलाया है। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ सरकार ने तो यह बताया है कि उन्होंने अधिकांश तटवर्ती देशों के उन विचारों पर ध्यान दिया है, जो इस घोषणा में व्यक्त किए गए है, किन्तु अन्य सरकारों की ओर से कोई उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन सभी बड़े राष्ट्रों की नौसेनाएं हिन्द महासागर में मौजूद हैं।

(ग) 13 मार्च, 1972 को संसद में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बद्ध अंश की ओर माननीय सदस्य का ध्यान दिलाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति ने कहा--

"भारत नेतृत्व या प्रभुत्व नहीं चाहता और न वह यह बर्दाश्त करेगा कि किसी का प्रभुत्व इस पर हो, हम तो यही चाहते हैं कि यह उप महाद्वीप, और सच तो यह है कि सम्पूर्ण दक्षिण एशियाई प्रदेश, और हिन्द महासागर का क्षेत्र, शक्ति प्रतिस्पर्धा या प्रभुत्व से मुक्त रहे और यह क्षेत्र मुकाबले का क्षेत्र न होकर शान्ति और सहयोग का क्षेत्र बने।"

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या यह सच है कि समुचित राजनीतिक वातारण को बनाये रखने और हिन्द महासागर क्षेत्र में बड़ी शक्तियों को आपसी होड़ से निरुत्साहित करने के बारे में लुसाका सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ देशों ने तटवर्ती राज्यों का एक सम्मेलन बुलाने के लिये भारत सरकार से पहल करने का अनुरोध किया है ?

दूसरे, क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने रूस के मुख्य सेनापति से उनकी हाल की यात्रा के दौरान इस मामले को उठाया था और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले प्रश्न के बारे में हमें किसी तटवर्ती देश अथवा किन्हीं तटवर्ती देशों के समूह ने एक सम्मेलन को बुलाने के बारे में पहल करने के लिये नहीं कहा है।

दूसरे प्रश्न के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ सरकार के साथ हमने इस मामले को उठाया है। किसी विशिष्ट सेवा के मुख्य अधिकारी के स्तर पर इस मामले के प्रश्न को उठाने का औचित्य दिखाई नहीं देता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस के हिन्द महासागर के क्षेत्र में नियमित नौसैनिक अड्डे हैं? अमरीका और पश्चिम यूरोपीय देशों के वक्ताओं ने कहा है कि अपने कारणों के परिणाम स्वरूप हिन्द महासागर में उनके महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डे बने हुए थे। क्या यह सच है कि रायल एयर फोर्स के विमान दोबारा तेल भरने के लिये कार निकोबार द्वीपसमूह में उतरते हैं और इस तरह के उतरने के समझौते संबंधी व्यवस्था विद्यमान है?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले प्रश्न के संबंध में मैंने पहले उत्तर दे दिया है। हिन्द महासागर में संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन को दी गई सुविधाओं के बारे में मैंने उत्तर दे दिया है। इस प्रश्न के बारे में मैंने इससे पहले के अवसरों पर उत्तर दिया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब मैं कार निकोबार द्वीपसमूह में गया तो मैंने इसको स्वयं देखा है। रायल एयर फोर्स के विमान तेल भरने के लिये अथवा दोबारा उड़ान भरने के उद्देश्य से कार निकोबार द्वीपसमूह में उतरते हैं। यदि आप इससे इंकार करते हैं, तो मेरे विचार से आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : इस समय सदस्य कह रहे हैं कि उनके पास जो जानकारी है वह इसके विपरीत है। मैं इस बारे में अपने सहयोगी रक्षा मंत्री से पूछ-ताछ करूंगा। लेकिन यदि उनके पास यह जानकारी थी, तो इस प्रश्न के पूछने का क्या आशय था? जानकारी प्राप्त करने की बजाय वह अपनी जानकारी दे रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह आपकी अनुमति से अथवा बिना आपकी अनुमति के किया गया था?

श्री समर गुह : मैं भी वहां पर उपस्थित था; मैं इस बारे में जानता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। श्री समर गुह और मैंने एक शिष्टमंडल की ओर से अंडमान का दौरा किया। हमें पता है कि रायल एयर फोर्स के विमान कार निकोबार द्वीपसमूह में उतरे थे। हमने स्थानीय अधिकारियों से इस बारे में पूछा है। स्थानीय अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने 'हां' कहा है कि ये विमान तेल भरने और दोबारा उड़ान भरने के उद्देश्य से प्रायः यहां पर आते हैं। क्या मंत्री महोदय सभा को बताने की कृपा करेंगे.... **(अन्तर्बाधा)**

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान्, इस सदन का मजाक उड़ाया गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है । माननीय सदस्य द्वारा इस मामले के उठाने पर मैंने कहा है कि मैं अपने सहयोगी, रक्षा मंत्री से इसकी छान-बीन करूंगा । लेकिन साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि पारस्परिक सुविधायें भी होती हैं । जिन्हें ब्रिटेन सरकार ने मध्य-पूर्वी और अन्य अनेक हवाई अड्डों के लिये देना स्वीकार किया है और इसलिये यदि भारतीय वायु सेना के साथ कोई पारस्परिक व्यवस्था है, तो मैं उसकी पड़ताल करना चाहूंगा । मैंने इसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह उत्तर अत्यन्त असंतोषजनक है । इस समय उन्होंने कहा है कि कोई पारस्परिक व्यवस्था है क्योंकि भारतीय वायु सेना को इसी प्रकार की सुविधायें वे प्रदान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ । माननीय मंत्री महोदय जानबूझ करके इस सदन को गुमराह कर रहे हैं । उन्होंने गलत सूचना दी थी।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पहले उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है । अब वे कहते हैं कि उन्हें अपने सहयोगी से पूछना है। क्या मंत्रीमंडल नीतियों को निर्धारित नहीं करता है और क्या वे संयुक्त रूप से कार्य नहीं करते हैं? मैं एक गम्भीर प्रश्न पूछना चाहता हूँ । इसी समय मैं उन पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाता हूँ ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य बोलने में शालीन हों और इस सदन का उसी तरह सम्मान करें, जैसा कि मैं करता हूँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है । वह एक वरिष्ठ मंत्री है वह विदेश-कार्य मंत्री हैं । उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया है .... (**अन्तर्बाधा**) यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । आप इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह गम्भीर मामला नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप उनका बचाव करना चाहते हैं । आप सरकार का बचाव कर रहे हैं । .... (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये।

श्री ज्योतिर्मय बसु: मैं नहीं बैठता। मैं निर्वाचित सदस्य के रूप में यहां आया हूँ । मुझे इस प्रश्न को पूछने का अधिकार है । यदि वे झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, तो उसे मैं सहन नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूं । वह पीठासन अधिकारी के प्रति अशिष्ट न बनें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। माननीय मंत्री हमें इसी समय बतायें....

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि माननीय सदस्य के पास यदि कोई इस तरह की जानकारी है तो वह इसके बारे में रक्षा मंत्री से बातचीत करेंगे ।

श्री पीलू मोदी : मैं इस बात को मान सकता हूँ कि मंत्री महोदय कभी कभी गलती करें । लेकिन, मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य को बाद में जो कहा है कि 'यदि आप के पास जानकारी है तो आप प्रश्न को क्यों पूछते हैं'? मुझे यह ठीक नहीं लगा है। मेरे विचार से यह अत्यन्त आपत्तिजनक बात है। कोई गलतियाँ तो कर सकता है। अन्य मनुष्यों के समान वह भी मानव हैं और इसलिये वह जितनी चाहें गलतियां कर सकते हैं और हम उन गलतियों को नजर अन्दाज कर देंगे लेकिन हम इस तरह की टिप्पणी पसन्द नहीं करते हैं। जो उन्होंने कही है कि यदि आप के पास उत्तर है तो आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके अतिरिक्त वे कहे जा रहे हैं कि वे रक्षा मंत्रालय में अपने सहयोगी से पूछेंगे। क्या वे सामूहिक रूप से कार्य नहीं करते हैं ? यह नीति का विषय है और मंत्रीमंडल द्वारा निर्णय किया जाता है कि क्या एक विदेशी सुरक्षा सेवा विमान को उतरने, तेल भरने और जांचने की अनुमति दी जायेगी। ये उच्च नीति के और महत्वपूर्ण मामले हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वे इसकी जांच-पड़ताल करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लेकिन प्रश्न यह है कि आप मंत्रियों द्वारा इस सभा के साथ किस प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वे हमारे साथ झूठ बोले और इससे बच जायें ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी भूल मान ली है।

श्री स्वर्ण सिंह : क्योंकि माननीय सदस्य ने उत्तेजना के साथ वक्तव्य दिया है, इसलिये मैं आपकी अनुमति से स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूँ ।

जहां तक श्री पीलू मोदी द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है तो यदि कोई जानकारी माननीय सदस्यों द्वारा दी जाती है, "मैं इस जानकारी को प्राप्त करता हूँ" मंत्रियों के प्राय: यह कहने की परम्परा है। क्योंकि माननीय सदस्य ने यहीं पर ब्यौरा दिया है तो मैं निश्चय ही अपने सहयोगी रक्षा मंत्री से बातचीत करके इसकी जांच करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपको और मेरे विरोधी माननीय मित्र जो इस समय उत्तेजित हैं, तथा इस सदन को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस सदन को गुमराह करने का मेरा कोई विचार नहीं है और इस बारे में कुछ छुपाया नहीं जा रहा है....

श्री ज्योतिर्मय बसु : जान बूझ करके झूठ बोला गया है।

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने यह भी बताया है कि आई० ए० एफ० और आर० ए० एफ० के मध्य पारस्परिक व्यवस्था है....

श्री के० मनोहरन : उन्होंने यह बात आखिर में कही है। रक्षा मंत्री होने पर, उन्हें यह पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिये, लेकिन दुर्भाग्य की बात है .....

अध्यक्ष महोदय : वह रक्षा मंत्री नहीं है अपितु विदेश मंत्री हैं।

एक माननीय सदस्य : पहले वह स्वयं रक्षा मंत्री थे।

श्री के० मनोहरन : पहले उन्होंने इसका जोरदार खंडन किया और बाद में उन्होंने यह बात कही है। माननीय मंत्री दूसरे मंत्रालय के संचालन के बारे में अनभिज्ञता नहीं दिखा सकते हैं....

श्री ज्योतिर्मय बसु : पहले वह स्वयं ही रक्षा मंत्री थे।

श्री के० मनोहरन : आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहता हूँ। कुछ समय पूर्व वह स्वयं रक्षा मंत्री थे और उन्हें मालूम होना चाहिये कि क्या हो रहा था....

श्री ज्योतिर्मय बसु : जानबूझ करके झूठ बोला गया है। यही कारण है कि हम इतने उत्तेजित हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : क्योंकि माननीय सदस्य एक बात को ही दोहरा रहे हैं, अतः मैं कहना चाहता हूँ कि यदि यहां कोई ब्यौरा दिया जाता है तो उसे कल अथवा परसों सुधार दिया जा सकता है। लेकिन एक ही प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्य द्वारा जोरदार शब्दों में बार-बार कही गई बात पर मैं विचार करने और अपने सहयोगी से परामर्श करने के लिये तैयार हूँ। इस रवैये की सराहना करने की बजाय, बिना किसी उद्देश्य के वह अनावश्यक रूप से इस बात को तूल दे रहे हैं। उनके ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, इसे मैं नहीं जानता हूँ।

एक माननीय सदस्य : उनका उद्देश्य हंगामा खड़ा करना है।

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने जानबूझ करके सदन को गुमराह किया है। उन्होंने जानबूझ कर के तथ्यों को छिपाया है। मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं....

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही प्रश्न काल को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने विरोध प्रकट किया है और यही पर्याप्त होना चाहिये लेकिन वह बोलते ही जा रहे हैं। जो कुछ वह कहते है, उसकी कुछ तो सीमा होनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब कोई सदन में झूठ बोलता है, तो किसी बात की कोई सीमा नहीं होती। इसकी सीमा आकाश है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिजली की कम सप्लाई के कारण रूरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन कम होना

*386. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कम सप्लाई के कारण रूरकेला इस्पात संयंत्र के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां ।

(ख) हाट स्ट्रिप मिल, टैण्डम मिल तथा उर्वरक संयंत्र में इस वर्ष के मार्च महीने से उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है । मार्च में तथा 9 अप्रैल तक उत्पादन में अनुमानत: निम्नलिखित हानि हुई है :—

	मार्च 1972	अप्रैल 1972
	(टन)	(टन)
हाट स्ट्रिप मिल	6,500	720
टैण्डम मिल	4,000	500
उर्वरक संयंत्र (कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट)	3,830	..

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं :

1. आपूर्ति में सुधार करने के लिए उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है ।
2. लोड-शेडिंग कार्यक्रम तथा अपेक्षाकृत गैर-आवश्यक कामों में बिजली की खपत को कम करके बिजली बचाई जा रही है ।
3. सिन्टरिंग संयंत्र, आक्सीजन संयंत्र और विद्युत आर्क भट्टियां जैसी इकाइयों के परिचालन में भी विभिन्न मात्रा में कमी की गई है ।
4. कारखाने के एक जनरेटरों में हो रहे भारी मरम्मत के काम को शीघ्रता से पूरा किया जा रहा है ।

राजस्थान में लौह-अयस्क का उत्पादन

*389. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) राजस्थान में दौसा लौह-अयस्क खानों से लौह अयस्क का कितना वार्षिक उत्पादन होता है ;

(ख) क्या वहां लौह-अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और उस संयंत्र के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) कलाजपुरो खान से, जो सोपस्टोन खनन की अनुषांगिक थी, 1971 में लगभग 56 टन की मात्रा के उत्पादन को छोड़कर, राजस्थान में दौसा के निकट की लौह अयस्क खानों से विगत दो वर्षों के दौरान लौह अयस्क के उत्पादन होने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

Indian Labour Conference, 1971

*390. **Shri Jagannathrao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 654 on the 18th November, 1971 and state :

(a) the action taken on the conclusions arrived at the Indian Labour Conference held in October, 1971; and

(b) the schemes under consideration of Government to implement them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) Pursuant to the Conclusions of the Conference, Government have introduced two Bills, one relating to the amendment of the Industrial Disputes Act, 1947 to provide for two months' notice by employers before closure of an undertaking and, the other, to provide for the payment of gratuity by employers. Government have also decided to constitute a Committee to review the Payment of Bonus.

रूस का बोकारो इस्पात कारखाने से ढलवां लोहा खरीदने का प्रस्ताव

*391. **श्री बक्शी नायक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने बोकारो इस्पात कारखाने से ढलवां लोहा खरीदने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो रूस द्वारा कितना ढलवां लोहा खरीदा जायेगा ; और

(ग) इससे बोकारो इस्पात कारखाने को उतना माल निकालने में कितनी सहायता मिलेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) सोवियत प्राधकारियों को भारत से कच्चे लोहे का निर्यात करने की पेशकश की गई है । अभी बातचीत चल रही है। सम्भवतः हिन्दुस्तान स्टील लि० के भिलाई इस्पात कारखाने से तथा बोकारो स्टील लि० से माल की सप्लाई की जायेगी ।

रिपेट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक मद्रास में धनराशि की कमी

*394. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनराशि की कमी के कारण रिपेट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक मद्रास के कार्य में गतिरोध आ गया है ;

(ख) यदि हां, तो बैंक को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या बैंक के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने हेतु प्रबन्ध निदेशक ने कुछ नई योजनाओं के सुझाव दिये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

Expansion of Foreign Cultural Centres in India on the basis of National requirements

*398. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the foreign Cultural Centres located in India are allowed to expand theit activities according to the country's requirements only; and

(b) if so, the basis for determining such national requirements ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The basis for determining our national requirements in the field of culture is, by and large, the same as in other fields, namely development of friendly relations and understanding without any determent to our own national interests.

बंगला देश के लिए इस्पात संयंत्र का निर्माण

*399. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बंगला देश के औद्योगिक विकास के लिए इस्पात संयंत्र के निर्माण की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) बंगला देश में औद्योगिक प्रायोजनाओं की स्थापना के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन सहयोग के संदर्भ में बंगला देश की सरकार के प्रतिनिधियों को अन्य बातों के साथ-साथ भारत में लोहा और इस्पात के क्षेत्र में विकसित विशेषज्ञ जानकारी के बारे में और भारतीय स्रोतों से सप्लाई किये जा सकने वाले उपकरणों के बारे में बता दिया गया है। इस समय कोई ठोस प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एम्प्लाईज प्राविडेंट फन्ड स्टाफ फेडरेशन का मांग पत्र

*400. **श्री एस० एम० बनर्जी** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया एम्प्लाईज प्राविडेंट फन्ड स्टाफ फेडरेशन ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिकारियों को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या उक्त फेडरेशन ने इस आशय का एक नोटिस भी दिया है कि यदि उनकी मांगों के बारे में तीन महीने के भीतर निर्णय नहीं किया गया तो वह कोई सीधी कार्यवाही करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो सन्निकट श्रमिक अशान्ति का शान्तिपूर्ण वार्ता द्वारा परिहार करने के ने प्राधिकारियों लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) भविष्य निधि निम्न प्रकार सूचना दी है:—

अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी वर्ग संघ ने, जो कि एक मान्यता प्राप्त निकाय है, 29 जनवरी, 1972 को एक "मांग पत्र" पेश किया है और धमकी दी है कि यदि ये तीन महीने की अवधि के दौरान तय नहीं हो जातीं तो वह बिना अगला नोटिस दिए ऐसी कार्यवाही के रास्ते को अपनायेंगे जो उन्हें उचित लगे। इस पत्र पर कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 4 मई, 1972 को होने वाली अगली बैठक में विचार किया जाएगा ।

पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों का स्वदेश वापस भेजना

2694. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों को स्वदेश वापस भेजने के बारे में कोई निश्चय करने से पहले भारत सरकार तत्सम्बन्धी विषयों पर बंगला देश की सरकार के साथ विचार-विमर्श करेगी ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : पाकिस्तानी सैनिकों ने पूर्वी क्षेत्र में भारत एवं बंगला देश की सेनाओं के संयुक्त कमान के समक्ष आत्म-समर्पण किया था और दोनों देशों की सरकार की ओर से उन्हें हमारे यहां हिरासत में रखा गया है। अतः, युद्ध-बंदियों की वापसी से सम्बद्ध सभी विषयों पर भारत सरकार द्वारा बंगला देश सरकार के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा ।

राजस्थान से पाकिस्तान को देशान्तरगमन

2695. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान से बहुत से व्यक्ति पाकिस्तान चले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान कितने व्यक्ति राजस्थान से पाकिस्तान गये ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) पिछले छः महीनों में लोग राजस्थान से पाकिस्तान नहीं गए हैं।

बंगला देश को खाद्यान्न की सप्लाई

2696. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मार्च 1972 के समाचार पत्र "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित होने वाले इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बंगला देश को 500,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न की सप्लाई करने के आश्वासन में केवल 70,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न की सप्लाई की गई है ; और इससे उस देश में अकाल की स्थिति आ सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अधिक खाद्यान्न भेजने के लिए कार्यवाही की जा रही है और इस संबंध में क्या योजनाएं बनाई गई हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह रिपोर्ट ठीक नहीं है। 17 मार्च 1972 तक 1,14,924 मी० टन खाद्यान्न बंगला देश को भेजा गया है। अब पहले किये गए 500,000 मी० टन के वायदे और 250,000 मी० टन के नए वायदे का पूरा माल मई माह की समाप्ति तक भेजने का प्रस्ताव है (जबकि पहली लक्ष्य तिथि जून के अंत तक रखी गई थी)।

उत्तर प्रदेश में खनिजों के निक्षेपों के बारे में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

2697. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री उत्तर प्रदेश में खनिजों के भण्डारों के बारे में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में 3 जून 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1250 के भाग (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य में के निक्षेप जिन में समुपयोजन प्रतिक्षित है और उनमें नियोजन की गुंजाइश संक्षिप्ततः निम्नलिखित है :—

(1) **देहरादून जिले के कालसी चूना-पत्थर निक्षेप** :

यह क्षेत्र भारतीय सिमेंट निगम के पट्टाधीन है और इसके समुपयोजनार्थ उसकी योजनाएं अभी विदित नहीं है। अतः इस समय यह बताना संभव नहीं है कि उद्योग में कितने व्यक्ति नियोजित किए जाएंगे।

(2) **अल्मोड़ा जिले के झिरोली-मैंगनेसाइट निक्षेप** :

यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश औद्योगिक निगम लिमिटेड के पट्टाधीन है जो निर्जीव दुग्ध (ड्यड बर्न्ट) मैगनेसाइट बनाने के लिए निक्षेपों का तत्काल समुपयोजन करेगा और जिनके लिए मैसर्स बेलपहाड़ रिफैक्ट्रीस लिमिटेड के सहयोग से अल्मोड़ा जिले के माटेला ग्राम में संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। "अल्मोड़ा मैगनेसाइट लिमिटेड" नामक नई कम्पनी निगमित की जा रही है और प्रायोजना का निष्पादन हाल ही में प्रारम्भ हुआ है। संयंत्र से निर्जीव दग्ध मैगनेसाइट के प्रतिदिन 100 टन का उत्पादन नियत है। प्रायोजना 699 व्यक्तियों को नियोजित करेगी जिसमें दोनों दक्ष और अदक्ष (259 व्यक्ति प्रबन्धकीय पर्यवेक्षी, दक्ष और अर्ध-दक्ष श्रेणी के और शेष 440 अदक्ष श्रेणी के होंगे) व्यक्ति सम्मिलित हैं।

(3) **पिथौरागढ़ जिले के चांदग मैगनेसाइट निक्षेप** :

अनेक दलों ने क्षेत्र में खनन पट्टे के लिए आवेदन दिए हैं जिनके मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(4) **अल्मोड़ा जिले के पुंगेर घाटी क्षेत्र के मैगनेसाइट निक्षेप** :

यह निक्षेप अब तक राज्य सरकार द्वारा भविष्य में समुपयोजनार्थ आरक्षित हैं।

(5) **देहरादून और टेहड़ी गढ़वाल जिलों के फौस्फोराइट निक्षेप** :

उपलब्ध फौस्फोराइट निम्न श्रेणी (15% से 25% P_2O_5) का है अतः उर्वरक उद्योग में प्रयुक्त नहीं हो सकता है। सामग्री की श्रेणी वर्धन के लिए औद्योगिक परीक्षण किये जा रहे हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र के कंस्ट्रक्शन इंजीनियरों द्वारा अभ्यावेदन

2698. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के कंस्ट्रक्शन इंजीनियरों ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि संयंत्र के कंस्ट्रक्शन आरगेनाइजेशन को स्थाई बनाया जाए ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदनों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में कहा गया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर निर्माण कार्य करने तथा मरम्मतों के बड़े बड़े काम करने आदि के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित तथा अनुभवी हैं, निर्माण संगठन को स्थायी बना दिया जाय। फिर भी यदि निर्माण संगठन को हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के साथ मिलाना पड़े तो इंजीनियरों को उनकी वर्तमान सेवा शर्तों के पूर्ण संरक्षण के साथ स्थानान्तरित समझा जाय।

(ग) इस बारे में हिन्दुस्तान स्टील लि० तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० के बीच बातचीत चल रही है।

बंगला देश में 1970 के चुनाव से पूर्व भारत में बंगला देश के शरणार्थियों की वापसी

2699. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 11 लाख शरणार्थियों, विशेषकर खुलना, जैसूर, फरीदपुर, पैरूजपुर और बारीसाल से बंगला देश में 1970 के चुनाव से पूर्व आये शरणार्थियों की वापसी के लिए बंगला देश सरकार से कोई बातचीत की है ;

(ख) क्या इन अल्प-संख्यक लोगों को याह्याखां सरकार ने उन दिनों में निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने बंगला देश में 1970 के निर्णायक चुनावों के दौरान अवामी लीग और शेख मुजीबुर्रहमान का समर्थन किया था ; और

(ग) इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) शरणार्थियों को बंगला देश वापस भेजने के संबंध में सरकार द्वारा केवल उनके लिए व्यवस्था की गई थी जो कि 25 मार्च, 1971 से पूर्व भारत आए थे और जो विदेशियों के रूप में पंजीकृत किए गए थे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत वे व्यक्ति नहीं आते जो 26 मार्च, 1971 से पूर्व प्रवासी के रूप में भारत आए थे और जिन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है या कर रहे हैं। 26 मार्च, 1971 से पूर्व आए परिवारों के बारे में वर्तमान नीति यह है कि वर्तमान आदेशों के अनुसार भारत में पुनर्वास की दृष्टि से उन्हें राहत तथा पुनर्वास सहायता मिलती रहेगी। तथापि, भारत सरकार को प्रवासियों की बंगला देश जाने की इच्छा के बारे में जानकारी है। इस प्रश्न पर कि क्या बंगला देश सरकार से इस मामले पर चर्चा की जा सकती है, उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा।

(ख) 1970 के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आने का कारण पूर्वी पाकिस्तान में रहने के लिए असुरक्षा की स्थितियां, आर्थिक संकट और अल्प संख्यक समुदाय के प्रति भेद-भाव पूर्ण बर्ताव था। चुनाव अभियान के दौरान सांप्रदायिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार से यह स्थिति और भी बिगड़ गई थी।

(ग) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खनन कम्पनियों को लाभ

2700. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खान कम्पनियों के लाभ के बारे में 10 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 400 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, 39 चयित कोयला कम्पनियों के बारे में उपलब्ध आधार सामग्री के आधार पर संकलित जानकारी के अनुसार, 1968–69 की तुलना में 1969–70 में इन कम्पनियों के लाभ में वृद्धि निम्न प्रकार से थी :

(लाख रुपयों में)

	1–4–68 से 31–3–69	1–4–69 से 31–3–70	% वृद्धि
i. कर लगाने से पूर्व का लाभ	271.05	384.11	41.7
ii. कर लगाने के पश्चात् का लाभ	100.56	254.29	142.9

यह उल्लिखित है कि वर्ष 1969–70 कोयला उद्योग के लिए सर्वोत्तम वर्ष रहा क्योंकि 1968–69 के 714.10 लाख टन के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 757.20 लाख टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ। इन कम्पनियों के बारे में 1968 और 1969 के कलैण्डर वर्षों के दौरान वेतन, मजदूरी और कल्याणकारी उपायों पर उपगत किया गया व्यय निम्न प्रकार से था:—

	1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1968 तक	1 जनवरी, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक
i. वेतन और मजदूरी (बोनस को सम्मिलित कर) (लाख रुपयों में)	3113.33	3291.16
ii. कर्मचारी कल्याण व्यय और भविष्यनिधि (लाख रुपयों में)	316.12	320.40
iii. उत्पादन का मूल्य (लाख रुपयों में)	6072.64	6749.00

	1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर 1968 तक	1 जनवरी, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक
iv. उत्पादन के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में वेतन और मजदूरी	51.3%	48.8%
v. उत्पादन के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में कर्मचारी कल्याण व्यय और भविष्य निधि	5.2%	4.7%

1970 वर्ष के लिए केवल 23 कोयला कम्पनियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है जो निम्न प्रकार से है:—

	1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक	1 जनवरी, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक	1 जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1970 तक
i. वेतन और मजदूरी (बोनस को सम्मिलित कर) (लाख रुपयों में)	2379.45	2575.78	2834.13
ii. कर्मचारी कल्याण व्यय और भविष्यनिधि (लाख रुपयों में)	236.68	249.68	247.38
iii. उत्पादन का मूल्य (लाख रुपयों में)	4643.91	5313.76	5618.46
iv. उत्पादन के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में वेतन और मजदूरी	51.2%	48.5%	50.4%
v. उत्पादन के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में कर्मचारी कल्याण व्यय और भविष्य निधि	5.1%	4.7%	4.4%

विदेशों में बसे भारतीय विशेषज्ञ

2701. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश** मंत्री विदेशों में बसे डाक्टरों और इंजीनियरों के बारे में 28 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3230 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) कनाडा और संयुक्त राज्य अमरीका के बारे में अभी सूचना एकत्र करनी है। इन देशों के क्षेत्र-विस्तार और वहां भारतीयों की आबादी बहुत होने के कारण इस काम में कुछ और समय लगेगा।

भारतीय नागरिकों द्वारा पाकिस्तान की यात्रा

2702. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विदेश** मंत्री पाकिस्तान गये भारतीय नागरिकों के बारे में 21 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2654 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सभी सुलभ सूचना इकठ्ठी करने की कोशिश की जा रही है । और इकठ्ठी होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

केरल में प्राकृतिक संसाधनों के लिए विमान से सर्वेक्षण

2703. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1972-73 में प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए विमान द्वारा और अधिक सर्वेक्षण करने का है ;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान विमान द्वारा सर्वेक्षण के लिए केरल के किसी क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां तो केरल में किया जाने वाला सर्वेक्षण किस प्रकार का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अलौहनिक्षेपों की अवस्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा फ्रांस के बी० आर० जी० एम० के साथ हस्ताक्षरित करार के अधीन, 1972–73 के दौरान राजस्थान, गुजरात, मध्य-प्रदेश और मैसूर राज्यों के भागों में हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण जारी रखे जा रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

1971–72 में सरकारी उपक्रमों में हड़ताले

2704. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971–72 में समूचे भारत में विभिन्न सरकारी उपक्रमों में मजदूरों द्वारा कुल कितनी हड़तालें की गईं ; और

(ख) इन हड़तालों के कारण काम में कुल कितने दिनों की हानि हुई ?

श्रम और पूनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) उपलब्ध अस्थाई जानकारी के अनुसार, 1971 के दौरान सारे भारत के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हुई हड़तालों की संख्या और इन हड़तालों के कारण नष्ट हुए श्रमदिनों की संख्या क्रमशः 288 और 841, 620 थी ।

अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के मुख्यालय को अन्य स्थान पर ले जाया जाना

2705. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के मुख्यालय को सैगोन से हटाने का प्रस्ताव भारत ने पेश किया है क्योंकि दक्षिण वियतनाम की सरकार ने निर्णय किया है कि भारती सदस्यों तथा अधिकारियों के 'वीसा' का नवीकरण न किया जाये ;

(ख) यदि हां तो इस प्रस्ताव पर अन्य सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले को आगे बढाने के बारे में सरकार के प्रयासों में क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) यदि दक्षिण वियतनाम सरकार भारतीय प्रतिनिधिमंडल के वीजा का नवीनीकरण नहीं करती तो उसके लिए भारत सरकार सहप्रधान तथा अन्य सर्वेक्षक राष्ट्रों जैसे कनाडा तथा पौलैंड से परामर्श करके अन्य संभव विकल्पों पर विचार कर रही है। लेकिन चूंकि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के वीजा का लगभग छः महीने के लिए नवीनीकरण हो गया है अतः अब इस समय सैगोन से आयोग के मुख्यालय को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

एशियन रीफ़ैक्टरीज लिमिटेड

2706. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियन रीफ़ैक्टरीज लिमिटेड के, जिसे सरकार ने हाल ही में अपने नियंत्रण में लिया है, अंशधारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) सरकार का उन्हें किस प्रकार मुआवजा देने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) एशियन रीफ़ैक्टरीज (एक्विजिशन् आफ अन्डरटेकिंग) एक्ट, 1971, के अनुसार सरकार ने एशियन रीफ़ैक्टरीज लि० उपक्रम को बिना किसी विल्लंगम के लिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी यूरोप के देशों से लोहा तथा इस्पात का आयात

2707. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अमरीकी आर्थिक सहायता बन्द हो जाने के कारण हमारे आयात में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए पूर्वी यूरोप के किसी देश ने और अधिक लोहा तथा इस्पात सप्लाई करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे सरकार रुपया भुगतान के आधार पर इस्पात का आयात करना चाहती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) अमरीका द्वारा भारत को आर्थिक सहायता बन्द कर देने से इस्पात की जो कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए पूर्वी यूरोप के किसी देश से इस्पात की अतिरिक्त मात्रा की सप्लाई के लिए विशेषरूप से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु 1972 की व्यापार योजना के अन्तर्गत पूर्वी यूरोप के कुछ देशों से इस्पात के आयात के लिए जो व्यवस्था की गई है वह वर्ष 1971 में की गई व्यवस्था से अधिक है।

लोह-अयस्क तथा केनाइट खानों का राष्ट्रीयकरण

2708. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास लौह-अयस्क तथा केनाइट की खानों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) मैसर्स भारतीय ताम्र निगम लिमिटेड के उपक्रम के भाग होने के कारण बिहार की कतिपय काइनाइट खानों को छोड़कर, जिनका कि 10 मार्च 1972 को प्रबन्ध ग्रहण किया गया था, लौह अयस्क अथवा काइनाइट खानों के राष्ट्रीयकरण का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पंजाब में गोविन्दगढ़ की पुनर्बेलन (री-रोलिंग) मिलों में एम० एस० राड तथा सेंगलों का बड़ी मात्रा में जमा हो जाना

2709. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० एस० राड्स में बदले गये एम० एस० इनगट्स तथा एंगिल आयरन की बहुत बड़ी मात्रा, सरकार द्वारा परमिट जारी न किये जाने के कारण, कई महीनों से पंजाब में गोविन्द गढ़ की पुनर्बेलन (री-रोलिंग) मिलों में जमा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आवश्यता से अधिक भंडार हो जाने तथा वितरण में विलम्ब करने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय बिलेटरीरोलर कमेटी द्वारा मण्डी गोविन्दगढ की रीरोलिंग मिलों को दिए गए बिलेटों से तैयार किये गये उत्पादों के व्यय में तथा कथित विलम्ब से है । रजिस्टर्ड बिलेट रीरोलरों (पंजाब में गोविन्दगढ़ मण्डी में स्थित मिलें भी शामिल है) को बिलेट का आवण्टन तथा रीरोलर मिलों द्वारा निर्मित उत्पादों के वितरण की व्यवस्था बिलेट रीरोलर कमेटी त्रैमासिक आधार पर करती है । कमेटी ने मण्डी गोविन्दगढ़ की सभी रजिस्टर्ड रीरोलिंग मिलों को समस्त बिलेट आपूर्ति अनुसूची के आधार पर जनवरी-मार्च, 1972 तक सभी तिमाहियों के लिए वितरण सूचियां जारी कर दी है। कमेटी को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इन रीरोलरों के पास तैयार उत्पादों का कोई ऐसा स्टाक पड़ा हुआ है जिसके लिए रीलीज आर्डर न दिए गए हों ।

इस्पात कारखानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए बनाए गए मकान

2710. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए बनाए गए मकानों को उन ठेकेदारों ने, जिन्होंने वहां अपने ठेके का कार्य समाप्त कर दिया है, इस दलील पर अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में किया हुआ है कि उन्हें अन्तिम रूप से बिलों का भुगतान कर दिया जाये ;

(ख) क्या ये तीन इस्पात कारखाने ठेकों की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों अथवा उनके निरीक्षक कर्मचारियों अथवा उनके श्रमिकों को मकान देने के लिए बाध्य हैं ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक इन तीन इस्पात कारखानों के कितने बंगले अथवा श्रमिकों के क्वार्टर हैं जिन पर अनधिकृत रूप से अधिकार है और उनका किराया कितना है ; और

(घ) सरकार का विचार इस संबंध में उनको बेदखल करने और हानि के लिए क्षतिपूर्ति लेने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (घ) राउरकेला तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखानों तथा ठेकेदारों के बीच हुए करारों की एक शर्त के अनुसार ठेकेदारों के पर्यवेक्षी कर्मचारियों और/अथवा श्रमिकों को कुछ निश्चित हद तक अथवा उपलब्धि के आधार पर मकान देने की व्यवस्था है । राउरकेला इस्पात कारखाने में ठेकेदारों ने पांच क्वार्टरों पर इस दलील पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है कि उन्हें अन्तिम रूप से बिलों का भुगतान नहीं किया गया है । दुर्गापुर इस्पात कारखाने में ठेकेदार को दिये गये एक मकान पर ठेकेदार के एक ऐसे कर्मचारी का अनधिकृत कब्जा है जो अब ठेकेदार की नौकरी में नहीं है । इन करारों के अधीन ठेकेदारों के अन्तिम रूप से बिलों के भुगतान रोकने के अलावा मकान खाली कराने के लिए इन ठेकेदारों के विरुद्ध कानूनी कदम भी उठाये जा रहे हैं । 16 मकान उन ठेकेदारों के कब्जे में है जिनकी ठेके की अवधि तथा काम समाप्त हो गये हैं । उन्होंने इन मकानों को इस आधार पर खाली नहीं किया है कि उनको कारखाने में अन्य ठेके मिल गये हैं और इसलिए उनका मकानों का रखना आवश्यक है । ऐसे मामले कारखाने के विचाराधीन है ।

पंजीकृत कार्मिक संघों को सुविधायें

2711. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक संघ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कार्मिक संघों को उद्योगों के अहातों अथवा इसके आसपास के स्थानों में सदस्यता शुल्क एकत्र करने, सूचना फलकों पर इश्तहार लगाने तथा सभाएं आदि करने की कुछ सुविधाएं दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कार्मिक संघ अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम और भारत के संविधान के अन्तर्गत पंजीकृत कार्मिक संघों को दी गई इस प्रकार की सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) श्रमिक संघ अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम और भारत के संविधान में इन सुविधाओं का उल्लेख नहीं है । तथापि, अनुशासन सहिता के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के अधिकार संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

अनुशासन संहिता के अन्तर्गत अमान्यता प्राप्त संघों की तुलना में मान्यता प्राप्त संघों के अधिकार

यह स्वीकार किया गया था कि अनुशासन संहिता के अधीन मान्यता प्राप्त संघों को अभी निम्नलिखित अधिकारों का उपभोग करना चाहिये :—

(1) प्रतिष्ठापन और संघ के प्रतिनिधि के मामले में, स्थानीय क्षेत्र के एक उद्योग में श्रमिकों के नियोजन की शर्तों से संबंधित सामान्य प्रश्नों पर प्रश्न उठाना या सामूहिक समझौते करना ;

(2) उपक्रमों की गृह सीमाओं में सदस्यता शुल्क सदस्यों के संघ को देय अंशदानों को एकत्र करना ;

(3) उन उपक्रमों में, जिनमें इनके सदस्य नियुक्त हैं, नोटिस बोर्ड लगाना या लगवाना और उनमें, बैठकों से संबंधित सूचनाओं, उनकी आय और व्यय के लेखे के विवरणों और अन्य ऐसी घोषणाओं, जो कि अश्लील, अशिष्ट या विद्रोह जनक या अनुशासन विनाशी या अन्यथा अनुशासन विरुद्ध ना हो, को चिपकाना या चिपकवाना ;

(4) औद्योगिक विवाद के रोकने या निपटारा करवाने के उद्देश्य से :

(क) जैसा कि परस्पर सम्मत हो, कार्यालय/फेक्ट्री/प्रतिष्ठान के आवासों के अन्तर्गत अनुकूल स्थान या स्थानों पर उन कर्मचारियों के साथ, जो संघ के सदस्य हैं, विचार-विमर्श करना;

(ख) उपक्रमों में नियुक्त इनके सदस्यों की शिकायतों के लिए, एक नियोजक या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को मिलना या उसके साथ विचार विमर्श करना ;

(ग) पहले प्रबंध करके, उस उपक्रम के, जिसमें इसका कोई भी सदस्य नियुक्त है, किसी स्थान का निरीक्षण करना ;

(5) किसी एक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण पद्धति के अन्तर्गत बनाई गई शिकायत निवारण समिति में अपने प्रतिनिधियों को नामित करना ;

(6) संयुक्त व्यवस्थापन परिषदों में अपने प्रतिनिधियों को नामित करना ; और

(7) असांविधिक द्विपक्षीय समितियों में प्रबंध मंडल द्वारा बनायी गयी उदाहरण के लिए केन्टीन समितियां, आवास आवंटन समितियां आदि पर, अपने प्रतिनिधियों को नामित करना ।

2— ऊपर निर्देशित अधिकारों में अब तक मान्यता प्राप्त संघों द्वारा उपभोग किए गए विशेषाधिकारों में, समझौते या प्रथानुसार कोई पक्षपात नहीं किया जायगा ।

रेलवे प्रशासन के तथा कार्मिक संघों के बीच विवादों को सुलझाने की प्रक्रिया

2712. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजीकृत कार्मिक संघों और नियोक्ता के मध्य विवादों को सुलझाने की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या रेलवे में 15 पंजीकृत कार्मिक संघ कार्य कर रहे हैं और क्या रेलवे प्रशासन इन पंजीकृत कार्मिक संघों द्वारा सौपे गए विवादों पर ध्यान नहीं दे रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन पंजीकृत कार्मिक संघों और रेलवे प्रशासन के मध्य समस्याओं और विवादों को सुलझाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और इसके अनुरूपी राज्य अधिनियम नियोजकों और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवादों की जांच करने और समझौता करवाने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करते हैं। इसके अतिरिक्त, अनुशासन संहिता और संयुक्त प्रबंध परिषद जैसी स्वैच्छिक व्यवस्थायें हैं जो ऐसे विवादों का समझौता कराने में प्रोत्साहन देती हैं ।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय के अनुसार रेलवे में कम से कम अठारह पंजीकृत कार्मिक संघ कार्य कर रहे हैं । अमान्यता प्राप्त संघों सहित कर्मचारियों की यथार्थ शिकायतों पर समुचित रेल प्राधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाता है किन्तु ऐसी अमान्यता प्राप्त संस्थाओं से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाता । औद्योगिक विवाद अधिनियम सभी रेल कर्मचारियों और संघों पर चाहे वे रेल प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त हों या न हों, समान रूप से लागू होता है ।

खनिज रियायतों सम्बन्धी नियम, 1970 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं के पास सम्पत्ति को बंधक रखना

2713. **श्री प्रताप सिंह नेगी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री खनिज रियायतों सम्बन्धी नियम, 1970 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं के पास सम्पत्ति को बंधक रखने के बारे में 10 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है जिसमें किसी खान को तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान समय पर स्वीकृत किया गया धन न मिलने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं और कितने मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

युद्ध बंदियों की रिहाई के लिये अमरीका का दबाव

2714. **श्री निहार लास्कर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका फिलपीन के माध्यम से भारत पर यह दबाव डालने का प्रयत्न कर रहा है कि वे एक पक्षीय कार्यवाही करके युद्ध बंदियों को रिहा कर दें ; और

(ख) क्या युद्ध बंदियों को पाकिस्तान भेजने से पूर्व बंगला देश सरकार से भी परामर्श किया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है ।

(ख) पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तानी युद्ध-बंदियों ने चूंकि भारत और बंगला देश की सेनाओं की संयुक्त कमान के समक्ष समर्पण किया था इसलिए उनका देश प्रत्यावर्तन भी भारत और बंगला देश की सरकारों के संयुक्त निर्णय के अनुसार ही होगा ।

"हिन्दालको" का विस्तार

2715. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हिन्दालको" ने उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) रेणुकूट (उत्तर प्रदेश) में ऐलूमिनियम द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए 'हिन्दालको' की विद्यमान उत्पादन क्षमता 37,000 टन प्रति वर्ष है । निगम ने क्षमता को 37,000 टन से बढ़ा कर 74,000 टन प्रति वर्ष करने के लिए आवेदन पत्र दिया है ।

श्रमिक समस्या के कारण राज्यों में उद्योगों का बन्द होना

2716. **श्री पी० एम० मेहता** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों से अनुरोध किया है कि श्रमिक-असन्तोष के कारण औद्योगिक एककों के बन्द होने के कारणों का अध्ययन किया जाए; और

(ख) विभिन्न राज्यों में कुल कितने उद्योग बन्द पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां, हाल ही में, श्रम मंत्रालय ने, एक ऐसा अध्ययन करने और ऐसे एककों को, जो श्रम समस्याओं के कारण बंद हो गए हैं, पुन: खुलवाने के प्रयत्न करने का अनुरोध, राज्य सरकारों से किया है।

(ख) साथ ही रखी किया गया विवरण, जो कि उपलब्ध सूचना का सार प्रस्तुत करता है, 1 अप्रेल, 1969 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि के दौरान बंद हुए कारखानों और 31 मार्च, 1971 को बंद पड़े कारखानों की संख्या को राज्यवार प्रकट करता है । जब कि बंदियों के कारणों

के बारे में यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है. बंदियों का कारण, कच्चे माल की कमी, वित्तीय कठिनाइयां, कुप्रबंध, श्रम संकट आदि हो सकता है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पिछले 2 वर्षों के दौरान बन्द होने वाले कारखानों की संख्या (1-4-69 से 31-3-71 तक की अवधि)	उन कारखानों की संख्या जो बंद रहे (जैसा कि 31-3-1971 को)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	647	559
2.	असम	226	215
3.	बिहार	168	159
4.	गुजरात	202	194
5.	हिमाचल प्रदेश	4	4
6.	जम्मू और काश्मीर	6	5
7.	केरल	293	184
8.	मध्य प्रदेश	23	23
9.	मैसूर	871	603
10.	मणिपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11.	नागालैंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं
12.	उड़ीसा	66	59
13.	पंजाब	19	19
14.	राजस्थान	121*	121†
15.	तमिलनाडु	22	16
16.	त्रिपुरा	3	3
17.	उत्तर प्रदेश	76	56
18.	पश्चिम बंगाल	531	336
19.	अण्डमान और निकोबार	कुछ नहीं	कुछ नहीं
20.	दिल्ली प्रशासन	21	15
21.	दादरा और नागरहवेली	15	8
22.	गोआ, दमन और दियु	23	23
23.	लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीव द्वीप समूह	कुछ नहीं	कुछ नहीं
24.	पांडिचेरी	3	कुछ नहीं

* राजस्थान के विकास में, कालम (3) में दी गई सूचना कलेण्डर वर्ष 1969 और 1970 से सम्बन्धित है।

† 31 दिसम्बर, 1970 की स्थिति दर्शाई गई है।

बचे खुचे नागा तथा मिजो विद्रोहियों के चीन जाते हुए बर्मा चले जाने के समाचार

2717. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में प्रशिक्षण के अड्डों के समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बचे खुचे नागा तथा मिजो विद्रोही चीन जाने के लिए बर्मा जाने का प्रयास कर रहे हैं ;

(ख) क्या कथित नागालैण्ड की फैजल सरकार के वित्त मंत्री श्री इस्क्वास्वन चवसांग क्षेत्र से होकर चीन चले गये हैं ; और

(ग) सरकार उनको चीन जाने से रोकने के लिए तथा उनकी भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस प्रकार की खबरें हैं कि बंगला देश में अपने गुप्त अड्डों को खोने के बाद, कुछ भारतीय मीजो विद्रोही, कुछ भारतीय नागा विद्रोहियों के साथ, नए गुप्त अड्डे स्थापित करने की इच्छा से, बर्मी क्षेत्र में घुस गए। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि जो नागा या मीजो दल बर्मा में घुसे वे चीन की ओर जा रहे हैं।

(ख) हमें कोई सूचना नहीं है।

(ग) नागालैण्ड सरकार, मणिपुर सरकार, मीजोरम प्रशासन और हमारे सुरक्षा सैनिक अपनी सीमाओं पर पूर्ण रूप से चौकस हैं और इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं।

बंगला देश सहायता निधि में कानपुर महापालिका का अंशदान

2718. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कानपुर महापालिका ने बंगला देश शरणार्थी निधि के लिए 25,000 रुपये देने का वचन दिया था तथा घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निधि का लेखा राज्य निधि में रखा गया था अथवा केन्द्रीय निधि में ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) नगर महापालिका कानपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने 29-3-1971 को एक संकल्प पारित किया था कि बंगला देश के लोगों के लिए चिकित्सा तथा अन्य सहायता के लिए राज्य सरकार से आवश्यक मंजूरी प्राप्त होने के बाद 25,000 रुपये की राशि दान में दी जायेगी। उक्त संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार को अभी हाल में ही मिला है और राज्य सरकार उसपर सक्रियता से विचार कर रही है।

दण्डकारण्य में कटक के तूफान पीड़ितों का बसाया जाना

2719. **श्री नादि चरण दास :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में उड़ीसा के कटक जिले के भूमिहीन लोगों, बाढ़ तथा तूफान पीड़ित आदिवासियों और हरिजनों को बसाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो इन पीड़ित लोगों को दण्डकारण्य में कब तक ले जाया जायेगा और इस संबंध में सरकार ने क्या प्रबन्ध किए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दण्डकारण्य में भेजे गये भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की बंगला देश जाने की इच्छा

2720. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री सी० चित्ति बाबू :

क्या **श्रम और पूनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने जिन को दण्डकारण्य परियोजना में बसाया गया था, अब बंगला देश जाने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इससे दण्डकारण्य बस्ती और परियोजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं जिससे वहां पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े ; और

(ग) क्या इस प्रकार आये और बसे हुए शरणार्थियों को बंगला देश सरकार वापस लेने को तैयार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 16 दिसम्बर, 1971 और 25 मार्च, 1972 के बीच परियोजना क्षेत्र से 6,000 से अधिक परिवार चले गए हैं। इनमें से 3,000 परिवार पुनर्वास स्थलों और गांवों से गए हैं और दूसरे 3,000 परिवार दण्डकारण्य के शिविरों से गए हैं । इन परिवारों ने परियोजना अपनी इच्छा से छोड़ी है और संभवतः ये लोग बंगला देश गए हैं ।

(ख) उन शरणार्थी परिवारों को जो पहले से दण्डकारण्य के शिविरों में हैं परियोजना के भीतर पुनर्वास स्थलों पर भेजने का प्रस्ताव है। ऐसे परिवारों को जो कुछ राज्यों के राहत शिविरों में रह रहे हैं ऊपर (क) में उल्लिखित परिवारों के चले जाने के कारण खाली हुए स्थानों को भरने के लिए दण्डकारण्य परियोजना में भेजने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस समय भारत सरकार द्वारा केवल उन व्यक्तियों के प्रत्यावासन की व्यवस्था की गई है जो 25 मार्च, 1971 के बाद भारत आए थे । इससे पूर्व आने वाले प्रवासियों की वापिसी का प्रश्न

उपयुक्त समय पर बंगला देश सरकार से उठाया जायेगा । इसलिए इस अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि पहले आए और बसाए जा चुके शरणार्थी बंगला देश को स्वीकार्य होंगे या नहीं ।

हिन्दुस्तान रबड़ वर्क्स, कलकत्ता का बन्द होना

2721. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान रबड़ वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता को उसके मालिकों ने बन्द कर दिया है, यदि हां, तो इसे किन कारणों से बन्द किया गया है ;

(ख) क्या इस कम्पनी के मालिकों ने भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमे के लिए अपने भाग का भुगतान कर दिया है ; और यदि नहीं, तो उनकी ओर कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) क्या सरकार इस फर्म के प्रबंध को अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं, सूचना मिली है कि कारखाना अब भी काम कर रहा है ।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा (कर्म० रा० बी०) और भविष्य निधि में दिए गए अंशदानों की स्थिति निम्न प्रकार सूचित की गई है :—

(1) **कर्मचारी राज्य बीमा** : सूचना मिली है कि नियोजक ने नियोजकों के विशेष अनुदानों का सितम्बर, 1970 तक भुगतान किया है और कर्मचारियों के अंशदानों का मई 1971 तक । सूचना मिली है कि सितम्बर, 1970 के बाद नियोजकों के विशेष अंशदान का दिसम्बर, 1971 तक 3,354 रुपये का भुगतान बकाया था और मई 1971 के बाद नवम्बर, 1971 तक कर्मचारियों के अंशदान के लगभग 890 रुपये बकाया थे ।

(2) **भविष्य निधि** : सूचना मिली है कि भविष्य निधि अंशदानों के कारण प्रतिष्ठान ने लगभग 44,000 रुपये की चूक की है ।

(ग) क्योंकि प्रतिष्ठान बंद नहीं हुआ है, प्रबंध के उत्तरदायित्व को लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

बंगला देश में रजिस्टर्ड तथा पश्चिम-बंगाल से लाई गई प्राइवेट मोटरगाड़ियां

2722. **श्री रण बहादुर सिंह** :
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित बंगला देश मिशन ने भारत सरकार की जानकारी में यह बात बताई है कि बंगला देश में रजिस्टर्ड कई प्राइवेट मोटरगाड़ियों को बिना अनुमति के पश्चिम बंगाल में लाया गया था और वहां पर उनका अनधिकृत रूप से प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ख) क्या भारत सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है तथा यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ।

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) बंगला देश की सरकार ने जनवरी-फरवरी, 1972 में निजी मोटर कारें बंगला देश से चोरी-छिपे भारत में लाने के बारे में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया था ।

(ख) जी हां उस समय भारतीय सेना प्राधिकारियों ने कार्रवाई की थी जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी कई निजी कारें हासिल की गई थीं और ढाका के पुलिस महानिरीक्षक को सौंप दी गई थीं कि वे उन्हें उनके असली मालिकों तक वापस पहुंचा दे। बंगला देश से भारतीय सेना के हट जाने के बाद निजी कारों के अनधिकृत आवागमन को रोकने की दिशा में और प्रगति हुई है। भारतीय सीमा-शुल्क प्राधिकारी परमिटों और दस्तावेजों की जांच पर जोर दे रहे हैं। उधर, बंगलादेश सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि जो कार-मालिक अपनी कारों को बंगला देश से बाहर ले जाए वे पहले इस आशय के एक बाण्ड पर दस्तखत अवश्य करें कि वे इन कारों को वापस लाएंगे ।

भारत में बंगला देश शरणार्थी शिविरों में भ्रष्टाचार

2723. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम में शरणार्थी शिविरों के प्रशासन में भ्रष्टाचार तथा कदाचार के बारे में उनके मंत्रालय को प्रशासन द्वारा अथवा जनता द्वारा कोई सूचना मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां, कुछ राज्यों में ।

(ख) उन राज्य शिविरों के संबंध में जिनका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता था, मिले हुए आरोपों की छान-बीन तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही के लिए राज्य के पुनर्वास प्राधिकारियों को भेज दिया जाता था । जहां तक केन्द्रीय शिविरों का संबंध है, केन्द्रीय सरकारी एजेन्सियों जैसे– शरणार्थियों के महानिदेशक या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आवश्यक विभागीय जांच की जाती थी । इस प्रकार की जांच के परिणामस्वरूप या तो विभागीय कार्यवाही की जाती थी या जहां कहीं इस प्रकार की कार्यवाही आवश्यक होती थी मामले पुलिस को भेज दिए जाते थे ।

दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों की अवहेलना

2724. **डा रानेन सेन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाम्बिया के कुछ क्षेत्र के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के सभी संकल्पों की दक्षिण अफ्रीकी सरकार अवहेलना कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में कोई कार्यवाही करने का है जिससे दक्षिण अफ्रीकी सरकार को संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों को मानने के लिये बाध्य किया जा सके ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत ने संयुक्त राष्ट्र नामीबिया परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र उप निवेश समाप्ति समिति में इस प्रश्न पर विचार विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लिया है और वह इस मामले में एशियाई अफ्रीकी देशों और अन्य देशों के साथ निकट सहयोग एवं परामर्श काम करता है।

भारत का ख्याल है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की इस सलाह पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नामीबिया में दक्षिण अफ्रीका की उपस्थिति गैर कानूनी है।

पिछले वर्ष सुरक्षा परिषद की मीटिंग में, भारतीय प्रतिनिधि ने यह सुझाव दिया था कि सुरक्षा परिषद एक औपचारिक घोषणा के द्वारा नामीबिया का प्रशासन न्यासिता परिषद के अधीन कर दे और वह नामीबिया परिषद के द्वारा प्रशासित हो। भारतीय प्रतिनिधि ने आगे यह कहा कि अगर दक्षिण अफ्रीका हटने और नामीबिया का प्रशासन सौपने से इंकार करे तो उस पर आर्थिक तथा सैनिक नाके बंदी लगाने पर विचार किया जाए। तभी सुरक्षा परिषद दक्षिण अफ्रीका के हटने को सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

भूतपूर्व भारतीय उच्चायुक्त द्वारा कनाड़ा में विवाह करना तथा वहां पर बस जाना

2725. **श्री बयालार रवि** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा स्थित भूतपूर्व भारतीय उच्चायुक्त ने सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद कनाडा में विवाह किया तथा वहां पर बस गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि विदेशों में स्थित हमारे राजदूत पुनः ऐसा नहीं करें ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भूतपूर्व भारतीय हाई कमिश्नर, जनरल जे० एन० चौधरी को सरकार ने अगस्त 1969 में विदेश में अपना नियुक्त कार्य समाप्त कर लेने पर कनाडा के मेबिगल विश्वविद्यालय में दो वर्ष के लिए विजिटिंग प्रोफेसर का पद स्वीकार करने की अनुमति दी थी। इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं हैं कि उन्होंने कनाडा में शादी कर ली है, अथवा वे वहां बस गए हैं।

(ख) भारत के अन्य सामान्य नागरिकों की तरह ही, सेवानिवृत्त राजदूतों पर भी विदेशों में शादी कर लेने अथवा वहां बस जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। लेकिन, ऐसी कोई घटना शायद ही कभी घटी हो, और इसीलिए इस मामले में कोई समस्या खड़ी नहीं हुई।

Soviet fleet in India Ocean

2726. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Soviet fleet is stationed in the Indian Ocean;

(b) whether any bilateral agreement has been concluded in this respect; and

(c) if so, whether a copy of the said agreement would be laid on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) According to information available with the Government, several powers including the Soviet Union maintain a naval presence in the Indian Ocean.

(b) No agreement would appear to be required for this purpose in view of the freedom of the high seas. Government are not aware of any bilateral agreement concluded specially for this purpose.

(c) Does not arise.

Investment of Employees Provident Fund in Industrial Establishments

2727. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that owners of certain industrial establishments invest the amount of Provident Fund of their employees in their business instead of depositing it in Government treasury;

(b) if so, whether any inquiry has been conducted through C. B. I. in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The Provident Fund authorities have reported as under :

(a) Employers of some establishments covered under Employees' Provident Fund and Family Pension Fund Acf, 1952 and the Employees Provident Fund Scheme framed thereunder have defaulted in the payment of provident fund contributions. Legal action by way of prosecution and recovery proceedings under the provisions of the Employees' Provident Fund and Family Pension Fund Act, 1952, is taken against defaulting establishments. In suitable cases, complaints are filed under Sections 406/409 of the Indian Penal Code. Penal damages are also levied under Section 14—B of the Employees Provident Fund and Family Pension Fund Act, 1952. Whether such establishments as default in remitting the contributions to the Provident Fund Authorities do so for the specific purpose of utilising the amount in their business cannot be stated.

(b) and (c) : As defaults attract penal provisions, it is not necessary to get an enquiry conducted by the C. B. I. to find out how the contributions withheld from payment are utilised

हिन्द महासागर में विदेशी शक्तियां

2728. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री एस० सी० सामंत :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में कुछ बड़ी शक्तियों की नौसेना की उपस्थिति के बारे में सरकार ने चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) क्या सरकार की इच्छा है कि यह क्षेत्र शान्ति क्षेत्र बना रहे; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किये गये हैं और अब तक क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। हिन्द महासागर में बड़े देशों की नौसेना की उपस्थिति से सरकार चिन्तित है।

(ख) सरकार ने हमेशा यह कहा है कि हिन्द महासागर को बड़े देशों के तनाव एवं प्रतिस्पर्धा से मुक्त एक शान्ति-क्षेत्र बनाए रखा जाय। संसद के वर्तमान अधिवेशन में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस विषय पर सरकार की नीति बताई जा चुकी है।

(ग) लुसाका घोषणा की शर्तों की ओर सरकार ने सम्बद्ध देशों का ध्यान आकर्षित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1 दिसम्बर 1971 के संकल्प संख्या 2832 (XXVI) के प्रस्तावकों में हम भी एक हैं, जिसमें सभी देशों से हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र बनाए रखने के लिए कहा गया है।

बंगला देश को अन्न की शीघ्रता से सप्लाई

2729. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटिड नेशन्स रिलीफ आपरेशन (ढ़ाका) ने कहा है कि अन्न की कमी के फल-स्वरूप बंगला देश में अन्न संबंधी उपद्रव होंगे और भारत से अनुरोध किया है कि उक्त देश के लिये अन्न भेजे जायें ;

(ख) भारत ने अन्न की कितनी मात्रा बंगला देश को भेजने का वचन दिये है और इसमें से अब तक कितना भेजा जा चुका है ; और

(ग) क्या सरकार ने बंगला देश को शीघ्रता से अन्न भेजने का कोई कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ऐसी एक प्रेस रिपोर्ट निकली है।

(ख) शुरू में 500,000 मी० टन खाद्यान्न सप्लाई करने के वायदे के अलावा सरकार ने 250,000 मी० टन गेहूं और भी देना निश्चत किया है। 4 अप्रैल, 1972 तक 2,22,168 मी०टन खाद्यान्न भेजा जा चुका है ; और

(ग) रेल, सड़क और नदी से सप्लाई का काम तेज करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है ताकि माल निर्धारित समय से पहले भेजा जा सके।

मुकदमे के लिये कुछ युद्धबन्दियों को बंगला देश भेजना

2730. **श्री निहार लास्कर :**
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुकदमा चलाने के लिये उन कुछ युद्धबन्दियों को बंगला देश भेजा जा रहा है जो नर संहार के लिये उत्तरदायी हैं ;

(ख) क्या बंगला देश सरकार से इस बीच ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में किये गये अनुरोध की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) बंगला देश की सरकार मामले पर विचार कर रही है और अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई विशिष्ठ अनुरोध नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा के तूफान ग्रस्त क्षेत्र में भुखमरी तथा कुपोषण से मृत्युएं

2731. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में तूफान ग्रस्त क्षेत्रों में भुखमरी और कुपोषण में हुई मृत्युओं के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां तो इसके फलस्वरूप कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ?

श्रम और पूनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत गोल्ड माइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा कोलार सोना खानों का संचालन

2732. **श्री निहार लास्कर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह प्रस्ताव है कि भविष्य में कोलार सोना खानों का संचालन भारत गोल्ड माइन्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि क्षमता दर पर सरकार को सोना बेचने से होने वाली हानि को पूरा करने के लिये नव-गठित कम्पनी को कितनी राज सहायता दी जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) : जी, हां । भारत गोल्ड माइन्स प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसकी स्थापना पब्लिक सेक्टर में की गई है, 1-4-1972 से कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम की आस्तियां और दायित्व को ग्रहण किया है ।

(ख) : कम्पनी को संदत्त किए जाने वाली राज-सहायता की राशि 1972–73 के दौरान 4.25 करोड़ रुपए और 1973–74 के दौरान 4.00 करोड़ रुपए तक होगी ।

बंगला देश से आये शरणार्थियों का वापस जाना

2733. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये सब शरणार्थी अपने घरों को वापिस चले गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उनमें से कितने शरणार्थियों को अभी वापिस जाना है ; और

(ग) उन सभी के कब तक वापिस लौट जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : 25–3–1971 से बंगला देश से आए 98,99,305 शरणार्थियों में से प्रथम अप्रैल, 1972 तक की सूचना के अनुसार, 98,69,354 शरणार्थी बंगला देश जा चुके हैं । अभी लगभग 30,000 शरणार्थी जो अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों के साथ रह रहे हैं प्रत्यावासन की प्रतीक्षा में हैं । वे भी अपने आप बंगाल देश लौट जायेंगे । इन शरणार्थियों की शीघ्र वापसी के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों को उपयुक्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र में इस्पात पिण्डों का उत्पादन

2734. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र की स्टील मेल्टिंग शाप की छत की समय से पहले ही मरम्मत हो जाने के कारण वहां पर इस्पात पिण्डों का उत्पादन बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो संबंधित इस्पात संयंत्र के इस्पात पिण्डों का अब दैनिक उत्पादन क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय इस्पात पिण्ड का दैनिक औसत उत्पादन 3170 टन है ।

उड़ीसा में सीसा प्रद्रावक और निकल संयंत्रों की स्थापना

2735. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्रों में इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले सीसा प्रद्रावक और निकल संयंत्रों को उड़ीसा में स्थापित किया जायेगा ;

(ख) क्या इस बीच इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा राज्य सरकार ने उड़ीसा के कटक जिले में के सुकिन्दा निकल निक्षेपों के विकासार्थ एक निगम स्थापित करना स्वीकार किया है जिसमें पूर्ववर्ती का 51% शेयर और पश्चात्-वर्ती का 49% शेयर होगा। उपोत्पाद के रूप में निकल उत्खनन संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता निकल चूर्ण के 4800 टन, कोवाल्ट चूर्ण के 200 टन और अमोनियम सल्फेट उर्वरक के 17,000 टन होगी। निक्षेप के वाणिज्यिक समुपयोजनार्थ विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रायोगिक पैमाने पर परीक्षण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उड़ीसा के सर्गीपल्ली में, सीसा निक्षेपों के बारे में केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम हेतु एक ऐसा ही प्रस्ताव है। तथापि, इन निक्षेपों पर आधारित सीसा प्रद्रावक की स्थापना से पूर्व भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे इन निक्षेपों के विस्तृत अन्वेषणों का सम्पूरित होना आवश्यक है। यह कार्य किया जा रहा है।

लोहा और इस्पात उद्योग के लिये अनुसंधान और विकास बोर्ड की स्थापना

2736. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा और इस्पात उद्योग के लिये एक अनुसंधान और विकास बोर्ड की स्थापना करने के प्रस्ताव को, जो सरकार के विचाराधीन था इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"कोयला कार्टिल" के कदाचार

2737. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार पश्चिम राज्यों के बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों ने "कोयला कार्टिल" के कदाचारों को जिसके कारण ईंधन मूल्यों में वृद्धि हो रही थी, समाप्त करने के लिये केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां। पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड ने कुछ प्राइवेट कोयला खानों द्वारा कोयले की कीमत में अभिवृद्धि करने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को शिकायत की है।

(ख) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने उन मामलों के, जिनमें कोयला आपूर्ति-कर्ताओं ने अनुचित तरीकों की शरण ली है, सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मांगी है। और अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त होने पर मामले पर विचार किया जाएगा।

Pay Commission for Working Journalists and Workers Participation in Management

2738. **Shri Jagannath Mishra** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether during the 15th Annual Conference of Messrs Bennet Coleman Employees' Union, a demand regarding the appointment of a new pay commission for journalists and non-journalists and participation of employees in the management of news-papers was made to Government; and

(b) if so, the reaction of Government there to ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) A Resolution at the Conference reiterated the demand for a Wage Board and for the participation of employees in the management of the Company.

(b) Government will consider the whole question of Wage Boards in the light of the recommendations made on the subject by the National Commission on Labour and the views expressed by the different Central Organisations of Employers and Workers.

As regards the demand about the participation of the employees in the management of the Company, it is understood that the Bombay High Court passed an order on 28th August, 1969 reconstituting the Board of Directors of the Company. According to that order there should be 11 members on the Board, 5 to be nominated by the Court 3 by the Government and 3 to be elected by the shareholders. Persuant to that order the Court nominated 5 directors, Government nominated 3 directors and shareholders elected 3 directors. This Board of Directors is to function for a period of 7 years with effect from 28th August, 1969. Vacancies are to be filled in by the court, Government or the shareholders as the case may be. Appeals have been filed against the said order dated 28th August, 1969 which are pending before the Division Bench of Bombay High Court.

पड़ौसी देशों के साथ शान्ति संधियां

2740. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका से मित्रता, शान्ति और सहयोग की सन्धियां करने के लिये कोई पहल की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) इस बात पर विचार करना और इसका निश्चय करना प्रत्येक प्रभुसत्ता-सम्पन्न देश का अपना काम है कि वह

भारत के साथ इस तरह की संधि करना चाहेगा या नहीं। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, बंगला देश तथा नेपाल के साथ हम पहले ही मित्रता संधि कर चुके हैं। अगर वे विद्यमान संधियों को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ऐसा करके प्रसन्नता होगी। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के साथ सम्पन्न संधि के विषय में जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा था कि "हम आशा करते हैं कि यह संधि इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भारत की इसी तरह की संधियों के लिए एक प्रतिमान का कार्य करेगी। इस क्षेत्र के देशों में परस्पर इस तरह की संधियां होने से स्थायी शांति होगी और उनकी स्वाधीनता तथा प्रभुसत्ता सुदृढ़ होगी।"

तिब्बति शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये भावी योजनायें

2741. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री पुनर्वास विभाग 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन के तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये "फियुचर प्लांस" शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये इस वाक्य के संबंध में 'दि कावेरी घाटी में 2200 रिक्त स्थान हैं, जो भूमि सुधारकरण कार्यों के रूप में पूरे किये जायेंगे;' यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैसूर राज्य में कावेरी घाटी में 4,000 एकड़ भूमि पर 4,000 तिब्बती शरणार्थियों को पुनर्वास देने की एक योजना मैसूर पुनर्व्यवस्थापन तथा विकास एजेन्सी (माईराड़ा) के माध्यम से कार्य कर रही विदेशी सहायता एजेन्सियों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

मैसूर जिले के पैरिया पटना ताल्लुका में 1800 एकड़ भूमि पर तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास की योजना का प्रथम चरण पूरा होने वाला है। परियोजना के प्रथम चरण में बसाए गए तिब्बतियों की संख्या 1849 है।

राज्य सरकार ने मैसूर जिले के हुनसूर ताल्लुका में सोल्लेपुरा में 2200 एकड़ भूमि दी है। इस भूमि का उद्धार किया जा रहा है। आशा है कि मार्च 1972 के अन्त तक लगभग 1300 एकड़ भूमि बुवाई के लिए तैयार हो जायगी। 763 तिब्बती शरणार्थियों को जो इस स्थल पर एक आवाशाही शिविर में रह रहे हैं, स्थायी मकानों में भेजा जायेगा। ये मकान निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इस बस्ती में और शरणार्थियों को जत्थों में भेजा जायगा। अन्ततः परियोजना के द्वितीय चरण में यहां 2200 तिब्बती शरणार्थी बसाये जाएंगे।

श्रीलंका से आये शरणार्थियों पर व्यय

2742. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 तक श्रीलंका से आये शरणार्थियों के लिये रखी गई 161.88 लाख रुपये की राशि में से वास्तव में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) वर्ष 1970–71 में इस प्रयोजन के लिये रखी गयी 153.13 लाख रुपये की राशि में से वास्तव में कितनी राशि उन पर खर्च की गई; और

(ग) वर्ष 1971–72 में खर्च के लिये रखी गई 189.06 लाख रुपये की राशि में से वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 109.12 लाख रुपये।

(ख) 101.42 लाख रुपये।

(ग) 133 लाख रुपये की राशि दे दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा किए गए वास्तविक खर्च के ब्यौरे की प्रतिक्षा है।

रेलवे के मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं पंजीकृत की प्रोटेक्टेड वर्कमेन के रूप में घोषणा

2743. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन झोनल रेलवे के पंजीकृत मजदूर संघों संस्थाओं ने अपने कार्यकर्ताओं को 'प्रोटैक्टेट वर्कमैन' घोषित करने के लिए सहायता श्रम आयुक्त के पास अपने विवाद दायर कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पंजीकृत संघ संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक अपने विवाद सम्बन्धित श्रम आयुक्तों के पास दायर कर दिए हैं और श्रम विभाग के पास उन्होंने विवाद किस तिथि को दायर किए; और

(ग) श्रम विभाग कार्यालयों ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) 1. आंल इंडिया रेलवे कामर्शियल क्लर्क्स एसोसिएशन, अजमेर, –जुलाई, 1970।

2. आंल इंडिया रेलवे लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, अजमेर –सितम्बर, 1970।

3. आंल इंडिया रेलवे स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन, अजमेर डिवीजन –जुलाई, 1971।

4. आंल इंडिया रेलवे कामर्शियल क्लार्क्स एसोसिएशन, बीकानेर क्षेत्र –26-11-70।

5. आल इंडिया स्टेशन मास्टरस् एसोसिएशन, दिल्ली डिवीजन –2-2-1972।

6. आंल इंडिया रेलवे कामर्शियल क्लार्क्स एसोसिएशन, अजमेर ने 28-7-1969 को दो विवाद दायर किए।

(ग) उपर्युक्त 4 और 6 संख्याओं में लिखे गए विवादों का निपटारा हो गया है और अन्य चार की जांच की जा रही है।

बर्मा तथा श्री लंका से आये शरणार्थियों को रोजगार देने के लिये तमिलनाडु में पुनर्वास उद्योग निगम की स्थापना

2745. **श्री वी० मयाबन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा तथा श्रीलंका से आये शरणार्थियों को रोजगार देने के लिये तमिलनाडु में उद्योग स्थापित करने हेतु पुनर्वास उद्योग निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक हो जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उन शरणार्थियों को सहायता देने के लिये सरकार का क्या वैकल्पिक प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रत्यावासियों को कृषि तथा बागान योजनाओ में बसाया जाता है । उन्हें रोजगार देने के लिए कुछ औद्योगिक योजनाएं भी मंजूर की गई हैं । परिवारों को कारोबार तथा आवास के लिए ऋण भी मंजूर किए जाते हैं ।

बर्मा और श्रीलंका के प्रत्यावासियों के पुनर्वास कार्य में प्रगति लाने में सहायता करने की दृष्टि से "प्रत्यावासी सहकारी वित्त तथा विकास बैंक मद्रास" के नाम से एक सहकारी समिति स्थापित कर दी गई है।

E. P. F. Deposits by Employees in Madhya Pradesh

2746. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total amount of Employees Provident Fund deposited by employers during the last three years, year-wise; and

(b) the actual amount to be deposited by them and the amount yet to be deposited for the above period ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) and (b) The total amounts of provident fund contributions required to be deposited, actually deposited and yet to be deposited in Madhya Pradesh during the last three years year-wise are given below:—

Year	Total amount of P. F. contributions required to be deposited.	Total amount actually deposited.	Total amount outstanding
1969	Rs. 255.65 lakhs	Rs. 229.97 lakhs	Rs. 25.68 lakhs
1970	Rs. 273.96 lakhs	Rs. 242.10 lakhs	Rs. 31.86 lakhs
1971	Rs. 309.52 lakhs	Rs. 255.25 lakhs	Rs. 54.27 lakhs

India's Diplomatic relations

2747. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of those member countries of U. N. O. with which India has no diplomatic relations; and

(b) the reasons for not having diplomatic relations with them ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) India has no diplomatic relations with the undermentioned member countries of the UNO:—

Pakistan, South Africa, Portugal, Israel, Dominical Republic, Guatemala, Haiti, Honduras, El Salvador, Iceland, Chad, Niger, Equatorial Guinea and the Central African Republic.

(b) While our diplomatic relations with Pakistan were broken off during the recent Indo-Pak war, relations with South Africa and Portugal were terminated in the mid-fifties because of our opposition to their racial and colonial policies respectively. As regards Israel, India has extended recognition to her in 1950 but diplomatic relations have not been established taking into consideration our overall national policy.

As for the other countries listed above diplomatic relations have not been established with them so far mainly due to administrative reasons ar reasons of economy.

साहूजैन ग्रुप द्वारा मध्यप्रदेश में खनन पट्टों के लिए अभ्यावेदन

2748. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साहूजैन ग्रुप की ओर से मध्य प्रदेश में खनन पट्टों के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

Return of Bangla Desh Refugees who came to India prior to 1971

2749. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have received representation from Bangla Desh refugees who had crossed over to India prior to those who came last year; for going back to Bangla Desh; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in respect of them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) Yes, Sir. Applications have so far been received from about 4,500 migrant families who came to India during the period prior to the 26th March, 1971 and residing in various relief camps and rehabilitations zones in different States expressing their desire to go back to Bangla Desh.

(b) The arrangements made by the Government for repatriation of refugees to Bangla Desh were confined to those who had come to India after the 25th March, 1971 and who had been registered as foreigners. These arrangements do not cover those who had crossed over to India from East Bengal before 26th March, 1971 as migrants and have acquired or acquiring Indian citizenship. The prestnt policy in respect of the families who came before the 26th March, 1971 is that they will continue to receive relief and rehabilitation assistance,

with a view to their settlement in India, in accordance with the existing orders. The Government of India are, however, aware of the desire of the migrants generally to go to Bangla Desh. The question whether the matter can be discussed with the Bangla Desh Government will be considered at the appropriate time.

Request from Pakistan for release of P. O. Ws.

2750. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Government of Pakistan have made a request in writing to the Government of India for releasing Prisoners of War;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the reaction of the Government of India thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Pakistah Government had made a request to this effect through the Swiss Embassy.

(c) Government are of the view that as the Pakistani P. O. Ws. surrendered to the Joint Command of India and Bangla Desh, the question of their release and repatriation should be discussed between the three parties to the conflict, namely, Pakistan, India and Bangla Desh.

पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों के परिवारों को सुविधाएं

2751. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या विदेश मंत्री 14 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात पीकिंग में नियुक्त किये गये ऐसे अधिकारियों को जो अपने परिवारों को दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में छोड़ कर पीकिंग गये थे, क्वार्टर खाली करने के नोटिस जारी किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो पीकिंग जाने वाले अधिकारों के परिवारों के संरक्षण हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

Pension to Journalists

2752. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Uttar Pradesh Journalists Union have recently passed a Resolution in their Conference held at Allahabad demanding extension of pension facilities to Journalists; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) Government have not received any such resolution.

Employment to Trained Persons of Central Training Institute of H. E. C., Ranchi

2753. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to provide employment to such trained persons who passed out of the Central Training Institute of Heavy Engineering Corporation, Ranchi;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the total number of persons who passed out of the said institute and have been provided with employment and the number of those still unemployed ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) Training in the Central Training Institute of Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi is governed by the Apprentices Act, 1961, under which no guarantee for employment after passing the apprenticeship course is given to trainees. While successful candidates from the current batch are being appointed in the Heavy Engineering Corporation subject to availability of vacancies, trainees from earlier batches are considered for employment when sponsored by the Employment Exchange.

(c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Period	Total No. of Trainees admitted for Training	No. passed	No. appointed	No. not employed by HEC so far
1. Admitted prior to 1966 & completed training by March, 1967	1430	1430	1430	Nil
2. Admitted from August 1966 to 1970 and completed training by November, 1971.	670	645	532	113
3. Admitted in June 1971 & completed training in January, 1972.	229	222	37	185

छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थापना

2754. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 18 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 755 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को छोड़कर, जो फरवरी 1970 से लागू औद्योगिक लाइसेन्स देने की नई नीति शुरू करने से पहले उत्पादन कर रही थी, मेसर्स राठी अलायड् एण्ड स्टील द्वारा उनकी निरन्तर ढ़लाई की मशीन स्थापित किए जाने तक परम्परागत ढ़लाई प्रक्रिया द्वारा इस्पात पिण्ड का उत्पादन करने का समाचार मिला है । जहां तक दूसरी फर्मों का सम्बन्ध है वे उनको जारी किए गए आशय पत्रों के कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

स्वैच्छिक मध्यस्थता विषयक पुस्तिका

2755. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वैच्छिक मध्यस्थता विषयक पुस्तिका को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) अब तक नहीं ।

आर्थिक सहयोग के बारे में दक्षिण एशिया के देशों का महासंघ

2756. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार दक्षिण एशिया के देशों के साथ मुख्यतः आर्थिक सहयोग के आधार पर दक्षिण एशिया के देशों महासंघ बनाने के बारे में वार्ता करने का है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसमें आर्थिक या अन्य किसी सहयोग के आधार पर दक्षिण एशिया के देशों का महासंघ स्थापित करने के लिए दक्षिण एशिया के देशों से बातचीत करनी है। फिर भी, सरकार इस क्षेत्र के देशों के लिए व्यापार एवं परिवहन की व्यवस्था के पक्ष में है ।

Bonus to Employees of Private Firms, Shops and Hotels

2757. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Department of Labour and Employment propose to enact any legislation under which employees working in a private firm, shop or hotel could get bonus; and

(b) if so, when ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) The existing legislation provides for the payment of bonus to these establishments if they employ twenty or more persons.

Minors working in hotels beyond limit of working hours

2758. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether minors below twelve years of age are made to work for more than eight hours a day in hotels; and

(b) if so, the total number of cases registered at present against the employers in the country in this regard and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) The matter falls in the State sphere.

Cultural Relations

2759. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is the policy of Government to develop cultural relations with friendly countries;

(b) the steps taken so far by Government to develop cultural relations with each friendly country; and

(c) the expenditure incurred thereon during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India has been trying to project Indian culture through our Missions abroad, through cultural Agreements and Cultural Exchanges Programmes, delegations, exhibitions, Chairs of Indology in foreign universities etc. Indian Cultural Centres are now being opened in some foreign countries. India also plays an active role in UNESCO and other international cultural bodies.

(c) The Department of Culture, the I.C.C.R. and this Ministry together incurred an expenditure of about Rs. 1,45,00,000/- (Approx.) during the last three financial years (*i. e.* 1969-70, 1970-71 and 1971-72). Other Ministries/Departments of the Government and public/private institutions and organisations also undertake activities for developing cultural relations with friendly foreign countries and incur expenditure on them.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में भारत ब्रिटेन समझौता

2760. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के बारे में भारत और ब्रिटेन की सरकारों के मध्य कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के फलस्वरूप दोनों देशों को क्या क्या लाभ होंगे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का संकेत दुर्गापुर इस्पात कारखाने को ब्रिटेन द्वारा तकनीकी सहायता देने के बारे में भारत सरकार तथा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के बीच 12-8-1971 को हुए पत्रों के आदान-प्रदान की ओर है।

पत्रों के आदान-प्रदान के अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत के दुर्गापुर इस्पात कारखाने को अक्तूबर 1971 से लेकर दो वर्ष की अवधि के लिए और तकनीकी सहायता देने को सहमत हो गयी है । ब्रिटिश सरकार कोलंबो योजना के अधीन ब्रिटिश तकनीकी सहायता के लिए उपलब्ध निधि से इस सहायता की स्टर्लिंग लागत के लिए, अधिकाधिक 500,000 पौण्ड की राशि देगी । इस तकनीकी सहायता कार्यक्रम की मुख्य बात यह है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रिटिश उद्योगों से लिए गये विशेषज्ञ कार्य विशेष की पूर्ति के लिए थोड़े थोड़े समय के लिए भारत आते रहेंगे ।

इस कार्यक्रम के द्वारा दुर्गापुर इस्पात कारखाने को अपनी कुछ जटिल प्रौद्योगिक समस्याओं को सुलझाने में विशिष्ट तकनीकी परामर्श मिल सकेगा।

बिहार में पाकूड़ में पत्थर तोड़ने का कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये सुविधायें

2761. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पाकूड़ तथा संथाल परगना में पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे श्रमिकों को कोयला खानों में काम करने वाले श्रमिकों के समान सुविधायें प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) सामान्य कल्याण निधि, जिसके अन्तर्गत, पत्थर खदान सहित कुछ खनन उद्योगों में लगे श्रमिक लाये जायेंगे के बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रस्ताव का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत अस्पतालों का दुरुपयोग

2762. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नवनिर्मित कतिपय अस्पतालों का उपयोग केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और पुलिस को ठहराने के लिये किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन अस्पतालों के नाम क्या हैं; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के खाडिलकर) : (क) और (ख) जी हां, केवल एक अस्पताल अर्थात् कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, गौरहाटी का उपयोग केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल ने किया था ।

(ग) चूंकि अस्पताल को अभी तक अधिकृत नहीं किया गया था, इसलिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के सदस्यों को केवल अस्थाई रूप से अस्पताल में ठहराया गया था। अस्पताल की इमारत

को खाली कर दिया गया है और राज्य सरकार अस्पताल को अधिकृत करने के लिए कार्यवाही कर रही है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम का विलय

2763. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ विलय करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पुरानी संस्था है; और

(ग) यदि हां, तो विलय के पश्चात् कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को संरक्षण देने के बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संकलन से सम्बधित वैधानिक, प्रशासकीय, और संगठनात्मक मामलों की व्यापक ढंग से जांच करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था। उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिस की जांच की जा रही है।

पाकिस्तानी युद्ध अपराधियों पर मुकदमे

2764. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बंगलादेश में पाकिस्तानी युद्ध अपराधियों पर मुकदमे चलाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय आयोग अथवा न्यायालय की स्थापना का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जो लोग बंगला देश में नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराध करने के जिम्मेदार हैं, उनपर मुकदमा चलाए जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में भारत सरकार, बंगला देश सरकार के विचार का पूर्ण रूप से आदर करती है।

इस बात का निर्णय तो बंगलादेश सरकार को करना है कि किस प्रकार का न्यायाधिकरण, आयोग या न्यायालय सबसे अधिक उपयुक्त होगा ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायविदों की राय तथा जनमत अब इस बात की आवश्यकता के अधिक पक्ष में हो रहा है कि इस प्रकार के मुकदमे चलाए जाएं। विदेशी सरकारों की सरकारी प्रतिक्रिया अनुमानत: बंगलादेश के निर्णय की प्रतीक्षा करेगी ।

बर्मा और श्रीलंका से आने वाले विस्थापितों के लिए उद्योगों की नई योजना

2765. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा और श्रीलंका से आए विस्थापितों के पुनर्वास हेतु छोटे तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना करने कि नई योजनाएं क्या हैं;

(ख) निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से रखी गई उदार शर्तें क्या हैं; और

(ग) निजी क्षेत्र के जिन उद्योगपतियों ने नये प्रवासियों को रोजगार देने के लिए नये उद्योग स्थापित किये हैं उन्हें और क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नये प्रवासियों और बर्मा तथा श्रीलंका से आये प्रत्यावासियों को उद्योगों में रोजगार देने की दृष्टि से निम्नलिखित योजनाएं चालू की गई हैं :

(i) उत्तर प्रदेश में हास्तिनापुर में मेसर्स मदन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई कताई मिल ।

(ii) आन्ध्र प्रदेश में रामागुन्दम में कपड़ा टाउनशिप की योजना ।

(iii) आन्ध्र प्रदेश में नैलोर तथा राजामुन्दरी में सहकारी कताई मिलें।

(iv) तमिल नाडु में श्री विल्लिपुथुर में सहकारी कताई मिलें।

इसके अतिरिक्त सहकारी वित्त और विकास बैंक, मद्रास के नाम से एक सहकारी समिति भी स्थापित की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य बर्मा और श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले लोगों के पुनर्वास कार्य में सहायता पहुंचाना है ।

(ख) रियायती ब्याज की दर पर दीर्घ कालीन ऋणों की मंजूरी तथा भूमि का आवंटन ।

(ग) पुनर्वास उद्योग निगम व्दारा उन निजि उद्योगपतियों को ऋण दिया है जो नये प्रवासियों को रोजगार देने के लिये सहमत है । इस के अतिरिक्त, निगम व्दारा पांच औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई हैं, जहां उन उद्योगपतियों को, जो नए प्रवासियों को रोजगार देने को सहमत है, किराये व्दारा खरीद के आधार पर शेड प्रदान किए गए हैं ।

पुनर्वास उद्योग निगम, कलकत्ता के अलाभप्रद एकक

2766. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम, कलकत्ता के अलाभप्रद एककों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई विभागीय समिति के निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ख) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) विभागीय समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार तथा अध्यक्ष पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता से टिप्पणियां मंगाई थी जो कि हाल ही में प्राप्त हुई हैं। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है। समिति के निष्कर्ष तथा उन पर जब सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे, तो सभा की भेज पर रख दिए जाएंगे ।

Bonus by Sugar Mills in Madhya Pradesh

2767. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the percentage of bonus benefit granted to their employees by Sugar Mill in Madhya Pradesh during the last three years;

(b) whether the employees of some sugar mills of Madhya Pradesh have made complaints to the Central Government in regard to payment of bonus not being made to them in time; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) A statement showing the information received from the State Labour Commissioner is enclosed.

(b) and (c) The State Government is the "Appropriate Government" in respect of payment of bonus by Sugar Mills and any complaints in this regard are to be addressed to them for suitable action.

Statement showing the names of sugar mills in Madhya Pradesh which have paid bonous to their employees

Sl. No.	Name of the Mills	Year	Percentage of bonus paid.
1.	Jaura Sugar Mills Jaura	1967-68, 1968-69 and 1969-70	4%
2.	Jiwajirao Sugar Company Dalauda	1968-69 and 1969-70	4%
		1970-71	20%
3.	Seth Govind Ram Sugar Mills, Mahidpur	Closed upto 1968-69	—
		1969-70	4%
		1970-71	In default
4.	Bhopal Sugar Company, Sehore	1967-68 and 1968-69	4%
		1969-70	8.03%
5.	Gwalior Sugar Company Ltd., Dabra	1968-69 and 1969-70	4%
		**1970-71	4%

** Amount paid to 1048 seasonal employees. Payment to 285 employees to be made in April, 1972.

Coal Mines in Madhya Pradesh and Bihar

2768. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total number of big coal mines in Madhya Pradesh and Bihar;

(b) the quantity of coal extracted from the said mines every year ;

(c) the number of mines, out of them, under the control of Government companies and other persons separately; and

(d) the names of major companies and different persons owning the said mines or holding them on lease ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) to (d) The information is being **collected and** will be laid on the Table of the House.

Distribution of Steel to industries in Madhya Pradesh

2769. **Dr. Laxminarain Pandey ;**
Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the number and names of such industries in Madhya Pradesh as have been allo tted the quota of steel for manufacturing various kinds of goods from steel during the last three years; and

(b) the names of the places where the said industries are located and the quantum of steel and stainless steel quota alloted to each industry during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली

2770. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 16 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 420 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी-कितनी बकाया राशि वसूल की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि विशिष्ट अवधियों की बकाया राशि के लिए सभी छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों से प्राप्त अथवा वसूल की गई राशि सम्बन्धी आंकड़े पृथक रूप से इस समय उपलब्ध नहीं है । तथापि, ऐसे प्रतिष्ठानों को बकाया राशि के लिए समायोजन हेतु भुगतान करने के लिए राजी किया जाता है । इसके अतिरिक्त, बकाया राशि कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धाराओं के अधीन राजस्व वसूली कार्यवाहियों द्वारा भी वसूल की जाती है । तीन वर्षों के दौरान राजस्व वसूली कार्यवाहियों द्वारा वसूल की गई राशि नीचे दी गई है :–

वर्ष	राशि
1968–69	2.20 करोड़ रुपये
1969–70	2.98 करोड़ रुपये
1970–71	2.37 करोड़ रुपये

Mobile Chemical Laboratories for conducting Geological Surveys

2771. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether the Geological Survey of India has made provision for mobile chemical laboratories for conducting geological survey; and

(b) if so, the number of such laboratories and the expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) The Geological Survey of India have already deployed four mobile chemical laboratories in field areas. Total purchasing cost of these laboratories is about Rs. 2.5 lakhs.

Consumption of Refractories in Bhilai Steel Plant

2772. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the annual consumption of refractories in Bhilai Steel Plant and the extent to which it is met with indigenous sources and the extent to which it is met by imports; and

(b) the quantity of refractories procured from indigenous sources and of those imported from outside during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) The actual consumption of indigenous and imported refractories in Bhilai Steel Plant for the last three years was as under :

(In tonnes)

Year	Indigenous	Imported	Total
1969-70	88,025	5,027	93,552
1970-71	89,564	7,361	96,925
1971-72	90.818	18,574	109,392

(b) The quantities of refractories procured from indigenous sources and those imported from abroad by the Plant during the last three years are given below :

Year	Indigenous	Imported (In tonnes)
1969-70	1,10,740	7,167
1970-71	1,07,370	24,070
1971-72	93,876	11,325

Allotment of Steel to Madhya Pradesh

2773. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total annual requirement of steel in Madhya Pradesh; and

(b) the quantity of steel actually alloted to Madhya Pradesh State as against their requirement ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) and (b) No statewise annual requirements are assessed, as under the present distribution system there are no Statewise allocations of iron and steel. Allocations of steel are regulated by the Steel Priority Committee after taking into account the end use for which steel is required, the availability and competing demands.

सेलम इस्पात सयंत्र की स्थापना में विलम्ब

2774. **श्री बी० मायावन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु राज्य ने उस राज्य में सेलम इस्पात संयंत्र की स्थापना में विलम्ब के बारे में केन्द्र से शिकायत की है और केन्द्र ने राज्य सरकार पर दोषारोपण किया है ;

(ख) केन्द्र तथा राज्य के बीच मुख्य विवाद क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बहुत से आरंभिक कार्यों में काफी प्रगति हुई है। सेलम प्रायोजना का तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन परामर्शदाताओं से दिसम्बर 1971 में प्राप्त हुआ था। इसका विस्तृत अध्ययन कर लिया गया है और प्रोडक्ट-मिक्स तथा प्रौद्योगिकी के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय शीघ्र ही ले लिया जायेगा।

कारखाने और बस्ती के लिए आवश्यक भूमि का सीमांकन कर दिया गया है और तमिलनाडु सरकार भूमि अर्जन का कार्य तेजी से कर रही है। 1971–72 में भू-अर्जन के लिए राज्य सरकार को 40 लाख रुपये की राशि दी गई थी। और राशि 1972–73 में दी जायेगी।

तमिलनाडु सरकार ने सेलम इस्पात कारखाने तथा बस्ती के लिए जल की आपूर्ति की योजनाएं तैयार कर ली है और उनपर विचार किया जा रहा है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने धरातल का सर्वेक्षण कर लिया है और समोच्च नक्शों की मुद्रित प्रतियां परामर्शदाताओं को दे दी गई हैं।

निर्माणावस्था में जल-आपूर्ति के बारे में भी निर्णय कर लिया गया है । चूंकि सेलम इस्पात कारखाना विद्युत-प्रधान होगा अतः राज्य सरकार के साथ बिजली की विशेष दर के बारे में बातचीत की गई है ।

रेलवे विभाग ने एक्सचेंज-यार्ड तथा साईडिंग के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण कर लिए हैं ।

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कस्ट्रक्शन लिमिटेड ने कारखाने के क्षेत्र में मिट्टी परीक्षण तथा प्लेट-बेयरिंग परीक्षण पूरे कर लिए हैं । इन्होंने सेलम में एक कार्यालय भी खोला है ।

स्थल-समतलीकरण की योजनाएं तथा प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

उड़ीसा में कोयला खनन भविष्य निधि आयुक्त के विचाराधीन एन० सी० डी० सी० कोयला खानो के कर्मचारियों के मामले

2775. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलचेर, उड़ीसा स्थित एन० सी० डी० सी० कोयला खानों के कर्मचारियों के भविष्य निधि, पेंशन और मुआवजे के मामले विभिन्न कोयला खनन भविष्य निधि आयुक्तों और अन्य अधिकारियों के पास निबटारे के लिये विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अधिकारियों के पास निबटारे के लिये कितने मामले विचाराधीन हैं और उनको अन्तिम रूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा के चाय बागान मजदूरों की मजूरी भुगतान

2776. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के चाय बागान के मालिक, पहले किये गये समझौते के अनुसार मजदूरों को मजूरी का भुगतान करने से इंकार कर रहे हैं ;

(ख) क्या त्रिपुरा सरकार ने समझौते में तय की गई दर को क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग) यह मामला राज्य क्षेत्राधिकार में आता है ।

पाकिस्तान को युद्ध न करने के समझौते के प्रस्ताव का पुनः नवीकरण

2777. **श्री पी० वेंकटासुब्बया**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध न करने का समझौते का प्रस्ताव हाल में पाकिस्तान से किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत पाकिस्तान के साथ "युद्ध नहीं" संधि करने को तैयार है, यह बात कई बार सार्वजनिक रूप से कही जा चुकी है, लेकिन हाल के महीनों में इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पेश करने का कोई मौका नहीं आया ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

आंध्र प्रदेश द्वारा श्रीलंका से लौटे भारतीयों का पुनर्वास

2778. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने काफी बागानों का विस्तार करके श्रीलंका से लौटे भारतीयों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार से 80 लाख रुपये का ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या रबड़ और चाय बागानों का विस्तार करने के लिये इसी इकार के ऋणों की मंजूरी मैसूर, तमिलनाडु और केरल राज्यों को दी जा चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश को एसे ऋण की मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) राज्य सरकार से अपेक्षित ब्यौरा, दिसम्बर, 1971 में प्राप्त हुआ था । उसके बाद संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से योजना की छान-बीन की गई थी । आशा है शीघ्र ही मंजूरी जारी कर दी जायगी ।

केरल में मेंगनीज के निक्षेप

2779. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों से पता लगा है कि केरल राज्य में मेंगनीज के बड़े भंडार उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन भंडारों का कब तक विदोहन होगा ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कोल्हापुर में कारखानों के बन्द होने का समाचार

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : मैं औद्योगिक विकास मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे।

"उद्यमनगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में 123 कारखानों के बन्द हो जाने से उत्पन्न कठिनाईयों के समाचार।"

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : औद्योगिक विकास मंत्रालय को उद्यम नगर, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में 123 कारखानों के बन्द हो जाने और उसके परिणाम स्वरूप होने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई भी रिपोट नहीं मिली है।

फिर भी, कोल्हापुर में 67 लघु औद्योगिक एकक हैं, इनमें से 35 एककतेल इंजने, तेल इंजनों के फालतु पूर्जों का निर्माण तथा मरम्मत आदि के काम में लगे हुए हैं, इनके अतिरिक्त एक बड़े और दो मझले पैमाने के तीन अन्य एकक भी हैं जो डीजल तेल इंजनों के निर्माण में लगे हुए हैं। 1969-70 की मन्दी से महाराष्ट्र में सम्पूर्ण तेल इंजन उद्योग को मन्दी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की गति में धीरे-धीरे तेजी आ जाने से डीजल तेल इंजनों के स्थान पर उसका उपयोग होने लगा है। इससे इस उद्योग से संबंधित स्थिति और भी बिगड़ गई है।

तेल इंजन उद्योग के संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ अभ्युपाय करने का निश्चय किया है। उनमें से मुख्य अभ्युपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) डीज़ल इंजन और सहायक समान के उत्पादन में लगे लघु एककों को महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम द्वारा ऋण देना।

(2) डीज़ल इंजनों के निर्माण में लगे उद्योगों से महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम द्वारा ऋणों की वसूली स्थगित करने पर विचार करना ।

(3) सहकारी विपणन महा संघ और विक्री खरीद संघ के माध्यम से डीज़ल इंजनों की बिक्री करना ।

(4) अन्य प्रकार के इंजनों की तुलना में इन इंजनों का खरीदने में प्राथमिकता देने के लिए तकाबी ऋण का मुख्य रूप से उपयोग करना ।

इस उद्योग की समस्याओं का लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा सर्वेक्षण किया गया था तथा उनके उत्पादन में विविधता लाने के लिए कार्यक्रम भी सुझाया गया था। ऐसी वस्तुओं की एक सूची जिनका विद्यमान मशीनों तथा कुछ अतिरिक्त बैलेंसिंग मशीनों की सहायता से इन एककों में उत्पादन किया जा सकता है, तैयार की गई थीं आर राज्य सरकार द्वारा उन पर विचार किये जाने के लिये भेज दी गई थी। इसके अतिरिक्त विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने राज्य व्यापार निगम के परामर्श से निर्यात क्षमता वाली 13 ऐसी प्रभावित फर्मों का पता लगाया है जो अपने उत्पादों का निर्यात कर सकती है। सारी राज्य सरकारों को भी इस आशय के अनुदेश दे दिए गये हैं कि वे इस क्षेत्र में और अधिक क्षमता का उत्पादन न करें।

श्री निम्बालकर : वक्तव्य के पहले भाग के सम्बन्ध में मैं इंजीनियरिंग एसोसियेशन से प्राप्त एक तार का उल्लेख करना चाहता हूँ। यह तार मुझे कल ही प्राप्त हुआ है । इसमें कहा गया है कि कोल्हापुर इंजीनियरिंग एककों को पिछले 2½ वर्षों से भारी मन्दी का सामना करना पड़ रहा है। 450 एककों में से 123 एकक बिल्कुल बन्द कर दिए गए हैं तथा 200 आंशिक रूप में कार्य कर रहे हैं । मंत्री महोदय इस उद्योग की कठिनाईयों से अपरिचित नहीं हैं ।

एक वर्ष पूर्व हमने इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, किन्तु इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए तन्मयता से कार्य नहीं किया गया, परिणामस्वरूप आज 20,000 लोग कोल्हापुर में बेकार बैठे हैं।

मंत्री महोदय ने वक्तव्य में यह भी कहा है, "ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम की गति में धीरे धीरे तेजी आ जाने से डीजल तेल इंजनों के स्थान पर उसका उपयोग होने लगा है। इससे इस उद्योग से संबधित स्थिति और भी बिगड़ गई है।"

अत: इस स्थिति में हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि किसी न किसी प्रकार लोगों को इस कठिनाई से निकाला जाए। एक समय था जब आवश्यकता के समय इन लोगों ने हमारी सहायता की थी और अब यह राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह इन लोगों की सहायता करे।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या मंत्री महोदय देश की विभिन्न राज्य सरकारों से तेल इंजनों पर से प्रतिबन्ध हटाने का अनुरोध करेंगे तथा क्या वित्त मंत्री से कहकर इन एककों के करों की वसूली को कुछ देर के लिए स्थगित किया जाएगा ? हम चाहते हैं कि 1-1½ अश्व शक्ति वाले इंजनों को केवल लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा जाए तथा इन एककों में वितरण

[श्री निम्बालकर]

होने वाले कच्चे माल के बारे में भी जांच कराई जाए। प्राय: कच्चे माल को काले बाजार में ले जाकर ऊंची कीमतों पर बेच दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लघु उद्योगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

क्या मंत्री महोदय कोल्हापुर में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक बड़ा कारखाना खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ताकि उद्यम नगर के ढलाई घरों का पूरी-पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। कोल्हापुर की औद्योगिक संभाव्यता की जांच हेतु क्या एक समिति का गठन किया जाएगा ताकि शिक्षित बेरोजगारों को काम में लगाया जा सकें। कोल्हापुर में एक अल्यूमीनियम कारखाना भी खोला जाना चाहिए। केवल वचन दे देने से काम नहीं बनेगा। मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि वह स्वयं मामले की जांच करेंगे तथा यह देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोल्हापुर और उद्यम नगर के लिए प्रस्तावित योजनाओं की क्रियान्विति की जाती है अथवा नहीं ?

श्री मोइनुलहक चौधरी : हमने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले के बारे में बातचीत की थी। उन्होंने कोल्हापुर में किसी उद्योग के बन्द होने की सूचना नहीं दी। यह बात उन्होंने स्वीकार की है कि वहां कुछ वर्षों से मन्दी चल रही है और हम भी इस तथ्य से अपरिचित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में लघु उद्योग विकास संगठन से एक सर्वेक्षण कराया गया है। उन्होंने उत्पादन का विविधीकरण करने का सुझाव दिया है।

हम देश का विद्युतीकरण कर रहे हैं और लोग बिजली के इंजनों को डीजल इंजनों की अपेक्षा प्राथमिकता दे रहे हैं अत: इस कारण आज हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम उन लोगों की सहायता को तत्पर हैं। इस सम्बन्ध में एक दल उनके पास भेजा गया था और इस दल ने उन्हें उत्पादन में विविधता लाने का सुझाव दिया है। माननीय सदस्य यह आश्वासन चाहते हैं कि हम यह देखे कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं अथवा नहीं। सामान्यत: केन्द्र सरकार राज्य सरकार की वचनबद्धता की जिम्मेदार नहीं होती अत: मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से आश्वासन नहीं दे सकता किन्तु इतना अवश्य है कि मैं राज्य सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊंगा। जो कुछ भी उपाय वह इस सम्बन्ध में सोच रही हैं, उन्हें जरूर लागू किया जाएगा।

जहां तक तेल इंजनों से प्रतिबन्ध हटाने का प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं सबसे पहले यह प्रतिबन्ध लगाया था। इसके पश्चात ही आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों ने प्रतिबन्ध लगाया। अन्य राज्यों द्वारा बनाए जाने वाले ऐसे इंजनों की खरीद पर तकाबी ऋण की सुविधा नहीं दी जाती है।

कोल्हापुर के लोगों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है और इस सम्बन्ध में मैं अन्य राज्य सरकारों से विचार विमर्श करूंगा लेकिन कहां तक वह इन लोगों की सहायता कर पाएंगे, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि स्वयं उनके स्थानीय उद्योग संकट ग्रस्त है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि 10 अरब शक्ति वाले इंजन लघु उद्योगों के लिए ही सुरक्षित रखे गए हैं किन्तु मेरे विचार में इससे वर्तमान समस्या हल नहीं की जा सकती। जैसे-जैसे ग्राम्य विद्युतीकरण होता जाएगा, डीजल इंजनों का प्रयोग कम होता जाएगा।

यह भी सुझाव दिए गए हैं कि इन एककों द्वारा लिए गए करों की वसूली को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया जाए और कोल्हापुर में सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित किया जाए। हमने इन सुझावों को नोट कर लिया है।

इस समस्या की जांच के लिए किसी समिति की नियुक्ति करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता क्योंकि लघु पैमाने के उद्योग सम्बन्धी विकास संगठन ने पहले ही इसकी जांच कर ली हैं। और उसने इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करने का सुझाव भी दे दिया है।

श्री बी० आर० कावड़े (नासिक) : उद्योग केवल कुप्रबन्ध अथवा कच्चे माल के अभाव के कारण बन्द नहीं हुए। इनके बन्द होने के पीछे कुछ विशेष कारण थे, जिनके लिए विशेष उपायों का सहारा लेना पड़ेगा।

विद्युतीकरण के कारण तेल इंजनों या डीजल इंजनों की सांग कम हो गई है। साथ ही राज्य सरकारों ने अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए इंजनों पर भी प्रतिबन्ध लगा रखा है। सरकार को उन इंजनों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, जो बेकार पड़े हैं। अब तक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही नहीं की गई। वक्तव्य में तकाबी ऋणों का उल्लेख किया गया है, किन्तु तेल इंजन के उत्पादन से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है और यही तेल इंजन समस्या की जड़ हैं।

मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का उल्लेख किया है। निगम को चाहिए कि वह देखे कि सरकारी क्षेत्र में इन इंजनों का उपयोग कहां तक किया जा सकता है इस से समस्या कुछ हदतक सुलझेगी।

करों की वसूली को कुछ देर के लिए स्थगित कर देना चाहिए।

राज्यों द्वारा इंजनों पर लगाए गए प्रतिबन्धों को भी हटाना चाहिए।

श्री मोईनुलहक चौधरी : जहां तक राज्यों द्वारा तेल इंजनों पर लगाए गए प्रतिबन्ध का प्रश्न है, मैंने इस सम्बन्ध में उत्तर दे दिया है। राज्य सरकारों ने स्पष्ट यह कहा है कि लिये गए तकाबी ऋणों द्वारा केवल राज्यों में निर्मित इंजन ही खरीदे जा सकते हैं। इस राशि का प्रयोग अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए तेल इंजनों पर नहीं करने दिया जाएगा।

बिक्री कर की वसूली को स्थगित करना राज्य सरकारों का काम है। हम इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। मेरे विचार में सरकारी क्षेत्र में इन इंजनों की अभी जरूरत नहीं हैं। यदि हमें ये खरीदने पड़े, तो निश्चय ही हम इन्हें प्राथमिकता देंगे। हम इन मदों की निर्यात संभाव्यता का पता लगा रहे हैं और इस सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधिओं ने कोल्हापुर का दौरा किया है। वे यह पता लगा रहे हैं कि किस प्रकार इन मदों के निर्यात को बढ़ाया जा सकता है।

यह समस्या पूर्ण रूप से केवल उसी अवस्था में हल हो सकती है जबकि संबंधित उद्योग मात्र तेल इंजन का उत्पादन छोड़कर विविधीकरण का सहारा लें। यह समस्या तो किसी भी देश में जो औद्योगीकरण के पथ पर अग्रसर हो, उत्पन्न होती है। क्योंकि औद्योगिक टैक्नोलाजी में होती हुई प्रगति

[श्री मोईनुलहक चौधरी]

के कारण उपभोक्ताओं की रूचि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर आकर्षित होती है। अतः विविधीकरण के माध्यम से समूची समस्या को हल करना है। यदि कोल्हापुर के उद्योग ऐसा करना चाहते हैं, तो उन्हें भी लघु पैमाने के उद्योगों को उपलब्ध कराई जाने वाली सब प्रकार की सहायता दी जाएगी।

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड़) : कोल्हापुर उद्योगों के सम्बन्ध में दिया गया मंत्री महोदय का वक्तव्य काफी निराशाजनक है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर टालने की कोशिश कर रहीं हैं।

कोल्हापुर एक छोटा सा शहर है जिसकी जनसंख्या 2 लाख के लगभग है। उद्यम नगर इसी शहर का एक भाग है जिसमें 400 औद्योगिक एकक हैं तथा जिसमें 20,000 व्यक्ति काम करते हैं। इनमें उद्योगों से 30-40 तेल इंजन के उद्योग हैं। इनके उद्योगपति किर्लोस्कर बिड़ला अथवा टाटा बन्धुओं की तरह बड़े उद्योगपति नहीं हैं। मंत्री महोदय का कहना है कि पिछले दों ढाई वर्षों से इन उद्योगों को भारी मन्दी का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन दो ढाई वर्षों के भीतर केन्द्र सरकार ने इन लोगों की सहायता हेतु क्या कार्यवाही की है। यह समस्या केवल कोल्हापुर या महाराष्ट्र के लघु उद्योगों तक ही सीमित नहीं है, अपितु राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लघु उद्योग समान समस्या के शिकार है। सारा इंजीनियरिंग उद्योग मन्दी के दौर से गुजर रहा है। लगभग तीन चौथाई एकक बन्द हो गए है तथा लाखों रुपयों की कीमत के इंजन बेकार पड़े हैं। यह कहना तो बड़ा आसान है कि इंजनों का उत्पादन बन्द कर दिया जाए लेकिन यदि वह उत्पादन रोक दे, तो उन्हें अन्य कार्यों को शुरू करने के लिए ऋण कौन देगा। संभवतः मंत्री महोदय यह नहीं जानते कि इन छोटे उद्योगपतियों को बड़े उद्योगपतिओं जैसे किर्लोस्कर आदि से प्रतिस्पर्द्धा करनी पडती है।

मंत्री महोदय ने समस्या का निदान विविधीकरण में बताया है। लघु उद्योग दो वर्ष पूर्व ही उत्पादन का विविधीकरण करना चाहते थे। वह स्कूटरों के निमार्ण के लिए तैयार थे किन्तु सरकार ने उनके सुझावों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इन उद्योगों में उत्पादन के विविधीकरण हेतु सरकार का इन्हें क्या सहायता देने का विचार है ?

श्री मोईनुलहक चौधरी : मेरी समझ में नहीं आता कि लघु उद्योगों को स्कूटर निर्माण के लिए लाइसेस क्यों नहीं दिए गए। मुझे इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। यदि विशिष्ट रूप से यह मामला मेरे ध्यान में लाया जाएगा, तो मैं निश्चय ही इस बारे में छानबीन करूंगा।

जहां तक विविधीकरण का सम्बन्ध है, मैं अनेक बार कह चुका हूं कि इसके लिए लघु उद्योगों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। किन्तु इन इंजनों की बिक्री के लिए सुविधा प्रदान करने का आश्वासन देना कठिन है क्योंकि बाजार में इनकी माँग बिलकुल नहीं है।

किर्लोस्कर आदि का भी नाम लिया गया है। उन्होंने स्वयं इन इंजनों की विक्री को रोक दिया है। वह भी समान कठिनाई का सामना कर रहे हैं। उन्होंने हमसे सड़क रोलर के उत्पादन के लिए लाईसेस देने को कहा है, ताकि उनके उद्योगों में लगे व्यक्ति बेकार न हो।

हमें समय की पुकार के साथ बदलना होगा। एक तरफ कहा जाता है कि देश के सभी ग्रामों का विद्युतीकरण हो और दूसरी ओर इन तेल इंजनों को भी चलाना चाहते हैं। यह कैसा विरोधाभास है।

अतः मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि उत्पादन का विविधीकरण करके उद्योगों का आधुनिकीकरण किया जाए। हम गैर सरकारी उद्योगपतियों को किसी ऐसी चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकते, जिसे वह नहीं करना चाहते।

श्री धामनकर (भिवंडी) : कोल्हापुर उद्योग की स्थिति अत्यंत दयनीय है। पिछले तीन-चार वर्षों से वहां स्टाक इकठ्ठा हो गया है। कृषकों को तकाबी ऋणों की सुविधा प्रदान करने के बावजूद भी मांग बिल्कुल 'न' के बराबर है। मंत्री महोदय ने विविधीकरण को समस्या का हल बताया है। लघु उद्योग विकास आयोग को बताना चाहिए कि किस प्रकार का विविधीकरण संभव है ?

क्या इस बात की जांच हेतु कि कोल्हापुर क्षेत्र में कौनसे पुर्जे बनाए जा सकते हैं, सरकार एक समिति की नियुक्ति करेगी। मेरे विचार में इस प्रकार कठिनाई दूर की जा सकती है। अतः हमारे सामने दो मुख्य समस्याएं हैं। एक तो इकठ्ठे हुए स्टाक के निपटान की तथा दूसरे तेल इंजनों के निर्माण को घटाने की।

श्री मोइनुलहक चौधरी : लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा इस समस्या का सर्वेक्षण किया गया था। इन उद्योगों में विद्यमान मशीनों द्वारा किन वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, इसकी सूची दे दी गई है। यदि माननीय सदस्य वह सूची देखना चाहते हैं, तो मैं वह सूची उन्हें सप्लाई कर सकता हूं। यदि इंजीनियरिंग एसोसिएशन स्वयं इस सम्बन्ध में कोई सूची प्रस्तुत करना चाहती है, तो उसका स्वागत है।

केवल कोल्हापुर के लघु उद्योग ही संकट में नहीं हैं। जहां तक तेल इंजनों का सम्बन्ध है, सारे देश को इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। केवल कोल्हापुर को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। ऐसा करना न्यायोचित नहीं होगा।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलढ़ाना) : यदि बम्बई और पूना को छोड़ दिया जाए तो सारा महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रतीत होगा।

1968–69 से यह उद्योग भारी मन्दी का सामना कर रहा है और इन दो ढाई वर्षों के भीतर हम इस मन्दी से छुटकारा पाने के उपायों को खोजने में समर्थ नहीं हुए हैं। इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं।

क्या मंत्री महोदय ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि उन उद्योगों ने जिनके पास बैलंसिंग मशीनें हैं, नई मदों का उत्पादन शुरू कर दिया है ? दूसरे क्या निर्यात संभाव्यताओं का पता लगा लिया गया है और क्या इन उद्योगों ने उन वस्तुओं का निर्यात शुरू कर दिया है ?

श्री मोइनुलहक चौधरी : यदि इन उद्योगों ने उत्पादन का रुख मोड़ दिया होता, तो उनसे उनके बन्द होने की नौबत ही क्यों आती। यह उद्योग इस कारण बन्द हो गए हैं क्योंकि अब तक वह तेल इंजनों के उत्पादन में लगे हुए थे। जहां तक निर्यात का प्रश्न है, हमने तेल इंजनों के निर्यात का प्रयत्न किया है और इस सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम से निर्यात संभाव्यताओं का पता लगाने का अनुरोध भी किया गया है। हम लघु उद्योगों की हर संभव सहायता करेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1970–भाग 6–भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड के कार्य-चालन के संबंध में व्यापक मूल्यांकन का हिन्दी संस्करण।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का वर्ष 1969–70 का वार्षिक प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक)––भाग 8––इण्डियन एयरलाइन्स के कार्य-चालन का मूल्यांकन।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी–1739/72]

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लि० तथा हिन्दुस्तान कापर लि० की समीक्षा तथा प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 1970–71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची, का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गईं । देखिए संख्या एल० टी–1740/72]

(2) (एक) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के वर्ष 1970–71 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का वर्ष 1970–71 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गईं । देखिए संख्या एल० टी–1741/72]

पारपत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 70 (ङ) हिन्दी तथा

अंग्रेजी (संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी, 1972, में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–1742/72**]

अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक
UNTOUCHABILITY (OFFENCES) AMENDMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरास्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

प्रो० एस० नुरूल हसन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन विषय
MATTERS UNDER RULE 377

(1) चुनावों के दौरान अमरीकी वाणिज्य दूतावास से जनसंघ द्वारा धन प्राप्त करने के बारे में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के वक्तव्य का समाचार

श्री समर गुह (कन्टाई) : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पी० सी० सेठी ने एक गम्भीर आरोप लगाया है कि जनसंघ ने अमरीकी दूतावास से सांठगांठ की है तथा निर्वाचनों के लिये उनसे धन प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक चर्चा का उत्तर देते हुये उन्होंने कहा है कि अमरीकी वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी ने निर्वाचन के दौरान मध्य प्रदेश का दौरा किया तथा वह जन-संघ के कुछ प्रतिनिधियों से मिले तथा कुछ स्थानों पर मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयत्न किया है। यह एक गम्भीर आरोप है। लोकतंत्र के सिद्धान्त की सुरक्षा तथा देश कि अखंडता को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय जांच ब्यूरो से मामले की जांच कराई जानी चाहिये। गृहमंत्री को इस

[श्री समर गुह]

सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिये और सदन को बताना चाहिये कि क्या जनसंघ के विरुद्ध कोई मामला बनता है? यदि ऐसे आरोप प्रमाणित हो जाते हैं, तो ऐसे दोषी राजनैतिक दलों को देश में राजनैतिक दलों के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है ।

Shri R. V. Bade (Khargone) : Such a statement by the Chief Minister of Madhya Pradesh has been made after two or three months of the election in Madhya Pradesh and after the allegations were levelled against him. The Minister in Central Government should reply to it. He should produce if he has got any evidence in support of the allegations. This all is wrong.

(२) पंजाब के एक गांव में हरिजनों पर कथित अत्याचार

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : पंजाब में पटियाला से 24 कि० मी० दूर कौलेमजरा नामक ग्राम में हरिजन किसानों को दिन में खेतों पर जाने से रोका जाता है । दिन में स्त्रियों तथा हरिजन परिवार अपने घरों में एकत्र हो जाते हैं। जिससे वे अपने राजनैतिक विरोधियों के अमाननीय अत्याचारों से बच सकें ।

शराब पीकर लोग स्वतंत्रता से गांव में घूमते हैं और हरिजनों तथा उनके समर्थन करने वालों को गालियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं । 6 अप्रेल 1972 के हिन्दुस्तान टाईम्स के संवाददाता ने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित किया है । हरिजनों पर ये अत्याचार इस कारण किये जाते हैं कि हाल ही के विधानसभा निर्वाचनों में उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के समर्थन में मतदान किया । सरकार को इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहिये । ऐसे लोग देश में बहुत हैं जो हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों के फलस्वरूप देश के विनाश का अनुमान लगा सकते हैं । परन्तु हरिजनों पर अत्याचार होते समय सब मूकदृष्टा बने रहते हैं । यद्यपि इस विषय पर कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं पेश किया गया है, फिर भी सरकार को इन अत्याचारों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

अनुदानों की माँगे, 1972-73—जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1972-73—*Contd.*

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में मद संख्या 7 पर विचार किया जायेगा । इस चर्चा के लिये 6 घंटे का समय नियत किया गया था । 4 घंटे 10 मिनट तक चर्चा हो चुकी है । 1 घन्टा 50 मिनट शेष हैं । प्रो० नुरूल हसन, आप कितना समय लेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में राज्यमंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : मैं लगभग 50 मिनट का समय लूंगा तथा 10 मिनट मेरे सहयोगी उपमंत्री लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय 10 मिनट शेष हैं । आप 3 बजे अथवा 3 बजकर 15 मिनट पर अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं । श्री बारूपाल ।

Shri Pannalal Barupal (Ganganagar) : The Department of Social Welfare was set up for the upliftment of the downtrodden people and the backward classes. People of these

classes were poor as well as uneducated. But they have not at all been benefited by this Department. The money allocated for the upliftment of a particular class is not properly utilized. It would not be an exaggeration if I say that money so allocated is misused. It does not reach those people for whom it was intended. The money is spent on party basis for the welfare of Harijans through Panchayats. Not only this, at times this amount is not released and goes lapse.

There is a provision of legal assistance to Harijans by the Social Welfare Department in case there is any atrocity on them. But I find that for the last three years, they have not been benefitted on this account.

As regards housing, there is a provision of giving Rs. 500 per family. This amount is not adequate and should be increased to Rs. 1000/-. But the problem is that even the small amount of Rs. 500/- is not available to them.

There is provision of Social Welfare centres for Harijans. Lady village level workers are posted in these centres to train women in certain technical matters and matters relating to cottage industries. But these village level workers are not discharging their duties honestly and are found busy either in election campaign or in the household affairs of the president of Social Welfare centres. The Government should make an enquiry into it.

A hostle had been opened for the Harijans students in Rajasthan in 1950. Twenty two years have passed but the building has not yet been constructed and the Hostel is still running in a rented building. The Government should pay their attention to these matters.

The Government in competent to solve efficiently the serious problems—problem like Bangla Desh, but crores of Harijans in India today are poor and leading a miserable life. No body cares for them. The problem of drinking water facilities has not yet been solved. The Social Welfare Department provides some funds for the drinking water facilities, but those funds are not spent in full. The Government should set up a committee to see that the funds provided by the Social Welfare centre are properly and fully utilized.

Dr. Govind Das (Jabalpur) : After the independence of the nation, we have been engaged in the work of reconstruction and there is no doubt that we have made definite material progress. But so far as providing a sound footing to the new generation is concerned, we have achieved nothing and we find ourselves at the same ground on which we had been in pre-independence period.

Mr. Speaker : He may continue after lunch.

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुयी।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बज कर 4 मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई।)

(The Lok Sabha then re-assembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock.)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

Dr. Govind Das : So, I was saying that we have made material progress and it is so because in our five year plans we have given importance only to the material side. I am not

[Dr. Govind Das]

opposed to material progress. But if we march with the sole objective of material advance ment, it will not contribute to the welfare of the people, individually as well as Socially.

Having material advancement as the only objective in sight, we have neglected the importance of religion in making of our new generation and consequently money because the dominating factor of life. The pre-dominance of money in life ushered moral degradation, britely and corruption in society. The Government should look into it. We can put our new generation on a sound footing only when religion, in its broader and particular perspective, is introduced in our educational system.

All the commissions and committees appointed to consider the question of educational reforms have recommended inclusion of religion education in our curriculam but nothing has been done so far in this regard.

The edifice of our material advancement should be based on spiritualism unless this is so, there is no progress at all.

So far as the question of socialism and removal of poverty is concerned, religion is neither against socialism nor removal of poverty. Long ago our Rishis have propounded a thesis that we all are one and the same thing as this whole universe is one phenomenon.

As regards language, it is very unfortunate that despite the declaration of official policy Hindi and other Indian languages have not yet been introduced as medium of instruction at the university level. There is no country in the world where the medium of education is a foreign language. Therefore, we should change our present educational system and give due place to Indian languages in that.

श्रीमती एम० गौडफ्रे (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ । गतवर्ष मैंने स्कूल के बच्चों को आवासीय सुविधा में प्रदान किये जाने के विषय में कहा था । मैं उस बात पर पुन: जोर देती हूँ कि बच्चों को इतने समय तक ठहरने के लिये स्कूलों के वर्तमान भवन उपयुक्त नहीं हैं ।

भारत सरकार ने 30,000 प्राइमरी स्कूल अध्यापक तथा 240 सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति के लिये एक योजना को स्वीकृति दी है । यदि सहायक निरीक्षकों के स्थान पर निरीक्षकों की नियुक्ति की जाये तो वे अच्छा कार्य कर सकते हैं और यह ठीक रहेगा ।

निरीक्षकों को बहुत कम वेतन मिलता है । यदि कुछ और निरीक्षक नियुक्त किये जाये जो प्रत्येक स्कूल में जाकर वहां के छात्रों तथा अध्यापकों का कार्य-करण देखें तो प्रगति हो सकती है ।

प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख है कि लगभग 1 लाख स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है । मैं जानना चाहूंगी कि वह भोजन क्या दिया जाता है । मैं आंध्र प्रदेश के कई स्कूलों में गई । वहां मैंने देखा कि बच्चों को दो छोटे-छोटे बिस्किट दिये जाते हैं । जब सी० ए ०आर० इ० मध्याह्न भोजन दे रहा हे तो सरकार जो पैसा इस भोजन पर व्यय कर रही है, उसका क्या हो रहा है । इसकी जांच की जानी चाहिये ।

सरकार ने युवकों के काम के लिये केन्द्र खोले हैं जो अच्छा कदम है । इस काम के केन्द्रों में सुधार किया जाना चाहिये तथा इनका स्तर बढ़ाया जाना चाहिये ताकि वे किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र दे सकें, जो लड़के-लड़कियों को रोजगार ढूंढ़ने में सहायक सिद्ध हो ।

इन काम के केन्द्रों के संचालन पर सरकार काफी रुपया खर्च कर रही है । इनमें जो उत्पाद तैयार होते हैं उन्हें बेच कर इन केन्द्रों के संचालन के लिये खर्च निकालना चाहिये ।

हमारे स्कूल के बच्चों में राष्ट्रीय एकता का भाव उत्पन्न करने के लिये देश गीतांजलि एक अच्छा विचार है, परन्तु राष्ट्रीय-गीतों को सिखाने वाले अध्यापकों के लिये राशि स्वीकृत की गई है । इस कार्य के लिये अध्यापकों को कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिये बल्कि यह कार्य दैनिक कार्य-क्रम के अन्तर्गत आना चाहिये ।

यह कहा गया है कि सरकार स्वेच्छिक शिक्षण संस्थानों को विज्ञान की शिक्षा तथा पुस्तकालय सुविधाओं के लिये सहायता दे रही है तथा चौथी योजना में इस कार्य के लिये 45 लाख रुपये नियत किये गये हैं । परन्तु क्या इस राशि का विभिन्न राज्यों में वितरण किया जाता है ? इस राशि के वितरण की जांच की जानी चाहिये तथा जो शिक्षण संस्थाएं वास्तव में अच्छा कार्य कर रही हैं उनकी किसी न किसी प्रकार से सहायता की जानी चाहिये ।

आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सरकार कुछ स्कूलों को मान्यता प्रदान नहीं कर रही है क्योंकि उनमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है । अल्प संख्यकों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का मूल अधिकार है । अतः सरकार को उन्हें मान्यता देनी चाहिये ।

आंध्र प्रदेश सरकार उन माता-पिताओं की संख्या को ध्यान में रख रही है जो अपने बच्चों को तेलुगु के अतिरिक्त शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं । सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे सकती है तथा बड़ी कम्पनियां अंग्रेजी अथना हिन्दी जानने वाले व्यक्तियों को रोजगार देती है, तो वे लड़के सड़कों पर घूमेंगे जो एक ही भाषा के माध्यम से पढ़ेंगे ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जैसे विषयों की प्रादेशिक भाषाओं में अच्छी पुस्तकें नहीं हैं । कालेज स्तर तक इस कारण पढाई अच्छी नहीं हो पाती । केन्द्रीय सरकार को राज्यों में शिक्षा पर कुछ नियन्त्रण करना चाहिये ताकि समूचे भारत में समान स्तर हो तथा लड़के-लड़कियां यह समझे कि भारत उनका है ।

मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि सप्रू हाउस लाइब्रेरी, जो विश्व में तीसरे स्थान तथा एशिया में प्रथम स्थान वाली लाइब्रेरी है, को विभाजित करने का प्रस्ताव है ।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं इस बात से असहमत हूं कि समाज कल्याण कार्यों के लिये दी गई राशि उन कार्यों पर व्यय नहीं की जा रही है । हम इस पर पूरी निगाह रखते हैं ।

समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जातियों आदि की दशा सुधारने से सम्बधित है । देश ने काफी प्रगति की है । परन्तु पिछड़ी जातियों के लिये विशेष कार्यक्रम न होने से उन्हें लाभ नहीं पहुंचा है ।

[श्री के० एस० रामास्वामी]

संविधान के प्रणेताओं ने पिछड़ी जातियों आदि के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत उनके विभिन्न हितों के लिए व्यवस्था की है ।

समाज कल्याण विभाग को नीति निदेशक तत्वों की क्रियान्विति का कार्य सौंपा गया है।

हम विभिन्नि पंचवर्षीय योजनाओं में समाज कल्याण कार्यों के लिये अधिकाधिक राशि की व्यवस्था करते हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों पर हम चौथी पंचवर्षीय योजना में 327 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं ।

1931 में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 9.5 प्रतिशत की तुलना में 1.9 प्रतिशत थी जो 1961 में बढ़ कर 24 प्रतिशत की तुलना में 19.27 प्रतिशत हो गई । इसी प्रकार अनुसूचित जन जातियों में भी साक्षरता की दर बढ़ी है।

इसी प्रकार इन जातियों के छात्रों को बीस वर्ष पहले मैट्रिक से आगे के अध्ययन के लिये जो छात्रवृतियां दी जाती थी, उनमें भी भारी वृद्धि हुई है । इन जातियों के छात्रों को मैट्रिक से आगे के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की मांग की गई है । इस समय अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को बिना किसी योग्यता अथवा शर्त के छात्रवृत्तियां दी जाती है तथा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए यह शर्त है कि जिस छात्र के माता-पिता की मासिक आय 500 रुपये अथवा इससे अधिक होगी उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी । इस वर्ष नियो-बुद्धिस्ट, को भी ये शिक्षण सुविधायें दी जायेंगी ।

अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों की छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिये—लड़कियों के छात्रावास के लिये चौथी योजना में 2 करोड़ रुपये तथा इस वर्ष लगभग 30 लाख रुपये रखे गये हैं ।

यह सुझाव दिया गया है कि आश्रय स्कूल खोले जाने चाहियें तथा उनमें कोई शिल्प सिखाया जाना चाहिये । इस समय 733 आश्रम स्कूल चल रहे हैं तथा हम इन स्कूलों को अधिकाधिक सहायता दे रहे हैं । उनमें कताई, बुनाई तथा कसीदाकारी, आदि शिल्प भी सिखाये जा रहे हैं ।

यह आलोचना की गई है कि इन लोगों को मकान नहीं दिये गए हैं । यह कार्य राज्यों का है । इस कार्य के लिये हम 75 प्रतिशत अनुदान देते हैं तथा शेष लाभ पाने वालों को वहन करना पडता है । इन लोगों को 1970–71 में 1249 मकान तथा 475 मकानों के लिये स्थान दिये गये हैं ।

जहां तक पेय जल की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, यह कार्य राज्यों द्वारा दिया जा रहा है ।

बच्चों के पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम की काफी आलोचना की गई है । इस वर्ष अनाथालयों में अनाथ बच्चों की सहायता के लिये 30 लाख रुपये रखे गये हैं तथा 0–6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिये हमने विशेष पोषण कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो समूचे देश के लिये है ।

आदिवासी क्षेत्रों तथा नगरों की गंदी बास्तियों में अनुपूरक पोषण के लिये जो लक्ष्य था, उसमें अत्यधिक प्रगति हुई । इस प्रगति को देखते हुए इस कार्यक्रम को 450 आदिवासी विकास खंडों तथा 200 से अधिक नगरों से गंदी बस्तियों के लाभ के लिये बढ़ा दिया गया है।

अगले वर्ष इन कार्यक्रम को 30 लाख बच्चों के लिये बढ़ाया जायेगा तथा इस प्रयोजन के लिये 20 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह कार्यक्रम उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जायेगा जहां पोषण की दृष्टि से व्यय वहन नहीं किया जा सकता।

जहां तक बस्तर में कुछ महिलाओं पर किये गए अत्याचार का प्रश्न है, इस मामले में गृह मंत्रालय जाँच कर रहा है ।

अस्पृश्यता निवारण के लिये काफी कुछ कहा गया है। शिक्षा मंत्री ने अस्पृश्यता अपराध रोक विधेयक पुरःस्थापित किया है उससे काफी सहायता मिलेगी ।

जहां तक खेल-कूद का सम्बन्ध है हमने इस क्षेत्र में अदभूत कार्य किया है, अगले वर्ष हमारी स्वाधीनता की रजत जयंती पर राजधानी तथा राज्यों की राजधानियों में बहुत बड़े स्तर पर खेल कूद होगें ।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : शिक्षा के बारे में हमारी राष्ट्रीय नीति क्या है? क्या हम अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को सही मार्ग पर ले जा रहे हैं ? योजना मंत्री ने कहा है कि चौथी योजना की सफल क्रियान्विति होगी और सिंचाई और विद्युत मंत्री ने कहा है कि क्रान्तिकारी कदम उठाये जायेंगे ।

परन्तु शिक्षा मंत्रालय क्या क्रांतिकारी उपाय कर रहे हैं ? हम रुढ़िवादी बातों को दोहराते रहते हैं परन्तु कोई नया सुझाव नहीं आया है । सेठ गोविन्ददास ने ठीक ही कहा है कि हम भौतिक रूप से बढ़ रहे हैं परन्तु हमारा चरित्र ऊंचा नहीं हो रहा है।

यदि श्रीनगर, कन्याकुमारी, भावनगर तथा गौहाटी में चार जोनल विश्वविद्यालय खोले जायें तथा उनमें समान पाठ्यक्रम हो, तो हमारी जनता के मस्तिष्क पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा ।

केन्द्रीय मंत्री बार-बार इस बात पर बल देते रहे हैं कि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा होनी चाहिये । परन्तु कुछ राज्य तो उनके पत्रों का उत्तर नहीं देते हैं तथा जो उत्तर देते हैं, वे इस विचार से असहमत होते हैं ।

यदि दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा विश्व-भारती को साथ मिला दिया जाये तो हम प्रजातन्त्र के विचार को क्रियान्वित कर सकेंगे ।

पांचवी योजना में 1000 केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने चाहिये तथा उनमें समान पाठ्यक्रम आदि होना चाहिये । तभी हम राष्ट्रीय एकता कर पायेंगे ।

[डा० कैलास]

1970–71 में केन्द्रीय खेल-कूद परिषद तथा राज्य खेल-कूद परिषदों को कितना अनुदान दिया गया है? क्या केन्द्रीय खेल-कूद परिषद की स्थापना की जायेगी ? महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा तथा तमिलनाडु से गैर-छात्रा युवकों के लिये ग्रामीण खेल-कूद केन्द्रों की स्थापना के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ? 'अवर-इंडिया प्रोजेक्ट' को कब क्रियान्वित किया जायेगा ? इसके अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय छात्र अध्यापक शिविरों के लिये 50 लाख रुपये की राशि रखी गई है, ऐसे एक या दो शिविर अक्टूबर, नवम्बर, 1972–73, 1973–74 में होने चाहियें ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : शिक्षा सदैव जनता की प्रजातांत्रिक अनुमति से सामाजिक परिवर्तन लाने का माध्यम रही है । बढ़ते हुए उद्योगों तथा जटिल समस्याओं के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में शिक्षा प्रणाली का भी योगदान रहा है । विज्ञान तथा वैज्ञानिक विषय भी स्नातकों की वैज्ञानिक अभिरुचि का निर्माण करने में सहायक होने चाहियें ताकि रूढ़िवादी समाज की धारणाएं तथा विचारधारा समाप्त हो जाये ।

आज समस्या यह है कि ये लक्ष्य जो केवल विचार प्रतीत हो रहे हैं उन्हें शिक्षण क्षेत्र में कुछ नीतियों तथा कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित करके यथार्थ रूप किस प्रकार दिया जाये ?

एक समय था जब शिक्षा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की थाती होती थी । परिवर्तन के नए झोंके के साथ आज स्नातकों की बढ़ती हुई संख्या निम्न वर्ग की है । प्राथमिक शिक्षा के आंकड़ों को देखा जाये तो पता चलेगा कि 1950–51 में छात्रों की जो संख्या 191.5 लाख थी वह 1973–74 में 682.6 लाख हो जायेगी । मैं केन्द्रीयकरण के पक्ष में नहीं हूं फिर भी यह सुझाव देना चाहूंगा कि प्राथमिक शिक्षा में केन्द्र को और अधिक प्रभावी हस्तक्षेप करना चाहिये तथा उनके लिये अधिक धन राशि नियत करनी चाहिए ।

जहां तक शिक्षा के स्तर तथा असमानता का प्रश्न है, हमारे देश में रईसों के स्कूलों से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो रहा है जो इस बात की चिंता नहीं करता कि समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं । इसे हटाया जाकर शैक्षणिक स्तर में समानता लाई जानी चाहिये ।

हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली "एक सूत्र प्रावष्टि" पर आधारित है । ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति अपनी प्रारम्भिक अवस्था में शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने का अवसर नहीं पा सके, उनके लिये अंशकालिक पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने चाहिये ।

6–11 आयु वर्ग वाले बालकों में लड़कियां कम पढ़ती हैं तथा लड़के अधिक । इसमें सुधार किया जाना चाहिये ।

परीक्षा प्रणाली स्मृति का परीक्षण करना मात्र है जो एक प्रकार से जुंआ अथवा लाटरी है ।

इतिहास को पढ़ाने की पद्धति में पूर्णतया परिवर्तन किया जाना चाहिये । इसमें न तो "हिन्दूकरण' होना चाहिये और न ही 'मुस्लिमकरण' । इसमें सिर्फ 'भारतीय' की झलक मिलनी चाहिए ।

अन्तर्विश्वविद्यालयीन सम्पर्क स्थापित करने के लिये शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिए तथा जहां हिन्दी नहीं समझी जाती है, वहां अंग्रेजी अथवा प्रादेशिक भाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। भाषा सम्बन्धी इस नीति की क्रियान्विति में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

Shri Hari Singh (Khurja) : To-day the students of colleges and universities resort to violence and indiscipline instead of becoming good citizens. May I know whether something practical can be done through education to mould this violent attitude of the students towards peace ? Some concrete changes have to be brought about in the system of education. To-day there is no uniform medium of instruction throughout the country.

It was agreed to in National Integration Council held at Srinagar that the standard of basic education should be uniform in the country.

Education is not free from corruption. A new type of corruption has developed in schools and colleges. The corrupt principals or teachers indulge in publication of some newspaper or in magazines with this power of press. These people manipulate in such a manner that managers and officers are afraid of them.

There is vast difference in salaries of teachers of Delhi and Ghaziabad. That should not happen.

A factory is being set up near Fatehpur Sikri. It's smoke will detoriate the environments there.

There is a museum in Calcutta Memorial. An image of slavery during the British regime is being exhibited there. We should arrange to exhibit true picture of India there.

Only the members of those families of schedule casts and tribes who have political backing get much benefits.

Efforts should be made to clean the Harijan Bastis on war footings.

Shri Ram Surat Prasad (Bansgaon) : I support the budget of Education Ministry. There has been rise in number of students in schools and colleges. But there should be qualitative change.

The condition of primary teachers in the country is pitiable. The school buildings are in bad condition. We cannot achieve that level of education in these circumstances. There needs improvements.

The Government spends money on social welfare. It needs to be examined as to whether the amount goes to the persons for whom it is meant. A large amount is spent on the students of schedule casts and schedule tribes, but the students thus educated fail to get employment and go back to their community. The Government should collect this data. Arrangement shoule be made to provide services to those people.

The Government should keep a check on the amounts being spent through the States.

The hon. Minister has said that the Government has spent money on boarding houses for girl students of scheduled casts. But the people of these casts want to keep their girls at their homes. That amount should be given to them as grant.

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं प्रधान मंत्री के कुछ धर्म धारण करने वालों को शिक्षा सुविधाएं देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

मुझे आशा है कि सरकार उनके लिए सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था भी करेगी।

जो छात्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं, उसकी रकम पिछली शताब्दी में निर्धारित की हुई है, अर्थात 27 रुपये तथा छात्रावास में रहने वालों के लिये 40 रुपये ये बहुत कम हैं, उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए।

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : We should have seperate Departments to deal with Social Welfare and Harijan. We discuss this issue every year but the position remains as it was previously.

Special effects should be made for the Harijans. The literature which speak ill of Harijans or of ladies should be done away with.

I am told that there is not a single Harijan in the Harijan Welfare Department. It is sometimes attached to Home Ministry and sometimes to Education Ministry.

The existence of Department of social welfare is good but it is essential to man it with able persons.

The Government was formed on the strength of Harijans, but the condition of Harijans remain the same.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयत्न करेंगे जिसमें माननीय सदस्य संतुष्ट हों।

मुझे इस बात पर अत्यन्त खेद है कि स्वतन्त्रता के 25 वर्ष पश्चात् भी हरिजनों की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिये हमें नये उपाय करने होंगे।

श्री बेरवा ने भवनों और उपकरणों से विहीन पाठशालाओं की चर्चा की तथा श्री भट्टाचार्य ने शिकायत की कि पश्चिम बंगाल के शिक्षकों को इसलिए तंग किया गया क्योंकि उनकी सहानुभूति उनके दल के साथ थी। ऐसे दो मामले सरकार की जानकारी में आये हैं और उनकी जांच की जा रही है।

राज्य सरकारों से सम्बन्धी जो मामले नीति के सम्बन्ध में हैं, उनकी ओर मैं उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा। अनुदानों की स्वीकृति मिलते ही दिल्ली के शिक्षकों के नये वेतनमान लागू करने के अनुदेश जारी कर दिये जायेंगे। शिक्षकों के 3 वर्ष से बन आये अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के आदेश दे दिये गये हैं।

सप्रू हाउस की लाइब्रेरी को अविभाजित करने का कोई आश्वासन प्रो० वी० के० आर० वी० राव ने नहीं दिया था। 125 संसद सदस्यों द्वारा दिये ज्ञापन में भी उसका उल्लेख नहीं था। कुछ माननीय सदस्य मुझे मिले थे और उन्होंने सप्रू हाउस की लाइब्रेरी के लिये संयुक्त ढ़ांचा रखने के

लिये कहा था। मैंने आश्वासन दिया था कि दोनों सम्बद्ध पक्षों द्वारा किसी सम्मत हल पर सरकार ध्यान देगी। मैंने यह भी कहा था कि यदि इन पुस्तकों को नये कैम्पस में ले जाने का निश्चय हुआ तो सप्रू हाउस में सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये सहायता दी जायेगी।

हमने राज्य सरकारों से कहा कि राष्ट्रीय फिटनेस कोर तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशासन तथा शिक्षकों की सेवाओं को राज्य अपनी सेवाओं में ले लें। मुझे पता चला है कि अधिकांश शिक्षकों के वेतनों-मानों में वृद्धि होगी। किसी को भी कम वेतन नहीं दिया जाएगा। जो राज्य सेवा में जाना चाहेंगे, उन्हें नौकरी का संरक्षण मिलेगा।

तमिलनाडु के सदस्य के सुझाव प्रशंसनीय हैं। हम ध्यान रखेंगे कि जो धन आवंटित किया गया है, उसका पूरा उपयोग कर लिया जाये। पिछले वर्ष 2.87 करोड़ रुपए 5 प्रतिशत सामान्य व्यय में कटौती के अन्तर्गत तथा 1.51 करोड़ राज्यों को वास्तविक स्वीकृतियां अक्तूबर में भेजे जाने के कारण बचे। 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति में कुछ समय लगा, इसलिये भी पूरा धन व्यय नहीं हो सका।

राष्ट्रीय शिक्षण अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के व्ययों में बचत सामान्य बचत योजना के अधीन हुई।

श्री अफजल पुरकार द्वारा दर्शायी गई 147 करोड रुपये की राशि के बारे में मुझे आशा है कि भविष्य में राज्य सरकारें इस बारे में अधिक कारगर कार्यवाही करेगी।

अमरीकी सहायता के 1.2 करोड़ डालर के पूरा उपयोग न होने का कारण दोनों सरकारों में ऋण की शर्तों के तय होने में देरी थी।

केन्द्रीय पाठशालाओं में क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षण को प्रोत्साहन देने की केन्द्रीय सरकार की नीति रही है। व्यवस्था यह है कि जहां 20 अथवा अधिक छात्र राज्य की क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा सुविधा की मांग करें, तो शिक्षक की नियुक्ति पूर्णतः केन्द्र के व्यय पर की जा सकती है।

तमिलनाडु के आठ केन्द्रीय विद्यालयों में से छह में पहले ही तमिल की शिक्षा दी जा रही है।

यदि हमारे पास प्रस्ताव आएगा, तो तमिल पुस्तकों के लिये दिये गये एक करोड़ रुपए में से तमिल शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय संस्था को धन दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री सुलेमान सेट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक का उल्लेख किया। सदस्यों को मालूम ही है कि चालू अधिवेशन की कार्य-सूची में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक को शामिल कर लिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्तमान स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री ने पटना विश्वविद्यालय का विशेष रूप से उल्लेख किया। पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने का प्रश्न प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रश्न से जुड़ा हुआ है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। इस बारे कोई निर्णय नहीं किया गया है और मामला अभी भी विचाराधीन है।

[प्रो० एस० नुरुल हसन]

श्री जगन्नाथ मिश्र ने बिहार में दरभंगा में एक अन्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का उल्लेख किया और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने मिथिला विश्वविद्यालय का भी उल्लेख किया । यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है, जिसने एक समिति नियुक्त की थी । समिति की रिपोर्ट आयोग को मिल चुकी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्णय कर लिये जाने पर राज्य सरकारें अगली कार्यवाही करेंगी ।

कुछ माननीय सदस्यों ने पुस्तकालय आन्दोलन के विस्तार की मांग की है । मैं इस मांग से सहमत हूँ । हमने राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान स्थापित करने का निश्चय किया है, जो राष्ट्रीय पुस्तकालय आन्दोलन की एक नई दिशा देने में सहायक होगा । राजा राम मोहन राय की द्वि-शताब्दी मनाने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है ।

केन्द्रीय विद्यालय, कोटा के बारे में एक विशिष्ट प्रश्न किया गया । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वहाँ 70 प्रतिशत छात्र गैर-केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के नहीं हैं, बल्कि उनकी संख्या 50 प्रतिशत ही है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद के पेट्रोलियम इंजीनियरों का उल्लेख किया है । इण्डियन स्कुल आफ माइन्स, धनबाद में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का डिग्री पाठ्यक्रम वर्ष 1957 में प्रारम्भ किया गया था । वर्ष 1970 तक स्कूल से 201 व्यक्तियों ने डिग्री प्राप्त की, जिसमें से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 146 व्यक्तियों अर्थात् 73 % व्यक्तियों को रोजगार दिया । अन्य नियोजक आयल इण्डिया, इण्डियन आयल कम्पनी हैं । कुछ छात्र उच्चतर अध्ययन के लिए विदेशों में चले गये । सितम्बर 1971 में इस स्कूल से 18 व्यक्तियों ने डिग्री प्राप्त की। तब से हम तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग तथा अन्य संगठनों से इन पेट्रोलियम इंजीनियरों को लाभ-प्रद रोजगार देने का अनुरोध करते रहे हैं । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने सूचित किया है कि तेल की खोज के लिए खुदाई सम्बन्धी नये प्रस्तावों के मंजूर हो जाने पर नये इंजीनियरों को यथा सम्भव उचित रोजगार उपलब्ध किया जायगा । श्री केशव देव मालवीय की अध्यक्षता में एक विशेष समिति तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए दीर्घकालिक भावी योजना बना रही है । योजना राज्य मंत्री श्री मोहन धारिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों को दो वर्ष के अन्दर अन्दर रोजगार उपलब्ध कर दिया जायगा । हमने संघ लोक सेवा आयोग से सिफारिश की है कि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग में सहायक ड्रिलिंग इंजीनियरों के पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त इंजीनियरी सेवाओं के लिए पेट्रोलियम इंजीनियरी की डिग्री को मान्य समझा जाय ।

पेट्रोलियम ड्रिलिंग और पेट्रोलियम रिजरवायर इंजीनियरिंग में यह एक विशेष पाठ्यक्रम है, इसलिए विद्युत और यांत्रिकी इंजीनियरिंग अथवा रसायन इंजीनियरिंग के लिए उक्त डिग्री प्राप्त लोगों को पूर्णतया उपयुक्त नहीं समझा जाता । हम इस बात की जाँच कर रहे हैं कि क्या इस प्रकार के ग्रेजुएटों को अन्य इंजीनियरी कार्यों के लिए भी उपयुक्त समझा ज़ा सकता है अथवा नहीं । मैं एक ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में राज्य सभा में पहले ही आश्वासन दे चुका हूँ कि मैं यथा शक्ति प्रत्येक पूर्ण योग्यता प्राप्त व्यक्ति को यथा सम्भव शीघ्र उपयुक्त रोजगार दिलाने का भरसक प्रयास करूँगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने हानिकारक पाठ्यपुस्तकों का उल्लेख किया । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने 1000 पुस्तकों की समीक्षा कर ली है और दस राज्यों को रिपोर्ट भेजी

जा चुकी हैं। उन राज्यों ने उन्हें क्रियान्वित कर दिया है। प्रत्येक पुस्तक के बारे में तीन स्वतंत्र समीक्षायें प्राप्त की गईं और समितियों के समक्ष उन्हें रखा गया। उसके बाद सिफारिशें की गईं।

प्रति-व्यक्ति-शुल्क के बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीति पूर्णतया स्पष्ट है। प्रति-व्यक्ति-शुल्क लेने वाली संस्थायें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से किसी प्रकार का अनुदान पाने के हकदार नहीं हैं परन्तु मैं इस सुझाव के विरुद्ध हूँ कि इन संस्थाओं का अधिग्रहण कर लिया जाय, क्योंकि इसका अर्थ तकनीकी शिक्षा का गैर-योजनाबद्ध विकास करना होगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : अलाप्पी स्थित मैडिकल कालेज में छात्रों से प्रति-व्यक्ति-शुल्क वसूल किये जाने के लिए छात्र दोषी नहीं हैं। उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के दोष के लिए दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। अतः अधिग्रहण या अन्य किसी प्रकार से उनकी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए।

प्रो० एस० नुरूल हसन : मैं इस बारे में पहले ही अपना मत व्यक्त कर चुका हूं।

संस्कृत आदि भाषाओं के विकास की आवश्यकता के बारे में मैं सदस्यों से सहमत हूं। हम भाषा प्रयोगशाला तकनीकों और भाषा के अध्यापन के नये तरीकों से स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत के अध्यापन की योजना बनाने में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।

मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें संस्कृत के अध्यापन-अध्ययन को महत्त्व दिया गया है।

संस्कृत, पाली और प्राकृत के संयुक्त अध्ययन को बढ़ावा देने का सुझाव महत्त्वपूर्ण है और मैं इसकी संभाव्यता पर विचार करूंगा।

माननीय सदस्यों ने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। उनमें एक सुझाव यह है कि सारे देश में शिक्षा का समान ढाँचा और प्रक्रिया होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में भी इस पर बल दिया गया है।

निरक्षरता कम करने और निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर अनेक सदस्यों ने बल दिया है। मुझे आशा है कि सदस्य राज्य सरकारों पर इस बारे में अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे।

मैं उच्च शिक्षा का उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि विभिन्न प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा पहले विचार किया जाता है। ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। यही बात परीक्षा प्रणाली के सुधार के बारे में हैं। सदस्यों ने इस बात की भी आलोचना की अनेक महत्त्वपूर्ण समितियों और आयोगों ने रिपोर्ट दी हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश को क्रियान्वित नहीं किया गया है। हम संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाली अधिकाधिक सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे।

[प्रो० एस० नुरुल हसन]

सदस्यों को पता ही है कि प्रधान मंत्री ने शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन पर जोर दिया है। उन्होंने पिछले वर्ष संकट के समय और विदेश यात्रा के अवसरों पर भी इस बात पर बल दिया कि भारतीय जनता के समक्ष जो मूल लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए शिक्षा सहायक होनी चाहिए।

संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में शिक्षा से सम्बन्धित दो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का उल्लेख है और अनुच्छेद 41 में समाज के कमजोर वर्गों के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का विकास करना है, ताकि वह आत्म-निर्भरता और सामाजिक वचनबद्धता के गुणों का विकास करके तेजी से बदल रहे विश्व की चुनौतियों का सामना कर सके। शिक्षा का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक प्रकृति के विकास में सहायक होता है इसलिए शिक्षा एक समेकित प्रक्रिया है और इसमें प्राइमरी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली परिवर्तन शामिल है। शिक्षा केन्द्रों को समाज अथवा विविध युवक गतिविधि का केन्द्र बनाया जाना चाहिए।

हमारा विचार यह भी है कि देश के विभिन्न भागों में आदर्श विद्यालय स्थापित किये जाने चाहिये जिससे वे सिद्धान्त और लक्ष्य जिन्हें हमने स्वीकार किया है, देश के विभिन्न भागों में पहुँच सकें। इससे वर्ग भेद की भावना भी नहीं पनप सकेगी।

श्री दण्डवते ने सुझाव दिया कि जो स्कूलों में हैं और जो स्कूलों में नहीं हैं उन्हें साथ-साथ समान सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि शिक्षा केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए जो किसी निश्चित आयु में स्कूल जाते हैं, बल्कि स्कूल न जाने वाले व्यक्तियों को भी बाद में वही सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

इस समय प्रश्न है शिक्षा के स्तर को ऊँचा बनाए रखना और अधिकांश जनता की उच्च शिक्षा की आवश्यकता को पूरी करना। मैं आशा करता हूँ कि बहुत शीघ्र ही सदन और देश के सामने कुछ प्रस्ताव पेश किये जायेंगे, जो यदि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकार कर लिये गये तो शिक्षा के पुनर्गठन में कुछ परिवर्तन हो सकेगा

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लोर) : कल मैंने सुझाव दिया था कि संस्कृति के लिए निर्धारित राशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व के स्थानों और अवशेषों आदि की देखभाल के लिए राज्य सरकारों को धन दिया जाना चाहिए।

प्रो० एस० नुरूल हसन : यह केन्द्र और राज्य का प्रश्न नहीं है। प्रस्तावों पर निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श होता है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि राज्य सरकारों को हरेक कार्य सौंप देने से समस्या हल ही हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव सं० 5 से 8 और 11 से 22 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Cut motions No. 5 to 8 and 11 to 22 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the other cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की निम्नलिखित माँगे सभा में मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following Demands in respect of Ministry of Education and Social Welfare were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
6	शिक्षा विभाग	2,03,37,000
7	शिक्षा	66,04,62,000
8	समाज कल्याण विभाग	7,28,15,000
106	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	87,29,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संस्कृति विभाग की निम्नलिखित माँगे सभा में मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं ।

The following Demands in respect of the Deptt. of Culture were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
93	संस्कृति विभाग	3,75,25,000
94	पुरातत्व	2,03,52,000

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की मांग सं० 96 से 98पर चर्चा होगी और वे मतदान के लिए रखी जायेंगी ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन ने कुछ कटौती प्रस्ताव दिये हैं । क्या वह उन्हें पेश करना चाहते हैं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : जी, हाँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पेश किया हुआ मान लिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की निम्नलिखित माँगे सभा में चर्चा के लिये पेश की गयी :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
	राजस्व खाते से किया जाने वाला व्यय	रुपये
96	विज्ञान और औद्योगिक विभाग	2,95,25,000
97	भारतीय सर्वेक्षण	7,42,45,000
98	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान	20,61,08,000

विज्ञान और प्रौद्योगिकी वीभाग की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
96	1	**श्री सी० के० चन्द्रप्पन**	विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करने की दिशा में अपर्याप्त प्रयत्न ।	राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।
	2.		औद्योगिक अनुसंधान को पर्याप्त महत्व देने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाए।
	3.		केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी के कार्य की उच्चस्तरीय जांच करने की आवश्यकता ।	”
	4.		केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी द्वारा लगभग 42 लाख रुपये की धनराशि वापिस कर दी जाने के कारणों की जांच करने की	”

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
			आवश्यकता, जबकी उस संस्थान में अनेक परियोजनाओं को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता की आवश्यकता है ।	
	5.		केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसधान संस्थान पिलानी में उपयुक्त वातावरण पैदा करने की आवश्यकता जिससे कि वहां काम करने वाले योग्य और सक्षम वैज्ञानिक अपना अनुसंधान कार्य जारी रख सकें और प्रोत्साहन के अभाव में संस्थान से चले न जायें ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाए ।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कुछ अनुसन्धान संस्थानों को मैंने देखा है, वहां लोग बड़ी गम्भीरता से कार्य करते हैं । वे लोग प्रसन्न है कि वे अनुसन्धान क्षेत्र में हमारे देश के विकास के लिए कुछ कर सकते हैं ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwari in the Chair]

विशेषकर कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक उत्पादन करने हेतु नये बीज तथा नये बीजों की नई किस्में विकसित की गई हैं। वे चाहते हैं कि इस अनुसन्धान कार्य से देश को लाभ हो परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस अनुसन्धान कार्य से केवल 10 प्रतिशत लोग ही लाभ उठा सकते हैं । इसका कारण है हमारे सामाजिक बन्धन । कृषि क्रान्ति के पश्चात तो स्थिति और भी चिन्ताजनक हो गई है । धनिकों और निर्धनों के बीच खाई और चौड़ी होती जा रही है । अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कोई उपचारात्मक कार्यवाही भी करनी चाहिए ।

भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग, जो आजकल खान और धातु विभाग के अन्तर्गत है, को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए जिससे कि समस्त क्षेत्रों का अनुसन्धान कार्य समन्वित किया जा सके ।

ऐसे समय में जब कि हमारे प्रौद्योगिक विद बेकार पड़े हैं तो कुछ ऐसे उदाहरण भी है जब की विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाती है जिसके अन्तर्गत विदेशी विशेषज्ञ हमारे देश में

[श्री एस० पी० भट्टाचार्य]

आकर वही कार्य कर रहे हैं जिसे हम स्वयं कर सकते हैं । जब हम किसी कार्य को अपने देश में ही कर सकते हैं तो विदेशी सहयोग की किसी प्रकार भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । वास्तव में ऐसे उदाहरण भी हैं जब ऐसे सहयोगों के अन्तर्गत हमें पुरानी मशीनें प्राप्त हुई हैं । इस प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहिए । अतः निर्यात के क्षेत्र में जब हमें विदेशों के साथ स्पर्धा करनी पड़ती है, तो हम ऐसी स्थिति में पिछड़े हुए नहीं रहना चाहते । आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमें इन बातों के बारे में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

कलकत्ता में राष्ट्रीय उपकरण कारखाना है जो ब्रिटिश शासन काल में स्थापित किया गया था। अब यह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है । इस कारखाने में थर्मामीटरों का उत्पादन होता था परन्तु अज्ञात कारणों से यह उत्पादन अचानक बन्द करना पड़ा । अतः इस कारखाने के कार्य में सुधार की आवश्यकता है जिससे थर्मामीटरों जैसी अन्य वस्तुओं का भी विकास हो सके ।

हम अपने प्राकृतिक संसाधनों तथा तकनीकी जन शक्ति के साथ गरीबी दूर कर सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या को भी दूर कर सकते हैं । और ऐसा तभी हो सकता है जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उचित रूप से उपयोग करें और यदि हम विदेशी साम्राज्यवादी हितों, एकाधिकारी सम्बन्धी हितों और बड़ी जोत के हितों द्वारा जो बाधाएं उत्पन्न की गई हैं, उन्हें दूर करें ।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बेल्लारी) : बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि पृथक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना करने का सरकार ने जो कदम उठाया है वह, सही दिशा में उठाया गया एक कदम है । इस नये विभाग और नये मंत्रालय की स्थापना करने के लिए सरकार बधाई की पात्र है । जैसा कि प्रतिवेदन में बताया गया है, यह विभाग अभी विकास की आरम्भिक अवस्था में है और अभी स्थायी तौर पर कार्य नहीं कर पा रहा है और अपने कार्य संचालन के लिए कर्मचारी भी भर्ता नहीं कर पा रहा है । परन्तु फिर भी इस विभाग ने अपनी स्थापना के पश्चात् बहुत ही सीमित अवधि मे बहुत कार्य किया है । इस तथ्य का बहुत प्रमाण मिलता है कि इस मंत्रालय मे गतिशीलता है । मेरे विचार में इस विभाग के सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए बहुत अधिक समितियां नहीं होनी चाहिएं । फिर भी इस से यही विश्वास मिलता है कि ठोस समस्याओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सक्रिय रूप से कार्य संचालन तथा इसका उपयोग उनके विचार को प्रेरित करता है और इसके फलस्वरूप हमारी अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी अनेक समस्याएं यथा समय हल हो जायेंगी ।

इस विभाग में दो प्रमुख संस्थाओं द्वारा कार्य आरम्भ किए जाने का विचार है । जो बिल्कुल नई प्रणाली है । एक तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति है और दूसरी पर्यावरण योजना तथा समन्वय सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति है । यह बहुत अच्छी बात है कि इन समितियों का गठन लगभग सभी गैर सरकारी व्यक्तियों और अपने सम्बन्धित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से किया गया है । इन समितियों की सम्बन्धित समस्याओं को भली प्रकार समझने और इन समस्याओं पर संभावित रूप से कुठाराघात करने और इस उद्देश्य के लिए ठोस तरीकों का सुझाव देने का कार्य सौंपा गया है । सरकार ने इन समितियों को हर प्रकार की सहायता का भी वचन दिया है ।

इनके परिणाम बहुत शीघ्र नहीं निकलेंगे । पर्यावरण समिति का विषय बहुत कठीन है और इस समिति को अपने कार्य सम्पादन में बहुत अधिक समय लगेगा ।

जहां तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति का सम्बन्ध है, इसके परिणाम भी शीघ्र नहीं निकलेंगे। निस्सन्देह ये दो ऐसे आवश्यक आधारभूत ढाचे हैं, जिन्हें देश के बुनियादी ढांचों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यकता है। और जिनकी विज्ञान प्रयोग शालाओं, राष्ट्रीय सस्थानों और विज्ञान की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के रूप में पहले ही देश में स्थापना की जा चुकी है।

हमने देश में उच्च-शिक्षा संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समन्वय अथवा एकीकरण कर रखा है। देश में प्रौद्योगिकी के पांच उच्च संस्थान हैं। सर्व प्रथम इंजीनियरिंग संस्थान आरम्भ किया गया था। फिर बाद में इंजीनियरों को विज्ञान की शिक्षा देने हेतु इन संस्थानों में विज्ञान के विभागों को विकसित किया गया। देश का सब से पुराना विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बंगलौर में है जिसमें भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक साथ मिलाने का प्रयास किया जाता है। मंत्री महोदय को इस बात का पता लगाना चाहिए कि इन संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को कैसे एक साथ मिलाया जाता है। क्या इन संस्थानों में विकास संबन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिए अन्तर्अनुशासनीय प्रयास किए जाते हैं जहां प्रौद्योगिकी विद और इंजीनियर मिलकर कार्य करें ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। उन्हें अलग-अलग सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसका समाधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक समन्वित पाठ्यक्रम चालू करके नहीं किया जा सकता। इस पर सभी उन विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों को एक स्थान पर बैठकर बिना किसी प्रचार के गंम्भीरता से विचार करना चाहिए, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों के विभाग हैं। उन्हें ऐसी समस्याएं दी जायें, जिन्हे दोनों आपसी सहयोग से सुलझाएं। इस प्रकार उन्हें पास आने के अवसर दिये जायें। इसके लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिए। उनके क्षेत्र, उनकी कार्यप्रणाली तथा और कई बातें हैं, जिनका अध्ययन करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में सरकार के सुविज्ञ विचारों का आभास देने वाला किसी प्रकार का एक श्वेत पत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

प्रतिवेदन में वैज्ञानिकों सम्बन्धी कार्मिक नीति का उल्लेख किया गया है। यह एक अच्छी बात है। पर सरकारी कार्मिक नीति में जो सबसे बड़ा दोष है वह यह कि हम तकनीकी, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी उन्हीं सिद्धान्तों को लागू करते हैं, जिन्हें हम प्रशासनिक कर्मचारियों पर लागू करते हैं।

हमारे सम्मुख समस्या यह है कि वैज्ञानिकों और औद्योगिक विदों को किस प्रकार अद्यतन रखा जाये। उन्हें उन अन्य लोगों से जिनकी जानकारी अद्यतन है, चर्चा करने योग्य किस प्रकार रखा जाये। इसके लिए हमें विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक संस्थाओं से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और इसके बाद उन्हें फिर से अनुसंधान कार्यों में लगा देना चाहिए। और ऐसा ही सरकारी संगठनों में स्थायी रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ भी होना चाहिए कि वे भी विश्वविद्यालयों आदि में अस्थाई रूप से जाएं। इस आवागमन से हमारे वैज्ञानिकों आदि की जानकारी को अद्यतन बनाना सम्भव हो सकता है। हमें इन्हें सरकार की नौकरशाही का शिकार नहीं होने देना चाहिए तथा उन्हें यह अनुभव नहीं कराना चाहिए कि सरकार उनपर कोई अनुग्रह कर रही है।

[श्री वी० के० आर० वर्दराज राव]

विश्वविद्यालय आदि के वैज्ञानिकों को अद्यतन बनाने के लिए उन्हें विदेशों में भेजना चाहिए। उन्हें अपनी पसन्द के देश और अपनी पसन्द के लोगों से मिलने की छूट दी जानी चाहिए। केवल एक शर्त यह होनी चाहिए कि वहां से लौटने पर वे अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश करें, जिसमें उनके अनुभवों का पूरा-पूरा वर्णन होना चाहिए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी योजना पंचवर्षीय योजना से अलग होती है। पर वह वास्तव में होती क्या है। इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री इस सभा में अथवा कहीं और प्रकाश डालें।

जो वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें देश की वास्तविक समस्याओं की जानकारी कराई जानी चाहिए। इसके लिए अलग से योजना नहीं बनाई जानी चाहिए। हमें किन-किन क्षेत्रों में कार्य करना है, क्या-क्या कार्य करना है, इस सब को ध्यान में रख कर योजना बनाई जानी चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही वैज्ञानिक आदि प्रौद्योगिकी योजना बनाई जानी चाहिए। यदि योजना आयोग कहे तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ऐसी योजना बना कर उसे दे सकती है।

मैं विज्ञान और अनुसंधान समिति के गठन के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

गरीबी की समस्या से अधिक मुझे कोई अन्य समस्या दुःख नहीं पहुंचाती। पर केवल सामाजिक, संस्थागत और कराधान सम्बन्धी परिवर्तन से इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता के बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि चार-चार पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी हम आज वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के लिए एक समन्वित योजना पर विचार कर रहे हैं। मुख्य कारण यह रहा कि देश में पर्याप्त संख्या में योग्य वैज्ञानिक और प्रयोग शालाएं होने के बावजूद हमने इसको मुख्य योजना से अलग रखा। इसका परिणाम यह हुवा कि वैज्ञानिक संस्थाएं और वैज्ञानिक अपनी ही योजना से काम करते रहे। उनमें और विषशेकर युवा वैज्ञानिकों में यह भावना घर कर गई कि हमारे कार्य का कोई उद्देश्य नहीं है। इसकी एक हानि यह भी हुई कि वैज्ञानिकों में यहां काम करने का उत्साह न होने के कारण उनमें से बहुत से विदेशों में चले गये। वैसे अब पर्याप्त देरी हो गई है पर फिर भी अब जो प्रयत्न किया जा रहा है उसका मैं स्वागत करता हूं। इस कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार समिति ने बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं। पर मुझे पता नहीं कि उन महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार किया गया अथवा नहीं। क्योंकि इस प्रतिवेदन में उसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया। माननीय मंत्री कृपया अपने उत्तर में इस पर प्रकाश डालें।

आजकल देश में विदेशी वस्तुओं और विदेशी पूंजी के समान विदेशी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विदों की सेवाएं प्राप्त करने की सनक सी लग गई है। यह सनक निजी उद्योगपतियों में ही नहीं है वरन् सरकारी उपक्रमों ने भी यही रवैया अपनाया हुआ है। निजी उद्योगपतियों का कहना है कि जब विदेशों के समान जानकारी देश में उपलब्ध नहीं है तथा जो उपलब्ध है, उसका स्तर बहुत नीचा है, तब हमें हार कर विदेशी जानकारी का सहारा लेना ही पड़ता है।

पर हम स्वावलम्बी तब तक नहीं हो सकते जब तक हमारी वर्तमान आर्थिक और प्रौद्योगिक नीति में परिवर्तन नहीं आता। स्वदेशी विशेषज्ञों को बढ़ावा देने के लिए हमें विदेशी विशेषज्ञों के प्रति अपने आकर्षण का रवैया बदलना पड़ेगा।

हमारी प्रयोगशालाओं में बहुत सी नई प्रक्रियाएं विकसित की गई है। पर कोई उन्हें व्यापरिक उत्पादन के लिए अपनाने को तैय र नहीं है। अब भी ऐसे बहुत से कलपूर्जे आदि वस्तुएं हैं जिनका कि विदेशों से आयात किया जा रहा है, जिनका कि यहां देश में उत्पादन किया जा चुका है। इन वस्तुओं का उपयोग सरकारी उपकमों में भी हो रहा है।

जब तक सरकार सभी मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से जहां नितान्त आवश्यक हो उन जगहों को छोड़ कर अन्य सब जगहों पर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को यथा सम्भव सीमा तक नहीं बढ़ाती, तब तक इस योजना का कोई लाभ नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार समिति की सिफारिशें बिल्कुल स्पष्ट हैं।

हम अभी तक उस ढांचे अथवा व्यवस्था से अवगत नहीं हैं जो प्रयोग शालाओं में किए गये अनुसंधान और फैक्टरियों में होने वाले वास्तविक उत्पादन में सीधा सम्बन्ध स्थापित कर सके। इसके अभाव में हम यह भी नहीं कह सकते कि एन० आर० डी० सी० अपनी भूमिका भली प्रकार निभा रहा है अथवा नहीं। इन दोनों का सम्बन्ध स्थापित करना ही चाहिए अन्यथा यह सब अनुसन्धान अधिकतर किताबी और बेकार ही रह जायेगा।

लाइसेंस नीति, आयात नीति आदि से सम्बन्धित मंत्रालयों, वित्त मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद आदि वैज्ञानिक संस्थाओं में आपस में तालमेल नहीं है। सभी अलग-अलग काम कर रहे हैं। एक को दूसरे के कार्य की जानकारी नहीं है। अतः इनकी आपसी तालमेल की समस्या को हल किये बिना योजना का कोई अर्थ नहीं है।

[श्री आर० डी० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

उन वस्तुओं के आयात के लिए बड़े मुक्त हस्त से लाइसेंस दिये जाते हैं। जिनका उत्पादन देश में हो सकता है। हमारी वर्तमान लाइसेंस नीति और प्रौद्योगिक विकास नीति देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास की विरोधी रही है। हमें विदेशी प्रौद्योगिकी के प्रति अपना यह आकर्षण का रवैया बदलना पड़ेगा तभी हम अपने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दे सकते हैं।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : आधारभूत प्रौद्योगिकी कमीबेश पाठ्यपुस्तकों में उपलब्ध है और अपने नित्य के उत्पादन और अन्य आवश्यकताओं के लिये देश में इसके उपयोग में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों में कोई ताल मेल नहीं हैं। सभी अलग-अलग काम करते हैं और अपने कार्यों को गुप्त रखना चाहते हैं।

प्रगतिशील देशों में भी पेटेंट विधियां आदि की कुछ हद तक संशोधित नमूनों में परवाह नहीं की जाती हैं जिससे कि अर्थ व्यवस्था की कुल लागत काफी कम हो जाती है।

[श्री डी० डी० देसाई]

हमारे देश में प्रौद्योगिकी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारे देश में हजारों इंजीनियर बेकार हैं और सैकड़ों वर्कशाप ऐसी हैं जहाँ काम नहीं है। कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है और लोगों के जीवन स्तर में निरन्तर ह्रास हो रहा है। इस क्षेत्र में हमारा देश बहुत पीछे है। आज अमरीका तथा अन्य देशों में गाड़ियों की गति 300 और 400 मील प्रति घंटा हो गई है। परन्तु भारत में रेलों की स्थिति वही है जो आज से 20 वर्ष पूर्व हुआ करती थी। इसी प्रकार विद्युत पारेषण के लिए हमारे वोल्टेज 220 किलोवाट से अधिक शक्तिशाली नहीं है जबकि विश्व में 1000 किलोवाट वोल्टेज का निर्माण हो चुका है। आज हमारे पास संयंत्र तथा मशीनरी है, लोगों के पास कार्य की क्षमता भी है परन्तु अभी भी हमारे कुछ विभागों का दृष्टिकोण बहुत रुढ़िवादी रहा है। यदि इस दृष्टिकोण में परिवर्तन न किया गया, तो भविष्य में हमें अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे तथा डाक तार विभाग इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

प्रौद्योगिकी समिति के लिए जिन सदस्यों की नियुक्ति की गई है, उनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका केवल किताबी ज्ञान है, अपने हाथ से काम करने का अनुभव उनमें से किसी को भी नहीं है। आज हमारे देश की स्थिति यह है कि हम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। यदि हम वास्तव में ही गरीबी हटाने के कार्यक्रम को कार्यरूप देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। यह खेद की बात है कि अनुसंधान कार्य की लागत हमारे देश में अमरीका या जर्मनी जैसे देशों की तुलना में कम है। अतः मैं यह समझता हूं कि हमारे लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने की अपेक्षा उसका निर्यात करना कहीं आसान है। आयात की सीमा निर्धारित होनी चाहिये। हमें किसी भी आवृत्ति मूलक ज्ञान का आयात नहीं करना चाहिये और न ही किसी ऐसे ज्ञान का आयात करना चाहिये जो पहले ही किन्हीं पेटेंटों अथवा व्यापार का चिन्ह हो। ऐसा करने से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करना सम्भव होगा।

†**श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : सभापति महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना करने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। यह और भी अच्छी बात है कि यह विभाग श्री सी० सुब्रह्मण्यम जैसे योग्य व्यक्ति को सौंपा जा रहा है। परन्तु इसके साथ ही मैं यह अनुभव करता हूं कि आण्विक अनुसंधान के साथ अन्तरिक्ष अनुसंधान को भी इस विभाग के अन्तर्गत स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिये। यह निश्चय ही एक आश्चर्यजनक बात है कि कृषि अनुसंधान को कृषि विभाग के अन्तर्गत ही रहने दिया जाये। मैं समझता हूं कि सभी प्रकार के कृषि अनुसंधान को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी योजना मंत्री के अधीन कर दिया जाये।

श्रीमानजी, सदन को सूचित किया गया है कि वर्ष 1970–71 के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों पर कुल राष्ट्रीय आय का 0.48 प्रतिशत भाग खर्च किया गया। जब वैज्ञानिक अनुसंधान पर केवल इतनी साधारण धनराशि खर्च की जाती है तो फिर हमें हर समय राष्ट्रीय विकास के कार्यों में वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व का राग अलापने की क्या आवश्यकता है। सरकार ने बड़े गर्व से यह घोषणा की है कि वर्ष 1973–74 में वैज्ञानिक अनुसंधान पर होने वाला व्यय 0.48 प्रतिशत से बढ़ा कर 0.6 प्रतिशत कर दिया जायेगा। परन्तु क्या इस मामूली सी वृद्धि से आत्म

†तमिल भाषा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of speech delivered in Tamil.

निर्भरता प्राप्त कर लेना संभव होगा ? यदि सरकार के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक प्रतिशत निवेश करना सम्भव नहीं है, तो फिर वह राष्ट्रीय विकास में इसके योगदान की बड़ी-बड़ी बातें ही क्यों करती है ?

स्वतन्त्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद अब जाकर कहीं हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में राष्ट्रीय समिति का गठन किया है । प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि लगभग 70 वैज्ञानिक, विज्ञान अनुसंधान के कार्य में लगे हुये हैं और मंत्री महोदय द्वारा यह भी बताया गया है कि लगभग 70,000 वैज्ञानिक बेकार भी हैं । यदि कुल राष्ट्रीय उत्पादन के निवेश में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है, तो उससे इन सभी बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार प्राप्त हो जायेगा । पश्चिम के कई विकासशील देश तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 5 से 10 प्रतिशत वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च कर रहे हैं । अत: अन्य कई अनावश्यक खर्च कम करके, सरकार को इस मद पर अधिक धन खर्च करना चाहिये ।

मंत्री महोदय ने स्वयं बताया है कि वर्ष 1970–71 के दौरान लगभग 400 करोड़ रुपये की मशीनों और उनके पुर्जों का आयात किया गया । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वैज्ञानिक अनुसंधान पर अधिक पूंजी निवेश किया जाता, तो विदेशी मुद्रा की बचत तो होती ही, साथ में कई बेरोजगार वैज्ञानिकों को रोजगार भी प्राप्त हो जाता। वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य की एक अन्य इसी प्रकार की असंगति की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । वर्ष 1971–72 में 2,39,59,000 रुपये की व्यवस्था अनुसंधान कार्यों के लिए की गई थी परन्तु संशोधित अनुमानों के अनुसार यह धन राशि 2,22,86,000 रुपये कर दी गई । मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुसंधान कार्यों के लिए निर्धारित की गई 17 लाख रुपये की धनराशि को खर्च न करने के क्या कारण हैं ? मैं समझता हूं कि सरकार के मितव्ययता उपायों का प्रभाव वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों पर नहीं पड़ना चाहिये । इससे हमारे आत्म-निर्भरता की ओर ले जाने वाले कार्यों में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिये ।

लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान आयोग द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य के परिणाम इस संगठन पर होने वाले खर्च के अनुरूप नहीं हैं। यदि राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परिषद देशीय अनुसंधान के स्तर को सुधारने में समर्थ नहीं हैं, तो फिर इस संगठन पर इतना अधिक व्यय करने के क्या कारण हैं ?

इस परिषद के बारे में सरकार समिति द्वारा जो सिफारिशें की गई थीं । उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ? जून 1971 में रूस के साथ कृषि अनुसंधान के सम्बन्ध में जो करार किया गया था क्या उसकी वार्षिक कार्य योजना बना ली गई है ?

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के कार्यों पर अधिक खर्च किया जाना चाहिए ताकि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सके ।

श्री पी० एन्थनी रेड्डी (अनन्तपुर) : सभापति महोदय, योजना मन्त्रालय से सम्बद्ध एक अन्य विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी आरम्भ करने के लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मैं

[श्री पी० एन्थनी रेड्डी]

समझता हूं कि केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके परिणाम अनुभवगम्य तथा सराहनीय रहे हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं का कार्य संतोषजनक नहीं है। इन प्रयोगशालाओं का कार्य केवल प्रयोगशालाओं के काम तक ही सीमित है। इनके पास अपनी कोई निश्चित योजनायें नहीं हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के उद्योग वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परीषद को प्रयोगशालाओं से तकनीकी जानकारी लेने में उदासीन हैं। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जबकि हमें अपने उद्योगों को अपने यहां अनुसंधान कार्य आरम्भ करने के लिये बाध्य करना चाहिये। इस कार्य के लिये यदि हमें कोई कानून भी बनाना पड़े तो हमें वह भी बनाना चाहिये।

अमरीका, इंगलैण्ड और रूस जैसे देश वैज्ञानिक अनुसंधान पर काफी धनराशि खर्च कर रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए औद्योगिक विकास का महत्व बहुत है परन्तु खेद की बात है कि फिर भी विदेशों से तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम काफी धनराशि खर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें अपनी कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम एक प्रतिशत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर खर्च किया जाना चाहिये।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं के पास औद्योगिक विकास से सम्बद्ध जानकारी तो उपलब्ध है परन्तु हमें ऐसा लगता है कि परिषद और तकनीकी महानिदेशालय के बीच पारस्परिक समन्वय का अभाव है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिये कि जब देश में ही किसी उद्योग के विकास के लिए सूत्र उपलब्ध हो, तो उसके लिए किसी प्रकार की तकनीकी जानकारी का आयात न किया जाये।

हम प्राय: औद्योगिक एकाधिकार की बात करते रहते हैं परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि एकाधिकार की प्रवृत्ति विज्ञान के क्षेत्र में भी विद्यमान है। बड़े वैज्ञानिक छोटे वैज्ञानिकों को पनपने नहीं देना चाहते। अत: इस प्रकार हमारे देश में प्रतिभा पलायन हो रहा। सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो भी अविष्कार करें, उस का उपयोग औद्योगिक विकास के लिए किया जाना चाहिये। हमें ऐसे अविष्कार नहीं करने चाहियें जिन से श्रमिकों की संख्या कम हो और परिणाम स्वरूप हमारी समस्याओं में और वृद्धि हो। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ औद्योगिक विकास और कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो और ऐसा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास से ही सम्भव हो सकता है।

Shri R. V. Bade (Khargone) : I would like to combine myself to Demand No. 98 which relates to C. S. I. R. and against which a sum of 24,73,20,000 has been demanded. If you look at all the three reports of Public Accounts Committee, it becomes clear that although much money has been spent by the Government but the progress achieved is very poor due to bureaucracy and politics. It has been further stated in the Public Accounts Committee Report that 60 percent of the expenditure is incurred on Class IV employees and rest of the amount is spent on scientists. When the work was not accomplished, Research Development Corporation was formed; and when this too failed to deliver the

goods, a "Get together" society was established. Later on, the National Committee of Science and Technology was set up. But all these committees and corporations have proved of no avail. The Public Accounts Committee has very clear stated in its report that although huge expenditure has been incurred on this organisation, the return on this investment has been meagre.

The scientists in the higher route took the whole credit for the research work by discouraging the young scientists which led to hear—burning and created an adverse effect on the institution. Independent research is suppressed in the C. S. I. R.

There are 30 laboratories under the CSIR from Kashmir to Hyderabad. But what were the result obtained from these laboratories ? Better results could have been achieved if these laboratories been established near the concerned industries. You can know the reasons for the failure of CSIR by giving through the reports of Public Accounts Committee.

Since we want to use atomic energy for technological and industrial development, the Department of Atomic Energy should also come under the Department of Science and Technology. The Government should also thoroughly examine the report of Sarkar Committee and then take steps to improve the working of the CSIR. The report of the Public Accounts Committee will also serva as a guide to the better functioning of this institution.

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : योजना विभाग के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पूरे विभाग को स्थापित करना एक उचित कदम है। आज देश को वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। उन्हें सुलझाने के लिये वैज्ञानिक खोज और औद्योगिकी अध्ययन हेतु यह विभाग बनाया गया है। हमारी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए चाहे वे परिवार कल्याण की हों अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी या आवास की अथवा शहरीकरण की—वैज्ञानिक खोज तथा तकनीकी विकास की सहायता आवश्यक है।

हमारे सामने आज सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं। जनता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की महत्ता को समझ नहीं सकी है। विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में जो अनुसन्धान किया जा रहा है वह इनके लिये कोई अर्थ नहीं रखता। प्रयोगशालाओं में हो रहे अनुसंधान और उसके व्यवहारिक प्रयोग में जो निकट सम्बन्ध है उसे जनता नहीं समझ सकी, यह विभाग अब इन दोनों को एक दूसरे के निकट ला रहा है। यही विभाग है जिसे हमारी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए अनुसंधान और विकास में तीव्रता लानी है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय आर्थिक विकास का उपकरण बन गई हैं।

हमारे सामने उद्योगों में स्वचालित मशीन लगाने अथवा संगणकों का प्रयोग करने की समस्या है जिस पर एक समिति विचार कर रही हैं। हम चाहते हैं कि उद्योग में स्वचालन और कार्यालय के कार्य में संगठकों के प्रयोग के सम्बन्ध में समिति एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव हैं। खान और धातु विभाग के अधीन भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था है। यह सुझाव उचित नहीं प्रतीत होता कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण अनुमान को कृषि मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाये। भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था भी वैज्ञानिकों की संस्था के रूप में रहने देना चाहिये जैसा कि वह अब है और इसे योजना आयोग के व्यापक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान आयोग के अधीन लाया जाना चाहिये।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रतिभा पलायन की समस्या को सुलझाने के लिये तथा हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक विदेशों में सफलता पूर्वक श्रम कर रहे हैं उन्हें आकर्षित करने के लिये सरकार क्या कर रही है। दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में वैज्ञानिक संस्थाओं में अभी भी नौकरशाही का साम्राज्य है और उसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को अपने शैक्षिक क्षेत्र की चार दीवारी में रहने के लिये विवश किया है ।

पटसन के वर्तमान मूल्य में वृद्धि का कारण इसके परिष्करण तथा विरंजन क्या ढंग है । आज हम पटसन को 50 रुपये से 70 रुपये प्रति मन की दर से बेचते हैं । यदि इसे परिष्कृत किया जाये या रंगा जाये तो इसकी कीमत शायद 700 रुपये या 800 रुपये या 1000 रुपये प्रति मन हो सकती है । सभी मामलों में हम आयात से और अपूर्ण निर्यात से करोड़ों रुपयों की हानि उठा रहे हैं ।

तकनीकी शिक्षा को शिक्षा मंत्रालय के अधीन लाया जाना चाहिये। जब हम इंजीनियरों के प्रशिक्षण में इतना समय और शक्ति लगाते हैं तो कुछ मामलों में हमें शिल्पकारों की कमी हो रही हैं । मंत्री महोदय हमें यह बतायें कि अधिक पोलिटेकनिक्स खोलने के लिये तथा शिल्पकारों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या किया जा रहा है ।

श्री बी. आर. शुक्ल (बहराइच) : मैं विज्ञान विभाग को शिक्षा मंत्रालय से अलग करने तथा उसे योजना मंत्रालय में लाने का स्वागत करता हूं । गरीबी देश से उस समय तक नहीं उठ सकती जब तक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक–विद देश की प्रगति में पूरा योगदान नहीं करते । योजना विभाग और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग को एक साथ मिलकर काम करना है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और अन्वेषण कार्य में लगी हुई विभिन्न एजेन्सियों के कार्यसंचालन में एकीकरण लाने की दृष्टि से यह विभाग स्थापित किया गया है । इस विभाग को विशुद्ध विज्ञान में मूल-भूत अनुसंधान में प्रगति लानी है क्योंकि विशुद्ध विज्ञान आर्थिक और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अपने परिणामों को उपयोग में लाने के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा। अत: विशुद्ध भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान में मूलभूत अनुसंधान करने के लिये जो धन आवंटित किया गया है उस पर हमें आपत्ति नहीं करनी चाहिए । विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमें अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता कर सकती है । निष्ठावान वैज्ञानिकी और प्रौद्योगिक विदों का दल इस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान कर सकता है। हमें अपने वैज्ञानिकों को सभी प्रकार के प्रोत्साहन देना है। हमें देश में ऐसा वातावरण पैदा करना है जिससे निष्ठावान वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक – विद अपनी योग्यता सही रूप में दिखा सकें और इस प्रकार देश की सेवा कर सकें। हमारे देश में बहुत कम वैज्ञानिक हैं । दुर्भाग्य की बात है कि इतने कम वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिक विदों की प्रतिभा का भी हम लाभ नहीं उठा सके हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मुझे इस विभाग के खुलने की बहुत प्रसन्नता है। अनेक माननीय सदस्यों ने हमारे देश के विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों की उपयोगिता का उल्लेख किया है । वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की भी आलोचना की गई है । लेकिन मेरा विश्वास है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष और उनके साथ कार्य करने वाले वैज्ञानिक निश्चय ही कार्य में सुधार लायेंगे इस प्रकार की आलोचना के लिए राजनीतिज्ञ ही मुख्यत:

उत्तरदायी हैं और यदि वे इन बातों से दूर रहें तो स्थिति में सुधार होगा। शासन द्वारा सरकार प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है और हमें आशा है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रतिवेदन का सर्वोत्तम उपयोग किया जायेगा कि इस संस्था की पुरानी प्रतिष्ठा बनी रहे।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् और प्रतिरक्षा विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच अधिक समन्वय होना चाहिये यदि हम आत्मनिर्भता के नारे को गम्भीरता से लें तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् नेतृत्व कर सकता है। प्राय: बताया जाता है कि सरकार प्रतिभा पलायन को रोकने जा रही किन्तु देश की सेवा करने के उद्देश्य से भारत वापस आने वाले भारतीय भी निराश और विरक्त होकर उस देश को जहां वे पहले कार्य कर रहे थे, वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहां कोई नौकरी नहीं मिल सकी। मंत्री महोदय बतायें कि आत्मनिर्भरता के हमारे नारे के होते हुये, क्या हम यहां नौकरी की कमी के कारण हम अपने वैज्ञानिकों को विदेश जाने देंगे। देश के सर्वेक्षण विभाग ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके संघ ने जिनका मैं प्रधान हूं तीन युद्धों के दौरान अधिकतम सहयोग दिया है। यह उचित है कि उस संघ को मान्यता प्रदान की जाये।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार 14 अप्रैल, 1972/25 चैत्र 1894 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 14, 1972/Chaitra 25, 1894 (Saka).